खण्ड-378, अंक-4
बुधवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(3 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1986)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 3-9-1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
2–कृष्ण कुमार, श्री फैजाबाद
3–कृष्णा रावत, कुमारी लखनऊ
4–त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री गोरखपुर
5–दीपक कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
6–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री ललितपुर
7–पद्मा सेठ, श्रीमती सीतापुर
8–पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री कानपुर
9–बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तर काशी
10–ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद
11–मित्रसेन फैजाबाद
12–राजेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखाबाद
13–राजेश कुमार खैरा, श्री ललितपुर
14–विजय लक्ष्मी, श्रीमती बलिया
15–वीरेन्द्र सिंह, श्री एटा
16–शिव बालक पासी, श्री रायबरेली
17–शिवानन्द नौटियाल, डा0 चमोली
18–शैलेन्द्र कुमार, श्री इलाहाबाद
19–संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
20–सखावत हुसैन, श्री मुरादाबाद
21–सत्यपाल सिंह, श्री शाहजहांपुर
22–सन्तन बड़थ्वाल, श्री चमोली
23–समर पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
24–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
25–सीता राम निषाद, श्री फैजाबाद

नोट:–श्री निसार अहमद अंसारी माननीय राज्य मंत्री उद्योग, सदस्य विधान परिषद्।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में धान के मूल्य का निर्धारण एवं धान-क्रय-केन्द्रों की स्थापना

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में धान की फसल के खरीद के लिए शासन ने कितने रुपए प्रति कुन्टल प्रोत्साहन मूल्य निर्धारित किया है और उसके क्रय के लिए प्रदेश में कितनी एजेंसियों से कितने क्रय केन्द्र खोले जाने की योजना है?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा नहीं । वर्ष 1986-87 के लिए भारत सरकार ने अभी समर्थन मूल्यों की घोषणा नहीं की है। वर्ष 1986-87 की धान खरीद के लिए भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा अभी कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का यह जो उत्तर है वह सत्य से परे है और अधूरा है । जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार भारत सरकार ने इस वर्ष धान की खरीद का मूल्य घोषित कर दिया है जो अखबारों में भी आ गया है, शायद मंत्री जी ने पढ़ा होगा और उनके पास शासनादेश भी आ गया होगा । उसमें साधारण धान का मूल्य 146 रु0, अच्छे धान का मूल्य 150 रु0 और बहुत अच्छे धान का मूल्य 154 रु0 प्रति क्विंटल की दर से घोषित किया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिस प्रकार से गन्ने की फसल पर भारत सरकार द्वारा खरीद मूल्य निर्धारित होता है और उसके बावजूद प्रोत्साहन मूल्य प्रदेश सरकार देती है क्या उसी प्रकार धान के मूल्य पर भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन मूल्य देने वाली है ?

दूसरा इसमें मैंने पूछा था कि धान क्रय करने के लिए किन एजेंसियों से कितने क्रय केन्द्र खोले जायेंगे ? इस प्रश्न का उत्तर एकदम नहीं दिया उसमें मौन रख दिया है । तो उस पर भी मैं जानना चाहता हूं कि कितनी एजेंसियों द्वारा कितने क्रय केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब विधान सभा को 28 अगस्त को भेजा गया और 30 अगस्त 1986 को समाचार पत्रों में मैंने भी देखा कि केन्द्र सरकार द्वारा मूल्यों की घोषणा की गयी है। लेकिन वह इस प्रश्न का उत्तर भेजने के बाद आया । वैसे अधिकृत रूप से किसी टैलेक्स या किसी एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार से सीधे मालूम नहीं हुआ है । जो जानकारी समाचार पत्रों से मिली है उसको सही मानते हुये कि 146 रु0 कौमन श्रेणी का धान और 150 रु0 फाइन श्रेणी का धान और 154 रु0 प्रति क्विंटल सुपर फाइन श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है ।

दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि जिस प्रकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और प्रदेश सरकार उससे कुछ बढ़ कर देती है

तो क्या धान के मामले में भी कोई ऐसी नीति प्रदेश सरकार की है । तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि जब डिस्ट्रेस सेल धान की होती है उसमें उत्पादक का उत्पीड़न न हो, उसे बचाने के लिये सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से धान क्रय करती है । आपको मालूम होगा एक बार प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। तो यदि ऐसी स्थिति आती है और समर्थन मूल्य से नीचे दाम जाते हैं तो प्रदेश सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से धान का क्रय करेगी।

तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि क्रय केन्द्रों की संख्या नहीं बताई । तो मैं उनकी सुविधा के लिये जानकारी देना चाहता हूं कि गतवर्ष जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने क्रय किया उनकी संख्या 873 थी । इस वर्ष भी जो रिपोर्ट आ रही है धान उत्पादन के बारे में उनको देखते हुये केन्द्रों की संख्या पुनर्निर्धारित की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसानों का उत्पीड़न न हो ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने धान के खरीद मूल्य के संबंध में भारत सरकार से कोई संस्तुति अभी तक की है और क्या धान की खरीद के लिये उसके साथ ही जो उसके लिये आवश्यक पूर्व तैयारी होती है खरीदने के लिए धान रखने के लिए बोरे और ट्रान्सपोर्टेशन आदि की समुचित व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही प्रश्न किया है कि समुचित व्यवस्था पैसे की, धान रखने के लिये बोरों की और केन्द्रों की किया है कि नहीं । मैंने उत्तर दिया कि क्रय केन्द्रों के खोलने के साथ ही साथ धन और बोरों की व्यवस्था की जायेगी और अक्टूबर से क्रय करना शुरू होता है तो उसके पहले पूरी व्यवस्था कर लेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

इसका उत्तर भी दे दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से कितने खरीद मूल्य की संस्तुति की है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो संस्तुति की बात आपने कही है, तो विभिन्न स्तरों से संस्तुति की जाती रही है तो जो अब न्यूनतम मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्य इससे नीचे न जाये ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मंत्री जी ने जैसा स्वीकार किया है कि धान का क्रय मूल्य रुपये 146/- 150/- और 154/- निर्धारित किया गया है, और मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि यह मूल्य कम है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि जो लागत किसान की आती है धान पैदा करने में उसके लिहाज से रु0 146/- कम है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लागत के मुताबिक किसानों को पैसा मिल जाय?

मान्यवर, दूसरा प्रश्न कि 873 केन्द्र पिछले वर्ष चले हैं ऐसा कहा गया, तो मेरी निश्चित जानकारी है कि यह केन्द्र कागज पर तो हैं लेकिन वास्तविक रूप से बहुत से ऐसे केन्द्र थे जहां न कोई खरीद की गयी और न तुलाई की गयी । इसलिये क्या मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि चाहे केन्द्र बढ़ायें या कम करें लेकिन हर केन्द्र पर निश्चित तारीख से धान की खरीद शुरू हो जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, धान के क्रय करने पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है कि निश्चित मूल्य पर बेचें, किसान स्वतंत्र हैं और दूसरे प्रदेशों में या जहां उत्पादक को अच्छे मूल्य मिलें वहां बेच सकते हैं। पहले एक सीमा निश्चित थी लेकिन अब तो वह सीमा भी समाप्त कर दी गयी है, यह इसलिये कि किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और किसानों का शोषण न हो । इस प्रकार अच्छी व्यवस्था रहे इसका हम प्रयास करेंगे और जहां शिकायत मिलेगी वहां व्यवस्था की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, बड़ी होशियारी से मंत्री जी और इनकी सरकार अपने दायित्वों से भाग रही है कृषि मूल्य आयोग के जो सदस्य हैं वह दिल्ली में शीत ताप नियंत्रित कक्ष में बैठ कर हमारे प्रदेश की किस्मत का फैसला करते हैं । हमारी अपेक्षा है कि मंत्री जी निश्चित तथ्य को छिपा रहे हैं और इनकी फाइलों में यह तथ्य नहीं आया है किन्तु आशा है कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को निश्चित रूप से अपनी कुछ न कुछ राय भेजी होगी । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि किसानों के व्यापक हित को देखते हुए, कृषि कार्य में लगने वाली चीजों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सरकार ने निश्चित रूप से कोई संस्तुति भारत सरकार को भेजी होगी, अतः मंत्री जी का धान के मूल्य में क्या सुझाव है जो कृषि मूल्य आयोग को भेजा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश सरकार अपनी होशियारी से दायित्वों को निभा रही है और सुनिश्चित कर रही है कि किसानों का शोषण न हो और प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाये, तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह तो धान का न्यूनतम मूल्य है इससे ज्यादा मूल्य किसानों को मिलता है तो इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है । इसीलिये कि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके जितने भी प्रतिबंध और कंट्रोल थे, जैसे धान के निर्यात पर और धान के ले जाने पर, वह हटा दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

जो मैंने प्रश्न किया है, हमारा प्रश्न निश्चयात्मक है, लेकिन मंत्री जी उस पर भाषण कर रहे हैं और यह नहीं बता रहे हैं कि सरकार ने कितने मूल्य की संस्तुति की है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम नरेश यादव–

यह सरकार केन्द्र की और प्रदेश की, किसानों का शोषण करने वाली है और इसीलिए जो लागत मूल्य है, उसे भी केन्द्र सरकार मूल्य निर्धारित करते समय अपने ध्यान में नहीं रखती है और न प्रदेश सरकार उसके आगे जाकर देने को तैयार रहती है। अभी तक यह सरकार दुमुंठ चलाती थी किसानों की पीठ पर किन्तु अब रोलर चलाने जा रही हैं । अपने देश और प्रदेश में बहुत से कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनसे केन्द्र सरकार मांगती है कि धान की पैदावार तथा अन्य अनाजों के पैदावारों का लागत मूल्य क्या है । पन्तनगर यूनिवर्सिटी है, कानपुर में चन्द्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय है, किसी भी विश्वविद्यालय ने धान की कीमत निकालते समय 200 रुपये से कम कीमत किसी भी स्थिति में नही रखा है । जब यह सही है तो क्या यह सरकार अपने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के लागत के मूल्य को

जो लगाए गये थे, उसके आधार पर केन्द्र सरकार ने जो सपोर्ट प्राईज तय किया है, उसके आगे जाकर 200 रूपये प्रति क्वींटल के हिसाब से किसानों को देने को तैयार है ? कुछ ऐसे राज्य भी हैं-पंजाब तथा अन्य राज्य भी, जहां पर धान पर कुछ बोनस दिया जाता है, तो क्या प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रख कर उसी तरह से यहां बोनस देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

धान के मूल्य पर दोनों पहलुओं पर गौर करके सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं को भी वह सही रूप से मिल सके, उपलब्ध कराया जा सके । राम नरेश जी इस सदन के नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको पता होगा कि एक क्वींटल चावल जो सरकार उपभोक्ता को उपलब्ध कराती है, उस पर 27 रुपये से अधिक सरकार को सब्सिडी के रूप में देना पड़ता है, ताकि किसानों को सही मूल्य मिल जाए और सभी उपभोक्ताओं को भी वह उचित मूल्य पर मिल जाए ।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

बड़ी चतुराई से एक सवाल का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं और वह असली मुद्दे की बात पर नहीं आ रहे हैं । किसानों को धान का क्या मूल्य मिलता है, उस संबंध में अपनी सरकार ने केन्द्र से क्या संस्तुति की है, उस बारे में मंत्री जी ने कहा है कि विभिन्न स्तरों से संस्तुति कर दी गई है, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा या खाद्य विभाग द्वारा या अन्य किसी स्तर से कृषि मूल्य आयोग को संस्तुति भेजी गयी है ? आपके निगाह में यह आया है या नहीं आया है?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश सरकार सदैव ही प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही आयोग से कहती है और इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है और वह सभी के हितों को ध्यान में रखने और सभी बातों पर विचार करने के बाद ही यह निर्णय लेती है । जो मूल्य निर्धारित होता है, वह भार केन्द्र सरकार पर है कि वह सभी चीजों को देखकर समुचित मूल्य निर्धारित करे । उसके बाद उसके कार्यान्वयन का भार प्रदेश सरकार पर है । मान्यवर, प्रदेश सरकार का सिफारिश करना और केन्द्र सरकार द्वारा क्या मूल्य निर्धारित किया जाता है इन दोनों में अंतर हो सकता है और अंतर रहा है । जो मूल्य उन्होंने तय किया है उसके ऊपर धान की खरीद करना और उसके लिये धन उपलब्ध कराना, यह हमारी जिम्मेदारी है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं । सरकार ने केन्द्र सरकार से क्या संस्तुति की है, इसका उत्तर दिलवा दीजिये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रमोद कुमार तिवारी स्टाइल में जवाब दे रहे हैं । सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से धान के मूल्य के बारे में कोई संस्तुति की है । यदि की है तो कितने मूल्य की सिफारिश की है? इसका स्पष्ट जवाब दिलवा दें । इनको न उपभोक्ता का ख्याल है न किसानों

का ख्याल है बिचौलियों का इनको ख्याल है। अगर गोपनीय हो, तो वैसा बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह ने अगर मूल उत्तर पढ़ लिया होता तो शायद इतनी शंका उनको न होती। शाही जी ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा था उस पर मैंने सारी बातें बतायीं थीं । इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है । प्रदेश सरकार मूल्य निर्धारित नहीं करती है यह काम केन्द्र सरकार का है । केन्द्र सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है उस मूल्य पर धान क्रय करने का काम प्रदेश सरकार का है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाब से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कितना हित साधन प्रदेश सरकार कर रही है । मंत्री जी कहते हैं कि वर्ष 86-87 में धान की खरीद के लिये प्रदेश सरकार द्वारा अभी कोई नीति नहीं निर्धारित की गयी है। यह सितम्बर का महीना है। अक्तूबर के महीने में धान की बिक्री शुरू हो जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि धान की खरीद के संबंध में नीति निर्धारित न करने का कारण क्या है ? दूसरा सवाल जो सभी माननीय सदस्यों ने पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की खरीद के लिये केन्द्रीय सरकार से और कृषि मूल्य आयोग से कितने रुपये की संस्तुति की है उसका स्पष्ट उत्तर दे दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यही प्रश्न माननीय कौशिक जी ने किया था जिसका मैंने उत्तर दिया था । जहां तक यह बात है कि अक्तूबर के महीने में क्रय शुरु हो जाता है तो अक्तूबर के महीने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि तमाम प्रदेश में कहां-कहां पर क्रय केन्द्र खोलने की जरूरत है और वहां पर क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था कर दी जायगी, धन की व्यवस्था और बोरों आदि की व्यवस्था कर दी जायगी ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर 20 मिनट हो गये हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, प्रश्न का मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुलाया है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दिलवा रहे हैं । कल भी मैंने देखा और आज भी देखा, शासन से यह पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को धान के मूल्य के निर्धारण की क्या कोई संस्तुति की है या नहीं, इसका उत्तर नहीं आ रहा है और आप शासन से उत्तर दिलवाने में अक्षम हैं । इसलिए मैं आज प्रश्न काल के लिए सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मैनेजर सिंह सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमारे नियमों में प्रश्नों के उत्तर देने की व्यवस्था है कि जिस प्रश्न को आप ग्राह्य कर लेंगे, उस प्रश्न के बारे में संहत उत्तर शासन की ओर से आयेगा । मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को धान के मूल्य के निर्धारण के लिए क्या संस्तुति की है? मान्यवर, जो प्रश्न हम करेंगे उस प्रश्न का संहत उत्तर दिलाना आपका दायित्व है

और हमें उस प्रश्न का संहत उत्तर प्राप्त करने का अधिकार है । जो हम नीति निर्धारित करते हैं, उस नीति निर्धारण में उपभोक्ता के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है । धान को या किसी भी उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते समय केवल काश्तकार का ध्यान रखा जाय । उपभोक्ता के हित के लिए मूल्य को सब्सीडाइज करना किसानों के पेट को काटना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को धान की कीमत को क्या सिफारिश की थी ? यदि इसका उत्तर नही आयेगा, तो जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह, अभी पूरे प्रश्न काल के लिए सदन का बहिष्कार करके चले गए, तो हमें भी इसके बारे में विचार करना पड़ेगा । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शासन से मेरे प्रश्न का साफ-साफ उत्तर दिलवाने की कृपा करें । माननीय मंत्री जी अगर इसे जनहित में बताना नहीं चाहते हैं, तो भी वह स्पष्ट बता दें। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे प्रश्न का संहत उत्तर शासन से दिलवाने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इस प्रश्न के बारे में ।

श्री राम सरन–

क्या आफत आ गई आप पर, जो संरक्षण की जरूरत पड़ गई ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कुछ शंकाएं व्यक्त कीं, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं । आपने कहा कि केवल किसान के हित को ही दृष्टि में रखते हुए उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाय और उपभोक्ता के हित के लिए केवल सब्सीडी के आधार पर उसको पूरा किया जाय, यह सरकार की जिम्मेदारी है । जो मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उसे केवल सब्सीडी के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है, किसान की उपेक्षा नहीं की जा रही है। जो भी मूल्य निर्धारित किया जा रहा है, वह किसान के हित में ही है । दूसरा प्रश्न यह था कि क्या प्रदेश सरकार ने संस्तुति किया । प्रदेश सरकार का काम संस्तुति करने का है, लेकिन उसका आधार दूसरा है । कई तमाम प्रदेश सरकारों से संस्तुति प्राप्त होने के बाद और सारे मामलों का परीक्षण करने के बाद केन्द्र सरकार मूल्य निर्धारण करती है । मान्यवर, क्या संस्तुति की गई, यह गोपनीय है, इसे जनहित में बताना उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न का जवाब साफ नहीं आ रहा है इसलिए मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा ने सदन का त्याग किया)

(उसके बाद कुछ अन्य सदस्य भी सदन से उठकर चले गए)

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन–

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चलेगा । साफ-साफ जवाब दिलवाइए ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

प्रश्न–1 के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिलवाइए . . . .।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अनुमति न देने पर विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए)

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर "किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" के नारे लगाने के कारण घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(श्री शतरुद्र प्रकाश के समझाने पर सारे विपक्ष के माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए ।)

(घोर व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, जो जवाब आया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । आपने कहा इधर आइए हम इधर आ गए हैं अब जवाब दिलवाइए ।

श्री अध्यक्ष–

कोई अध्यक्ष को मजबूर नहीं कर सकता है ।

श्री राम सरन–

आपको मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब आना चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, नियम 49 में चर्चा करा दें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, छोटा सा सवाल है उसका जवाब दिलवा दीजिये। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सिफारिशें केन्द्र सरकार को भेजी हैं इसका जवाब दिलवा दीजिए। यह जो ऐसे चटक-मटक कर बात करते हैं, इससे हाउस नहीं चलेगा, मान्यवर, आप जवाब दिलवाइए नहीं तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा । यह कौन सा तरीका है, यहां किस लिए आये हैं । अगर किसानों के हित के लिए यहां नहीं बैठ सकते हैं तो मना कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

राम सरन जी, मैं आपसे बड़ी नम्रता-पूर्वक, बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि यह रूलिंग हो चुकी है कि अध्यक्ष किसी मंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, बड़े खूबसूरत मंत्री हैं इससे हम नहीं प्रभावित होने वाले हैं । यह कोई तरीका नहीं है । सदन चले न चले, आप रहें न रहें, हम रहें न रहें, ये रहें न रहें । मान्यवर, कोई नियम नहीं है इस हाउस का आपने मजाक बना कर रख दिया है, कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर रख दिया है । कोआपरेटिव सोसाइटी भी ऐसे नहीं चलती है जैसे आप सदन चला रहे हैं । ये मौज मस्ती लेते हैं किसानों का गला घोटते हैं । इसका जवाब दिलवाइये नही तो मजबूर होकर मुझे फिर यहां आना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल, आप कुछ कहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जब राम सरन दास जी के सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कहें ?

श्री अध्यक्ष–

जहां तक अध्यक्ष का सवाल है यह रूलिंग हो चुकी है कि अध्यक्ष किसी मंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपका उत्तरदायित्व अलग है, मैं यह स्वीकार करता हूं जैसा आपने

कहा, लेकिन हमारा भी यह उत्तरदायित्व है कि किसानों के हितों के लिए सर्वोपरि हमारा यह नैतिक कर्तव्य है । यह किसानों के हितों की उपेक्षा सरकार करती है, सदन की मर्यादा के खिलाफ यह काम किया जा रहा है । यह किसानों के हित की बात भी नहीं रख सकते हैं उसका सही जवाब नहीं आ सकता है । मान्यवर, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, चाहे आप नियमों को निलम्बित कीजिए लेकिन हम इसमें इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि काई गोपनीयता का सवाल है । इन्हें किसानों के बारे में बदलाना पड़ेगा । मान्यवर, इनकी गलत नीतियों के कारण 1970 से 80 तक 41 हजार का घाटा हुआ है जिसमें से 31 हजार का उत्तर प्रदेश में है । किसान लूटा जा रहा है और आज 4 रुपए बढ़ाये गए हैं धान के मूल्य में । मैं कहता हूं कि इस सरकार ने क्या सिफारिश की है इसका उत्तर नहीं दिया गया है । राम सरन जी का कहना गलत नहीं है कि इस सरकार ने मजाक बना रखा है । हम लोगों ने भी यह तय कर लिया है, यह क्या करना चाहते हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सदन में यह हर रोज देखा जाता है कि सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं आता है । मान्यवर, आप हम लोगों से यह कहते हैं कि 20 मिनट हो गए हैं, 25 मिनट हो गए हैं लेकिन मान्यवर, सरकार का जवाब तो आना चाहिए । मान्यवर, किसानों के संबंध में ही पूछा गया है यह बताने में कोई शर्म की बात नहीं है । यह सरकार को बताने में क्या हर्ज है, इसमें गोपनीयता कौन सी आती है जो नहीं बताते हैं तो विपक्ष के सदस्य क्या करें । हम संरक्षण चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सरकार को मजबूर करेंगे कि सही जवाब सरकार दे । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या संस्तुति भेजी है ? इसमें गोपनीयता की बात कहां है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके श्रीमुख से एक बात निकली जिसको सुनकर बड़ा दुख हुआ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कई शंकायें व्यक्त की गईं। मैंने पहले भी आग्रह किया कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच कई विषयों पर पत्राचार होते हैं । इसमें केन्द्र सरकार ही सक्षम है समर्थन मूल्य दिलाने में ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने क्या सिफारिश की है?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करते हैं और जवाब नहीं देने देते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपको रोज शिकायत रहती है कि सदन ठीक से चले, उल्टे आप हमको डांटते हैं । सरकार ने क्या सिफारिश की है केवल इतना माननीय सदस्य जानना चाहते हैं । सरकार जवाब नहीं दे रही है ।

श्री अध्यक्ष–

सबसे ज्यादा तो हम पर डांट पड़ती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने कहा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं । आपका ध्यान नियमावली के नियम 38 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें लिखा है–"प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर

विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे ।''
अब मान्यवर, आप नियम 42 (2) को देखें । इसमें लिखा है–''अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय संबंधी तथ्यों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण के हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे ।''

परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों संबंधी नियम भंग होते हैं । आपने हमारे प्रश्न को नियम सुसंगत मान लिया, तो उसका उत्तर भी सुसंगत आना चाहिए । क्या सिफारिश मूल्य के बारे में की गई है, इसका सीधा उत्तर यह है कि इतना रुपया प्रति कुन्तल । नियमों में यह अधिकार आपको है कि आप मंत्री को टोंक सकते हैं, बन्धन लगा सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं कि वह सुसंगत उत्तर दें । सही उत्तर दिलाने के लिए आपके पास बहुत अधिकार है । मैंने आपका ध्यान नियमों की तरफ, आपके अधिकारों को जताने के लिए दिलाया । मेरी प्रार्थना है कि सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे सदन की जिज्ञासा का यह सवाल कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए धान का क्या मूल्य संस्तुत किया है, नियम 38-42 के अन्तर्गत इसका जवाब दिलाने की कृपा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप इनसे एक बार और पूछ लीजिए, जवाब देते हैं तो ठीक है, अन्यथा मेरी प्रार्थना है कि इस पर दो घंटे की चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 49 के अन्तर्गत नोटिस दे दीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, नियम 49 में आधा घंटा होता है, हम लिख कर दे देंगे, आप इस पर दो घंटे की चर्चा करा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिख कर दे दीजिए ।

श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा निवासी मित्तपूचा, जनपद फर्रुखाबाद को सजा मुक्त कराने की मांग

*2–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा पुत्र श्री अमरनाथ मेहरोत्रा, निवासी मित्तपूचा, जनपद फर्रुखाबाद की सजा बाल अधिनियम की धारा 27-क (2) (4) के अन्तर्गत समाप्त करने हेतु मा0 केन्द्रीय कपड़ा मंत्री भारत सरकार का पत्र दिनांक 7-11-85 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी बाल अधिनियम के अन्तर्गत श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा को सजा-मुक्त करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

जी हां ।

प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है ।

श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा को उ0 प्र0 बाल अधिनियम, 1951 की किसी भी धारा के अन्तर्गत मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका मामला उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा का मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी द्वारा परीक्षण कराया गया था और उस कमेटी ने उसे बाल अपराधी करार दिया था ? दूसरे यह कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा को बाल अपराधी के रूप

में मानते हुए इस पर पुनर्विचार करने का काम करे ? इन दोनों निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा को बाल अपराधी के रूप में विचार करने में क्या आपत्ति है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जब सुशील कुमार मेहरोत्रा के सम्बन्ध में यह तथ्य सामने आया कि वह धारा 302 के अन्तर्गत उनका मुकदमा सेशंस न्यायालय में चला और वहा पर उन्होंने 31-12-76 को सेशंस न्यायालय के न्यायाधीश ने इस पर अपना निर्णय दिया। इसमें मान्यवर, जो बाल अधिनियम की बात माननीय विधायक जी ने उठायी है तो यह तब उठायी जा सकती थी, जबकि सेशंस में यह मुकदमा जज के सामने था, लेकिन न मालूम कौन सा मिस्टीरियस कारण था, कौन सी वह वजह थी कि सुशील कुमार मेहरोत्रा ने जब सेशंस में मुकदमा चल रहा था, उस समय आयु का प्रश्न नहीं उठाया। उस समय अगर यह आयु का प्रश्न उठाते सेशंस जज के सामने तो उस समय बाल अधिनियम की धारा लागू हो सकती थी और इसका लाभ उनको मिल सकता था। इसके पश्चात् इन्होंने अपील करी और अपील में हाईकोर्ट में मुकदमा खारिज हुआ और इनका हाईकोर्ट का जजमेंट है, यह 8-3-83 की बात है। हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि "दि अपील इज डिसमिस्ड, बेल बान्डस आफ सुशील कुमार मेहरोत्रा आर कैन्सिल्ड, ही शुड बी टेकेन इन्टू कस्टडी।" इसका हिन्दी अर्थ है कि उनकी अपील खारिज की जाती है और जो बेल बाण्ड है, वे काट दिये जाते हैं और उनको फिर से जेल में डाल दिया जाय । उस समय भी श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा ने आयु का प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया । तीसरा बिन्दु यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो मान्यवर, यह भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जो उनकी ओरिजनल स्पेशल लीव पिटीशन थी, उसमें भी आयु का बिन्दु नहीं उठाया गया था । बाद में एमेंडमेंट में यह बात उठायी गई तो सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट था कि यह आफटर थाट है, बाद की बात है। उसमें कहा गया था "रिट पिटीशन इज एकारडिंगली डिस्मिस्ड।"

मान्यवर, जो बाल अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा बात कही गई, उसमें मुझे यह कहना है कि इसका अच्छी तरह से परीक्षण कराया गया, उसमें यह विधिक बिन्दु था कि जो एक जजमेंट तीनों कोर्ट्स से हो गया, उसको बदलने का बाल अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि न्यायालय में यदि यह बिन्दु उठाया गया होता, तो फिर आपके पास अपील क्यों की जाती । मान्यवर उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिकार है कि किसी भी मामले को, यदि कोई बिन्दु छूट गया है और उस पर मर्सी अपील की है, पुनरीक्षण करा लें । सुप्रीम कोर्ट के तहत जो निर्देश हुए हैं, उसमें इसका पुनर्विचार करने में क्या आपत्ति है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, पुनर्विचार किया गया, पुनरीक्षण हुआ है। 15-2-1986 को इस सम्बन्ध में मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी गयी है और इस तात्पर्य का पत्र

शासन द्वारा, जिन्होंने केस फारवर्ड किया था, उनको लिखकर भेज दिया गया है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सम्बन्धित व्यक्ति को सजा मिली, उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? और, कितने वर्ष की सजा अब तक वह काट चुका है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, हाईस्कूल की पूरक परीक्षा के प्रमाण पत्र में उसकी उम्र जन्म तिथि 25-12-1959 अंकित है और नगर-पालिका, फर्रुखाबाद में उनकी जन्म तिथि 26-12-1959 अंकित है। अब हिसाब लगा लीजिये कि वे कितने वर्ष के हैं। जिस वक्त इस समय बाल अधिनियम की बात उठायी जा रही है, मैं कहना चाहती हूं कि इस समय उनकी आयु लगभग 26 वर्ष है, इसलिए अब वे उसकी परिधि से बाहर हो गये हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ट्रायल शुरू हुआ था, उस वक्त उसकी उम्र क्या दर्ज की गयी थी? यदि वह उस समय बाल अधिनियम के अन्तर्गत आता था, तो क्या ट्रायल मजिस्ट्रेट इसका सो मोटो कागनिजेंस नहीं ले सकते थे कि वह बाल अधिनियम के अन्तर्गत आता है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जो अदालत में निर्णय हो चुका, उस निर्णय को प्रश्न करने का कि न्यायाधीश ने उनकी क्या उम्र दर्ज की क्या वर्डिक्ट दी, इसको पूछने का अधिकार मुझ को नहीं है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न में ही माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा कोई मेडिकल जांच कमेटी तय की गई थी और जिसमें श्री मेहरोत्रा का परीक्षण किया था और परीक्षण के बाद उसने श्री मेहरोत्रा को बाल अपराधी करार दिया था, क्या यह सत्य है? दूसरा जिस समय श्री मेहरोत्रा का सेशन कोर्ट में ट्रायल हो रहा था तो उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष से भी कम थी। बाल अपराधी के लिये यह आवश्यक है कि उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। अपराध के समय से ही वह बाल अपराधी थे। न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी माननीय मंत्री जी को श्री मेहरोत्रा को बाल अपराधी करार दिए जाने पर विचार करने में क्या कठिनाई है। मेडिकल परीक्षण के समय इनकी उम्र क्या थी और वह रिपोर्ट क्या है इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं इस बिन्दु का उत्तर पहले ही दे चुकी हूं। सेशन जज ने क्या सोचा, क्या समझा और क्या आर्डर दिया यह मामला मेरी परब्यू में नहीं आता है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनकी उम्र का परीक्षण किया जाये। इसमें सेशन कोर्ट का प्रश्न कहां उठता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता, बुलन्दशहर का स्थानान्तरण एवं अनियमितताओं की जांच

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड 10 श्री राजेन्द्र कुमार गोयल के विरुद्ध करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये जाने के बावजूद भी मात्र उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किए जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल प्रथम, मेरठ द्वारा अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या डी-65, दिनांक 25-7-84 द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका स्थानान्तरण मुख्यालय, बुलन्दशहर से बाहर करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो इन्हें कोई बड़ा दण्ड न देने और वही रखे जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि जुलाई, 83 में गुलावटी स्थानान्तरित होने के बावजूद भी ये जुलाई, 84 तक अनधिकृत रूप से सरकारी आवास में रहते रहे ? यदि हां, तो क्या इन पर देय स्टैण्डर्ड रेंट के लगभग 15,000 रु0 वसूल कर लिए गये ? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

यह सही नहीं है कि श्री राजेन्द कुमार गोयल सहायक अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10 के कार्यकाल की अवधि में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये । इनके विरुद्ध ऐसी कोई अनियमितायें नहीं पायी गयी हैं जिसके लिए ये किसी बड़े दण्ड के भागी हों। मध्य गंगा निर्माण खण्ड-10 बुलन्दशहर से इनका स्थानान्तरण मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-4 बुलन्दशहर को हुआ था जिसके माह जून, 84 के अन्त में विघटित होने तथा इसके कार्य की मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14 बुलन्दशहर में विलीनीकरण होने के फलस्वरूप इनकी पदस्थापना मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14 बुलन्दशहर में की गई।

यह सही है कि श्री गोयल सहायक अभियन्ता ने मध्य गंगा नहर खण्ड-10 बुलन्दशहर से मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-4 बुलन्दशहर के गुलावटी स्थित प्रथम उपखण्ड में स्थानान्तरित होने के बाद भी बुलन्दशहर स्थित राजकीय आवास को खाली नहीं किया। श्री गोयल सहायक अभियन्ता का मुख्यालय गुलावटी दिनांक 21-7-83 से 13-3-84 तक रहा और इसके पश्चात् ये चिकित्सा अवकाश पर रहे तथा दिनांक 28-7-84 से पुनः उनका मुख्यालय बुलन्दशहर रहा, अतः इस अवधि का किराया दस प्रतिशत के आधार पर मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा) द्वारा चार्ज किया गया है। मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा) को शासन द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि वे प्रश्नगत सहायक अभियन्ता से सरकारी आवास का नियमानुसार किराया वसूल करें ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ बिन्दुओं को स्वीकार किया है लेकिन एक बार बीच में, जैसा कि हमने प्रश्न में किया था, कि उक्त अभियन्ता को वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाए जाने के कारण अधीक्षण अभियन्ता ने उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट की और उसके अलावा उनका बुलन्दशहर से बाहर स्थानान्तरण किये जाने की सिफारिश भी की थी । इसके बावजूद भी उनको एक वर्ष बाद

फिर बुलन्दशहर में रखे जाने का क्या कारण है ? दूसरा, उनसे एक वर्ष का किराया कब तक वसूल कर लिया जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, उनको बुलन्दशहर से हटा-कर गुलावटी उनका स्थानान्तरण कर दिया गया था। इन पर जो स्टैंडर्ड रेन्ट, पेनल रेन्ट था, उसकी वसूलयाबी की कार्यवाही की जा रही है। कुछ धन वसूल हो गया है और बाकी शीघ्र वसूल कर लिया जायगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मंत्री जी के उत्तर के पहले भाग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने जवाब दिया है कि– ''श्री राजेन्द्र कुमार गोयल सहायक अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10 के कार्यकाल की अवधि में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाये गये । इनके विरुद्ध ऐसी कोई अनियमिततायें नहीं पायी गई हैं जिसके लिये ये किसी बड़े दण्ड के भागी हों।'' इसका मतलब यह हुआ कि उनके विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ है लेकिन किसी बड़े दण्ड का भागी नहीं पाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दोष सिद्ध हुआ है, वह क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की जा रही है? ये 21-7-83 से 25-7-84 तक नाजायज ढंग से सरकारी मकान में रहे और किराया नहीं दिया। उसकी वसूली के लिये मुख्य अभियन्ता ने अब आदेश जारी किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये आदेश कब हुए हैं और वसूली कितनी हुई है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इनके विरुद्ध 8 आरोप थे, उसमें से जो आरोप इनके खिलाफ सिद्ध पाये गये, वे बहुत माइनर नेचर के हैं और उनमें कार्यवाही की जा रही है।

(विपक्ष की ओर से ''आरोप क्या हैं'' की मांग किये जाने पर)

पहला आरोप कार्य में विलम्ब करके ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि देने में विलम्ब कराया गया, जिससे ठेकेदार ने कार्य करने से इनकार कर दिया। क्रास सैक्शन का लेविल बदल-कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करना। ये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये और न ठेकेदार को लाभ पहुं-चाने का प्रश्न उठता है। दूसरा था, अधिशासी अभियन्ता की अनुमति प्राप्त किये बगैर काम करना। इसमें भी जो काम किया गया वह निरीक्षण करने पर निर्धारित स्तर का न होने के कारण दरों में कटौती प्रस्तावित की गयी, जिसको वसूल कर लिया गया, अत: शासन को कोई हानि नहीं हुई। टैक्नीकल आडिट के द्वारा 4975 रु0 की कटौती की गयी। जो अनअथारा-इज्ड रूप से रहे हैं, उसका किराया वसूल किया जा रहा है। इसके आदेश हमने दे दिये हैं और उनकी वसूलयाबी की जा रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

कोई किराया वसूल हुआ ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

12,501.60 रु0 किराया बनता है, इसमें से 2070.50 रु0 वसूल कर लिया गया है और 10,431.10 रु0 वसूल किया जाना है।

श्री अफजाल अन्सारी–

इनके विरुद्ध बहुत ही गम्भीर आरोप थे, उनकी जांच की गयी। भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए, उनकी चरित्र पंजिका में भी प्रविष्टि की गयी और जांच अधिकारी ने संस्तुति की कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्हें जिले के बाहर कर दिया जाय। फिर क्या कारण है कि एक वर्ष के बाद पुनः उसी जनपद में भेजने का आदेश कर दिया गया और अब भी वहीं बने हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, उनको अब जनपद के बाहर ट्रान्सफर कर दिया गया है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

अपने मूल उत्तर में मंत्री जी ने लिखा हुआ पढ़ा है कि उसको पुनः 28-4-84 को बुलन्दशहर के हेड क्वाटर में भेज दिया गया है और मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं। तो मान्यवर, इसका तो उत्तर दिलवा दीजिये कि दोनों में से उनकी कौन सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये।

अपर आगरा कैनाल, मथुरा का रेगुलेशन नियंत्रण

*2–श्री सरदार सिंह तथा
श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि अपर आगरा कैनाल, मथुरा का रेगुलेशन नियन्त्रण प्रदेश सरकार हरियाणा सरकार को सौंपने जा रही है? यदि हां, तो क्यों ? प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या शासन नियंत्रण को यथावत रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार ने आगरा कैनाल के रेगुलेशन को हरियाणा सरकार को सौंपने की कोई सहमति/निर्णय नहीं लिया है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई इस तरह का प्रस्ताव मिला है कि अपर आगरा कैनाल मथुरा का रेगुलेशन नियंत्रण हरियाणा सरकार को दे दिया जाय और क्या इस संबंध में उच्च अधिकारियों की कोई वार्ता हुई थी ? क्या सरकार भविष्य में उक्त कैनाल का रेगुलेशन नियंत्रण हरियाणा को देने जा रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि यह कैनाल उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा को नहीं देने जा रही है और न यह बात प्रदेश के हित में है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या तथ्य हैं जिनकी वजह से अगर उस कैनाल का रेगुलेशन नियंत्रण हरियाणा को दे दिया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार का क्या नुकसान होगा ? आप कह रहे हैं कि आगरा कैनाल का नियंत्रण हरियाणा को नहीं दिया गया है लेकिन क्या उक्त कैनाल का मेन्टी-

नेन्स हरियाणा के हाथ में दे दिया है, क्या यह बात सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का प्रस्ताव हरियाणा सरकार का उत्तर प्रदेश की सरकार के पास आया था कि आगरा कैनाल का रेगुलेशन नियंत्रण हरियाणा सरकार को सौंप दिया जाय ? क्या इसके बारे में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई या नहीं ? यदि हुई, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

प्रस्ताव तो आते रहते हैं, बैठकें भी होती रहती हैं । लेकिन जो फाईनल निर्णय हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार आगरा कैनाल का रेगुलेशन नियंत्रण हरियाणा को नहीं देने जा रही है ।

श्री बदन सिंह–

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अपर आगरा कैनाल और लोअर आगरा कैनाल दोनों का बंटवारा कर दिया गया है । लोअर कैनाल में 51 प्रतिशत पानी है और अपर में 49 प्रतिशत पानी है । लेकिन लोअर को पानी कम मिलता है जबकि नियंत्रण अपनी ही सरकार के हाथ में है । तो लोअर आगरा कैनाल को पानी कम मिलने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह प्रश्न इस प्रश्न के परव्यू में नहीं आता है ।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव तो आते-जाते रहते हैं और बैठकें भी होती रहती हैं । तो मान्यवर, मंत्री लोग भी आते और जाते रहते हैं, यह एक अलग बात है । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में दोनों प्रदेश के उच्च अधिकारियों की क्या बैठक हुई और उसमें अपर आगरा कैनाल के किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि उनको रेगुलेशन नहीं दिया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि अगर बैठक होती है, तो उसमें किन बिन्दुओं पर विचार होता है, उनको स्पष्ट कर दें ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो निर्णय कर चुके हैं कि नहीं देना है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गांव पडरौना एवं सेवरही की सुरक्षा हेतु बांसी नदी के किनारे बांध बनवाने की मांग

*1–श्री बालेश्वर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के पडरौना और सेबरही विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव और हजारों एकड़ भूमि 1980 से 85 तक लगातार बिहार के पश्चिमी चम्पारन के पिपरासीए पिपराघाट तटबंध के टूटने से तबाह हो गयी है ? क्या

उपरोक्त दोनों क्षेत्रों की जनता को बचाने के लिए सरकार बांसी नदी के किनारे-किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर बन्धा बनायेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां, बिहार के पिपरासी तटबंध के वर्ष 1980 से 1985 तक लगातार टूटने से सेवरही विधान सभा एवं पडरौना विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्राम एवं भूमि प्रभावित हुई है ।

बांसी नदी के किनारे-किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा में बांध का बनाया जाना तकनीकी व दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक नहीं है । गण्डक नदी के किनारे पर बने वर्तमान बांध की सुरक्षा रखना आवश्यक है, जिस के लिए बिहार सरकार प्रयासरत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बालेश्वर–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश के कितने गांव और कितने एकड़ भूमि प्रभावित हुई है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, पडरौना के 21 और सेवरही विधान सभा क्षेत्र के 44 गांव प्रभावित हुये हैं ।

श्री बालेश्वर–

मान्यवर, मैं तो अलग-अलग पूछ रहा हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी गये थे उनका स्टेटमेंट आया था कि 144 गांव पडरौना और सेवरही के प्रभावित हुए हैं, तो आप अलग-अलग बतायें कि कितने गांव प्रभावित हुये हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैंने तो पहले ही बताया कि 21 गांव पडरौना के और 44 गांव सेवरही के प्रभावित हुये हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बडी गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है और बांसी नदी में करीब 10 किलोमीटर तक अन्दर घुस गयी है और पिपरासी बांध थोरी ठोकर के निकट बह गया है । माननीय राजस्व मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य भी वहां पर गये थे । जब तक उसकी मूल धारा को नहीं बदला जाता है, उत्तर प्रदेश के गांव सुरक्षित नहीं रह सकते हैं । तो क्या उत्तर प्रदेश के 115 गांव और 80 हेक्टेयर भूमि को बचाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है और बिहार सरकार की अकर्मण्यता को देखते हुये क्या उस बन्धे का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव करेगी और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड को भी अपनी संस्तुति करेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, वह बन्धा बिहार सरकार का है, और जहां तक उसको ठीक कराने का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार को बराबर लिखती रही है । कुछ काम कराया है किन्तु जो काम किया गया है वह वांछित नहीं है और इसी वजह से बंधा टूटा है । इस मसले को हमने इरीगेशन की कान्फ्रेन्स में उठाया था । इस विषय में केन्द्र के जल संसाधन मंत्री ने निर्देश भी दिया था कि इस कार्य को युद्धस्तर पर कराया जाय । किन्तु कुछ एसे कारण हैं जिनसे वह बन्धा नहीं बन पाया है और

उसका पटान हो रहा है, उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा है । इस वजह से टेक्नीकली वह बंधा बनाना सम्भव नहीं है जिसके बारे में आप बता रहे हैं।

श्री बालेश्वर–

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि सेबरही में टेक्निकल और दूरगामी परिणामों को देखते हुये प्रस्तावित बंधा बनाना सम्भव नहीं है । तो क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि हमें जानकारी है सन् 1960-61 से लेकर लगातार उस बंधे पर कार्य हो रहा है और वह टूटता आ रहा है, इसके लिये क्या आप इन दोनों विधान सभा क्षेत्रों के लोगों को बचाने के लिये बांसी नदी के किनारे-किनारे बंधा बनाने का कार्य करायेंगे, या नहीं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं अर्ज कर चुका हूं कि बांसी नदी के किनारे-किनारे बंधा बनाना टेक्निकल पौसिबुल नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने आधा स्वीकार किया है, यहां के राजस्व मंत्री भी वहां गये हुये थे । उन्होंने देखा कि 144 गांव वहां के पूरे तरीके से पानी में डूबे हुये हैं । यह स्थिति इसी वर्ष की नहीं है । यह स्थिति मुतवातिर रूप से वहां के लोगों की किस्मत के साथ खेल रही है । आपने बता दिया कि बंधा बनाना सम्भव नहीं है । किन्तु क्या कोई ऐसा तरीका आपकी सरकार ने सोचा है जिससे हर वर्ष जो 150 गांव डूब जाते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है, लोग खानाबदोश हो जाते हैं और उनको जिन्दगी जीना दूभर हो गया है । तो इसको दुरुस्त करने के लिये अगर बंधा बनाना सम्भव नहीं है तो क्या आपने कोई दूसरा विकल्प सोचा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

फिलहाल तो जो उत्तर प्रदेश सरकार को चिन्ता है वहीं बिहार सरकार को हमारे मुख्य मंत्री जी की तरफ से भेज दी गई है और वहां के मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में एक पत्र भी भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार इस बंधे को सुदृढ़ करने जा रही है । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि बांसी नदी के किनारे बंधा बनाना सम्भव नहीं है । उसके दूरगामी परिणाम यह है कि जो गन्डक नदी है वह बांसी नदी में मुख्य धारा बन जायेगी । इसलिये वह सम्भव नहीं है । इसलिये कि जो बीच का इलाका है वह हमेशा जलमग्न रहेगा । इसलिये भी बांसी नदी के किनारे बंधा बनाना सम्भव नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, स्थिति गम्भीर है, मंत्री जी स्वीकार करते हैं । यह स्थिति उत्तर प्रदेश के और बिहार सरकार के दोनों के मुख्य मंत्रियों को स्पष्ट हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि 10 किलोमीटर पिछले पांच वर्षों में वह उत्तर प्रदेश की और खिसकी है और आपने स्वीकार किया है कि बिहार सरकार ने बंधा पूरा नहीं बनाया है । इसको देखते हुये वहां की जनता के हित में इस पिपरासी पिपराघाट तटबन्ध को उत्तर प्रदेश सरकार अपने हाथ में लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्या इसे केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड को सुपुर्द करने की सोचेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह बात बराबर केन्द्रीय सरकार के लिये उत्तर प्रदेश सरकार लिखती रही है और उच्च स्तर पर भी इसके समाधान निकालने के लिये प्रयास किये जाते रहे हैं । मुख्य मंत्री स्तर तक इस सम्बन्ध में बात हुई है । मैं समझता हूं कि बिहार सरकार इसे करायेगी ।

जनपद गोरखपुर में नकवार बोहावार बांध एवं इटौवा बांध हेतु ली गयी भूमि के मुआवजे के भुगतान की मांग

*2–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के तह0 सदर के अन्तर्गत कर्रा नदी पर बने तटबंध इटौवा से ठकुराई मुन्डेरा बाजार व नकवार से बोहावार तक जिन किसानों की भूमि बंधे हेतु ली गई है उनको मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त बंधा में ली गई भूमि का भूस्वामियों को मुआवजा कब तक दे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी नहीं ।

जनपद गोरखपुर में गुर्रा नदी के किनारे नकवार बोहावार बांध एवं इटौवा बांध हेतु ली गई भूमि हेतु मुआवजे के भुगतान के संबंध में भूमि अधिग्रहण केस बना लिया गया है । मुआवजे का भुगतान भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही के पश्चात किया जायेगा ।

श्रीमती शारदा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि नकवार से बोहावार बांध को बने लगभग 8 साल हो गये उसी प्रकार इटौवा से ठकुराई मुन्डेरवा बांध को बने 15 साल हो गये जिसमें छोटे-छोटे किसानों की भूमि ली गयी और उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला तो क्या उनको ब्याज सहित मुआवजा देने का कष्ट करेंगे और जो अधिकारी इसके लिये दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

बहुत जोर से उन्होंने प्रश्न पूछा है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, नकवार बोहावार बांध जो है यह हमारे डिपार्टमेंट का बांध है इसके लैण्ड केस बना दिये गये हैं और फाइनल लैण्ड केस बनाकर 2-8-86 को भेज दिये गये हैं और शीघ्र ही इसका मुआवजा मिल जायेगा । दूसरा जो इटौवा बांध है इसको आर0 इ0 एस0 द्वारा बनाया गया है । इस बंधे के भूमि केस भी डिपार्टमेंट से भुगतान कराने के लिये लैण्ड केसेज बना लिये हैं । इसमें भी शीघ्र करा रहे हैं ।

श्रीमती शारदा देवी–

क्या उनको ब्याज दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय गौरी भइया को बुलाया है ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये दोनों बंधे किस सन् में निर्मित किये गये और आज तक उनका मुआवजा किसानों को न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या माननीय मंत्री जी उस तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित मुआवजा दिलाने के आदेश करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह जो बंधा हमारे विभाग द्वारा बना है वह काफी समय से बना हुआ है इसका मुआवजा केस बन चुका है । पैसा जल्दी दिलवा देंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा देने में जो विलम्ब हुआ है उसका भुगतान कब तक करेंगे और कब जमीन उसके लिये ली गयी । इसमें विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसमें मान्यवर, कोई अधिकारी दोषी नहीं है । इसमें लैण्ड केस बना कर भेजा गया उसमें कुछ आपत्ति आई उसका भी निराकरण करके 2-8-86 को दुबारा भेज दिया गया है। भुगतान शीघ्र करा रहे हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुआवजे की भुगतान की कोई निश्चित तिथि आज बतायेंगे कि इस तिथि तक भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि इसको शीघ्र करा रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है और बराबर इस आदरणीय सदन में उठता रहता है । भूमि का अर्जन हो जाता है लेकिन मुआवजा सालों तक नहीं मिलता । इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है, कहना मुश्किल होता है क्योंकि रैवेन्यू बोर्ड और सिंचाई विभाग दोनों का संयुक्त दायित्व होता है । इसकी नीति ही दोषपूर्ण है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस भूमि अर्जन की जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण करने की कोई कार्यवाही करेंगे । क्या इस संदर्भित प्रश्न में जो माननीया शारदा देवी जी ने उठाया है, में वर्ष 86 के अन्दर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसको दिखवालेंगे ।

[बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कर्मनाशा नहर प्रणाली के बीच भरने में अनुचित भुगतान के सम्बन्ध में सतर्कता जांच का आदेश

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर के कर्मनाशा नहर प्रणाली पर कई लाख रुपयों के बीच भरने के नाम पर किये गये अनुचित भुगतान की हो रही सतर्कता जांच से संबंधित सहायक अभियन्ता का 1984 में जनपद के बाहर किये गये स्थानान्तरण के तहत उन्हें कार्यमुक्त कर दिये जाने पर भी जनवरी, 86 तक उनके द्वारा वहां के अभिलेखों को हस्तान्तरित न किये जाने, उसमें हेराफेरी करने एवं पिछली तारीखों में की जा रही गलत भुगतान की कार्यवाही के सिलसिले में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई द्वारा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध

नोट:–नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कोई कार्यवाही न करने के कारण क्या है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही तत्काल करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

सिंचाई कार्य मंडल, मिर्जापुर के अंतर्गत कर्मनाशा नहर प्रणाली के बीच विषयक सतर्कता जांच की जानकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता सोन को पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान के पत्र दिनांक 4-11-85 द्वारा हुई। सतर्कता जांच से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता श्री राहत हुसैन का स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 2-6-84 द्वारा सिंचाई कार्य मंडल मिर्जापुर से मुख्य अभियन्ता, परिकल्प एवं शोध के संगठन में हुआ था जो प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के आदेश दिनांक 2-7-84 द्वारा 31-5-85 तक स्थगित किया गया था। संबंधित सहायक अभियन्ता का चार्ज उनके अनुपस्थित होने की स्थिति में दिनांक 1-6-85 को श्री श्रीनिवास दुबे, सहायक अभियंता द्वारा एज्यूम कराया गया । श्री राहत हुसैन, सहायक अभियन्ता ने 9-9-85 तक अभिलेख दिये । जानकारी प्राप्त होने पर कथित अनियमितताओं के संबंध में मुख्य अभियन्ता (सोन) ने अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर को जांच के आदेश दिये हैं।

अपर आगरा एम्प कैनाल, मथुरा को हरियाणा एवं राजस्थान सरकार द्वारा पानी के पैसे का भुगतान

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि अपर आगरा कैनाल, मथुरा से राजस्थान एवं हरियाणा को प्रतिवर्ष लाखों रुपये का पानी दिया जाता है और उक्त सरकारों ने पानी के पैसे का भुगतान प्रदेश सरकार को अभी तक नहीं किया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों सरकारों पर प्रदेश सरकार का कितना पैसा बकाया है और अभी तक पैसा प्राप्त न होने के कारण क्या है ? क्या शासन उक्त दोनों सरकारों को पानी न देने पर विचार कर रही है जिससे मथुरा एवं आगरा जनपदों के किसानों की आपूर्ति की जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा नहर के ऊपरी खण्ड मथुरा की विभिन्न नहरों द्वारा राजस्थान एवं हरियाणा को पानी दिया जाता है। हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों द्वारा सींचकर भुगतान किया जाता है किन्तु राजस्थान सरकार ने दिये गये पेयजल की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है। मई, 1986 के अन्त में हरियाणा सरकार एवं राजस्थान सरकार से क्रमशः 93.42 लाख रुपये एव 2795 रुपये के सींचकर का भुगतान शेष है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार को पेय जल भी दिया जाता है।

नियमानुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा नहर से दिये गये पानी के सींचकर की जमाबन्दी बनाकर राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार को भेजी जाती है । दोनों प्रदेश की सरकारें कृषकों से सींच कर वसूल कर महालेखाकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतान कर देती हैं। राजस्थान सरकार को दिये गये पेय जल से सम्बन्धित धनराशि का प्रकरण दोनों राज्यों के मध्य अभी विचाराधीन है।

हरियाणा एवं राजस्थान सरकार को पानी न देना प्रस्तावित नहीं है, चूंकि दोनों राज्यों से सींचकर प्राप्त हो रहा है। राजस्थान सरकार को पेयजल को

आपूर्ति दोनों सरकारों के बीच प्रस्तावित अनुबन्ध के अनुसार करना आवश्यक है।

गीता भवन तथा परमार्थ निकेतन के कर्मचारियों पर श्रमिक कानून लागू करना

*3–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता और गीता भवन और परमार्थ निकेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री धानानन्द भट्ट का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-2-86 गीता भवन तथा परमार्थ निकेतन कर्मचारियों पर श्रमिक कानून लागू करने के विषय में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यबाही की गयी और उक्त संस्थानों पर कब तक श्रमिक कानून लागू हो जायेंगे और उनकी मांगें कब तक मान ली जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

गीता भवन और परमार्थ निकेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का पत्र दिनांक 8-2-86 का नहीं बल्कि दिनांक 5-2-86 को प्राप्त हुआ। सेवायोजकों द्वारा अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान न किये जाने के कारण उनके विरुद्ध प्राभियोजन चलाया गया है और अन्य मांगों पर उभय पक्षों के मध्य वार्ता कराई गई । गीता भवन तथा परमार्थ निकेतन के सेवायोजकों तथा उनके कर्मचारियों के मध्य क्रमशः दिनांक 30-5-86 व 8-5-86 को विभिन्न मांगों पर आपसी समझौते सम्पन्न हो गये हैं जिससे समस्याओं का निदान हो गया है।

जनपद पिथौरागढ़ की मुनस्यारी एवं धारचूला तहसीलों में गैर जन जाति परिवारों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग

*4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के जनजाति बाहुल सीमान्त तहसीलों मुनस्यारी एवं धारचूला में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से जनजाति परिवारों को सब-सिडाइज्ड दर पर खाद्यान्न दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उसी भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति वाले इन जनजाति बाहुल तहसीलों के गैर जनजाति परिवारों को भी उसी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

भारत सरकार के निदेशानुसार पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी तथा धारचूला ब्लाक के समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जनजातीय गावों में विशिष्ट रियायती दर पर खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है । संबंधित जनजातीय गांवों के गैर-जनजातीय परिवार भी योजना के अन्तर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु क्षेत्र के अन्य गावों, जहां योजना लागू नहीं है, के किसी भी परिवार को विशिष्ट रियायती दर पर खाद्यान्न सुलभ कराया जाना संभव नहीं है। इस योजना का किसी अन्य वर्ग अथवा क्षेत्र के लिये प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि यह निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है ।

नैनीताल जिले में जमरानी नहर तथा बन्धा के निर्माण में करोड़ों रुपये के घोटाले की शिकायत एवं जांच

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जिले में जमरानी नहर तथा बन्धा के निर्माण में करोड़ों रुपये के घोटालों के बारे में भू0 पू0 राज्य सभा सदस्य श्री लाखन सिंह (रामपुर रोड) हल्द्वानी जिला नैनीताल का कोई शिकायती-पत्र (मुख्यमंत्री को सम्बोधित) जनवरी, 86 के दूसरे पखवारे में किसी दिन मिला ? यदि हां, तो पत्र में मुख्य शिकायत क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, मुख्य शिकायतें अनुबंध से दुगना एवं फर्जी भुगतान करने, मशीनों के पुर्जे बदलने के नाम पर गोलमाल करने, हल्द्वानी नगर को जमरानी नहर से भीषण खतरा होने तथा जमरानी नहर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपया हड़पने से संबंधित है।

शिकायतों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ सिंचाई विभाग द्वारा करायी गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो शासन के विचाराधीन है।

इलाहाबाद स्थित जीप इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट लि0 में सेवायोजकों द्वारा मजदूरों के शोषण संबंधी ज्ञापन पर की गई कार्यवाही

*6—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 दिसम्बर, 1985 को प्रयाग मेटल और इंजीनियरिंग यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने इलाहाबाद स्थित जीप इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट में हो रहे मजदूरों के शोषण संबंधी कोई ज्ञापन उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या आरोप थे और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

जी हां।

प्रश्नगत ज्ञापन में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि शासन मेसर्स जीप इण्डस्ट्रियल सिन्डीकेट लि0, इलाहाबाद के सेवायोजकों का पक्षपात कर रहा है, जिसके कारण उक्त प्रतिष्ठान के श्रमिकों की मांगों के संबंध में विभिन्न तिथियों पर आयोजित बैठकें स्थगित की गईं। इस बात पर भी बल दिया गया था कि वर्ष 1970 से इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों के मूल वेतन में कोई पुनरीक्षण अब तक नहीं किया गया है। अतः मांग की गई है कि इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता शीघ्र कराई जाय। इसके अतिरिक्त यह मांग भी थी कि मेसर्स न्योली शुगर फैक्टरी, जिला एटा में दिनांक 16-12-85 से चल रही हड़ताल शीघ्र समाप्त कराई जाय।

यह कहना सही नहीं है कि शासन उक्त प्रतिष्ठान के सेवायोजकों का पक्षपात कर रहा है। प्रतिष्ठान के श्रमिकों की मांगों के संबंध में विभिन्न तिथियों पर वार्ताएं आयोजित की गईं परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठकें स्थगित करनी पड़ी थीं। प्रतिष्ठान के सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य मांगों के संबंध में दिनांक 10-1-86 को समझौता हो गया जिसके परिप्रेक्ष्य में बाद में बैठक नहीं बुलाई गई। इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण आदि के संबंध में इंजीनियरिंग उद्योग का राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन दिनांक 5-7-86 को आयोजित किया जा चुका है। मेसर्स न्योली शुगर मिल, एटा में श्रम स्थिति सामान्य है।

*7—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[10वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मोदी पेंट एण्ड वार्निश वर्क मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को लाइसेन्स दिया जाना

*8–श्री कनक सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1985 के अन्त में मोदी पेंट एण्ड वार्निश वर्क मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को तिलहन तथा तिलहन उत्पादन नियंत्रण आदेश के तहत लाइसेंस देने के संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ को यह आदेश दिए गए हैं कि वर्ष 1982 से लाइसेंस दे दिया जाय ? यदि हां, तो यह उक्त आदेश नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करके क्यों दिए गए हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । संभागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा मार्ग दर्शन मांगे जाने पर दिनांक 13-12-1985 को शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए कि फर्म के द्वारा 7-12-82 को मांगे गए लाइसेंस के प्रार्थना पत्र पर "तिलहन उत्पाद (स्टोरेज कन्ट्रोल) आर्डर 1966" के अन्तर्गत लाइसेंस, निर्गत कर दिया जाय ।

लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया में उक्त नियंत्रण आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ ।

जनपद आगरा के ग्राम अकोला में खारी नदी पर बन्धा निर्माण की योजना

*9–श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में ग्राम अकोला पर खारी नदी पर बन्धा बनाए जाने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री जी को दिनांक 17 अप्रैल, 1986 में दिए पत्र के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई और बंधा कब तक बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद में ग्राम अकोला पर खारी नदी पर बंधा बनाए जाने के संदर्भ में दिनांक 17 अप्रैल, 86 को दिए गए पत्र में अंकित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया गया । सिंचाई विभाग द्वारा इस स्थल पर बन्धा बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि बन्धा बनाने से सिंचाई की कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

प्रदेश में बड़ी नहरों के आस-पास के क्षेत्र में जल रिसाव की समस्या

*10–श्री भोला सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी नहरों के बगल में जितनी भूमि पड़ी हुई है वह नहर के रिसाव के कारण खराब हो रही है जिससे वहां कोई फसल नहीं होती और बारह महीने वहां पानी भरा रहता है जिससे हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो रही है । साथ ही पानी भरे रहने के कारण मच्छर बने रहते हैं और बीमारियां फैलती हैं ? इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में जल रिसाव की समस्या से केवल मांट नहर प्रणाली, हाथरस नहर प्रणाली, आगरा नहर प्रणाली, मध्य गंगा नहर प्रणाली, रामगंगा फीडर निचली गंगा नहर प्रणाली एवं शारदा सहायक पोषक नहर, के लगभग 8500 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हैं । इसमें से केवल 2985 हेक्टेयर क्षेत्रफल ही ऐसा है जिसमें कोई फसल नहीं होती है शेष में धान की फसल की जा रही है ।

जल रिसाव की समस्या केवल उन्हीं क्षेत्रों में है जहां नहर भराव में है । इसके समाधान हेतु ड्रेनों के निर्माण के साथ-

साथ आवश्यकतानुसार रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों में नहरों में लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है ।

*11–श्री हर्ष वर्धन–

[विस्तीर्णता एवं दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

बुन्देलखण्ड के नहर की पटरी को पक्का कराए जाने की मांग

*12–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवागमन की सुविधा को देखते हुए बुन्देलखण्ड के नहर की एक तरफ की पटरियों को पक्का कराने का विचार शासन कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । सामान्यतः नहर की पटरियों को सार्वजनिक आवागमन हेतु पक्का करने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है ।

जनपद देवरिया स्थित भवन नाले से किसानों को हुई क्षति

*13–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में भवन नाले द्वारा किसानों को हुई अत्यधिक क्षति के बारे में देवरिया जिले के जिलाधिकारी के सामने दिनांक 16-12-85 को कप्तानगंज में जनता का विशाल प्रदर्शन हुआ था और जनता के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें मांग पत्र दिया था जिस पर उन्होंने उसी दिन मौका मुआइना किया था और जनता को राहत देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और भवन नाले की विनाश लीला समाप्त करने की कौन सा स्थाई समाधान किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पश्चिमी एवं पूर्वी उ0 प्र0 में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल की असमानता

*14–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली एवं मुरादाबाद मण्डल में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत कम है तथा निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् यह कमी बढ़कर आगामी पांच वर्ष में 40 प्रतिशत हो जायेगी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अंतर का क्या कारण है तथा इसे समाप्त करने के लिए सरकार अविलम्ब बरेली तथा मुरादाबाद मंडल में अतिरिक्त राजकीय सिंचाई की योजनाएं प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। सप्तम योजनाकाल के अंत तक राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में यह कमी 25 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। बरेली तथा मुरादाबाद मण्डलों में सिंचित क्षेत्र के विकास के लिये पूर्वी गंगा नहर एवम् माधोटांडा परियोजनायें तथा शारदा नहर के आधुनिकीकरण की योजना निर्माणाधीन है। इनके अतिरिक्त राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है।

विचाराधीन योजनाओं का प्रदेश शासन/भारत सरकार द्वारा अनुमोदन हो जाने के पश्चात् तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उन पर कार्य प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा।

*15–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[10वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्तमान टिहरी शहर से सरकारी कार्यालयों/ निवासियों का प्रस्तावित नये टिहरी शहर में स्थानान्तरण एवं पुनर्वासन

*16–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान टिहरी शहर से सरकारी कार्यालयों को प्रस्तावित नए टिहरी शहर में स्थानान्तरित करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं? यदि हां, तो क्या वर्तमान टिहरी नगर के नागरिकों को नए टिहरी नगर में पुनर्वासित कर दिया गया है या नहीं? यदि नागरिकों को पुनर्वासित नहीं किया गया है तो वर्तमान नगर से सरकारी कार्यालयों को नए नगर में स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी नहीं हुए हैं।

वर्तमान टिहरी नगर के नागरिकों को नये टिहरी नगर में पुनर्वासित करने के लिए विकास कार्य किये जा रहे हैं।

इस बिन्दु का उत्तर उपरोक्त बिन्दुओं में सम्मिलित है।

जनपद आजमगढ़, व देवरिया की सीमा पर स्थित ग्राम बिसुनपुरा व परसिया को घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा

*17–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें आजमगढ़ देवरिया की सीमा पर ग्राम बिसुनपुरा व परसिया के घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 8-11-85 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कटाव से सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, इस पत्र में देवरिया जनपद में बरहज के दक्षिण पार बने बांध को आजमगढ़ जनपद में बने सूर्यपुर-दुबारी बांध से जोड़ने की मांग की गई थी। यह क्षेत्र घाघरा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र (फ्लड प्लेन) में स्थित है। ऐसे क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की नीति नहीं है। तकनीकी दृष्टि से भी ऐसे क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पर कटाव से सुरक्षा हेतु कार्यवाही नहीं की गई।

प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ द्वारा विज्ञापित अवर अभियन्ता (यान्त्रिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति

*18–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग लखनऊ द्वारा विज्ञापित अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर 1986 में कितनी नियुक्तियां की गईं? अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के कितने पद रिक्त हैं? उन रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा विज्ञापित अवर अभियंता (यांत्रिक) के पदों पर 1986 में 205 नियुक्तियां की गयी हैं और उन विज्ञापित पदों के विरुद्ध 68 पद रिक्त हैं। आरक्षित पदों पर वांछित संख्या में सफल अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकीं।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक घुघली में अपूर्ण पुरैना खांडी चौरा ड्रेन का निर्माण

*19–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जिले की विकास क्षेत्र घुघली में

पुराना खंडी चौरा ड्रेन अधूरा बना है जिसके कारण कई गांव प्रत्येक वर्ष जल-मग्न हो रहे हैं? यदि हां, तो इसे पूरा न किए जाने के क्या कारण है और यह ड्रेन कब तक पूरी कर दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत ड्रेन वर्ष 1979 में पूर्ण कर दी गई थी तथा अधूरी नहीं है।

इस ड्रेन के बीच ग्राम पुरैना खांडी चौरा का ताल पड़ता है जिसमें ड्रेन की खुदाई नहीं होनी थी। अधिक वर्षा होने पर ही ताल का पूरा पानी नहीं निकल पाता है जिससे आंशिक रुप से ताल के पास का क्षेत्र प्रभावित होता है परन्तु पानी धीरे-धीरे निकल जाता है ।

जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी कारोबार में सेवारत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी

*20–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी कारोबार में सेवारत चूड़ी कटाई मजदूर और पकाई भट्ठी मजदूर एवं जुड़ाई मजदूरों को क्या न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

कांच एवं चूड़ी उद्योग में कार्यरत इन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत इस समय कोई मजदूरी दरें निर्धारित नहीं हैं । इन मजदूरों को वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3(ख) के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 12-11-82 व तदनन्तर हुए आपसी समझौतों के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

तहसीलदार, मेरठ के विरुद्ध मिट्टी का तेल ब्लैक करने के आरोप की जांच एवं कृत कार्यवाही

1–श्री राम नरेश यादव–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन तहसीलदार मेरठ के विरुद्ध लाखों लीटर मिट्टी का तेल ब्लैक करने का अपराध, वर्ष 1983 में प्रथम दृष्टतया प्रारम्भिक जांच में सिद्ध हो जाने के बाद भी उनके विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग क्यों नहीं कायम कराया गया तथा गत 2 वर्ष से यह मामला क्यों लम्बित रखा जा रहा है?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नगत तहसीलदार मेरठ के विरुद्ध मिट्टी तेल का ब्लैक करने सम्बन्धी शिकायतों पर परगनाधिकारी, मेरठ द्वारा जांच की गयी। जांच में उक्त तहसीलदार के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये वरन् नायब नाजिर द्वारा अनियमितता किया जाना पाया गया अतएव नायब नाजिर का स्थानान्तरण का कर दिया गया एवं मिट्टी तेल वितरण का कार्य सीधे परगनाधिकारी द्वारा किया जाने लगा ।

परगना मैजिस्ट्रेट की जांच आख्या में सम्बन्धित तहसीलदार के विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा नहीं बना इसलिए अभियोग नहीं चलाया गया।

2–श्री राम नरेश यादव–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त भ्रष्टाचार संबंधी इस दंडनीय प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान से न

कराकर सहायक आयुक्त राजस्व परिषद् जो उक्त तहसीलदार के रिश्तेदार हैं तथा विभागीय अधिकारी से करायी जा रही है?

श्री हुकुम सिंह–

चूंकि परगना मैजिस्ट्रेट की जांच में तहसीलदार के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुये थे इसलिये इस प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान से करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उपरोक्त मामले में राजस्व परिषद् में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी अतः उनकी जांच पुनः राजस्व परिषद् द्वारा करवायी गयी।

परिषद् में प्राप्त शिकायतों की जांच उन अधिकारियों से कराई जाती है जिन्हें वह क्षेत्र आवंटित हो। मेरठ मण्डल श्री आनन्द कुमार सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद् के क्षेत्र में आता था इसलिए प्रश्नगत शिकायत की जांच श्री आनन्द कुमार से कराई गयी। जांच में सभी आरोप निराधार पाये गये इसलिये मामला राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश के स्तर पर निक्षेप कर दिया गया जहां तक श्री आनन्द कुमार का सम्बन्धित तहसीलदार श्री राम नाथ जाटव के रिश्तेदार होने का प्रश्न है, ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं जो उपर्युक्त आरोप सिद्ध करता हो।

अधिशासी अभियंता द्वितीय, श्री रमेश चन्द्र के विरुद्ध डी0 एम0 देवरिया को सिंचाई विभाग के हड़ताली कर्मचारियों द्वारा दिये ज्ञापन

3–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री रामवली यादव तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के अध्यक्ष श्री राम त्रिपाठी को 23 अप्रैल, 85 को गिरफ्तार करने का क्या कारण था? क्या उन मांगों के समर्थन में 24 अप्रैल, 85 को सिंचाई विभाग तथा अन्य समस्त कार्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर अधिशासी अभियंता द्वितीय श्री रमेश चन्द्र के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया को कोई ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, द्वितीय देवरिया द्वारा दिनांक 8-4-85 को थाना कोतवाली पर लिखित सूचना भेजकर अभियोग संख्या-144/85 धारा 147/332/342/426/भा0 द0 वि0 विरुद्ध श्री रामबली यादव व अन्य पंजीकृत कराया गया। विवेचना में साक्ष्य उपलब्ध होने पर श्री राम त्रिपाठी को दिनांक 23-4-85 को बन्दी बनाया गया जो बाद में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया की जमानत पर मुक्त हुये।

श्री रामबली यादव को बंदी नहीं बनाया जा सका था। वे दिनांक 29-4-85 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त हुए। जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के अनुसार सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन दिनांक 24-4-85 को दिया गया जिसमें परगनाधिकारी सदर श्री एस0 के0 श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 26-4-85 को समझौता कराया गया। इस समझौते के अनुसार आन्दोलन स्थगित हो गया अभियुक्तों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

सिंचाई खण्ड द्वितीय, जनपद देवरिया के ड्राफ्टमैन श्री अछेबर प्रसाद की आत्म हत्या के कारणों की जांच

4–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जनपद के सिंचाई खंड द्वितीय के ड्राफ्टमैन श्री अछेबर प्रसाद ने वर्ष 1985 में अपने वेतन, एल0टी0सी0 तथा व्यक्तिगत अभिलेख अधिशाषी अभियंता से अपने स्थानान्तरण के बाद प्रेषित न किये जाने, भविष्य निधि से धन की स्वीकृति न दिये जाने के कारण उन्होंने ट्रेन से कट कर आत्म हत्या कर ली? क्या यह भी सत्य है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने उक्त आत्म हत्या के परिणाम स्वरूप एक सप्ताह तक आन्दोलन चलाया और आत्म हत्या के कारणों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच करायी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। पुलिस अधीक्षक, देवरिया से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अछेबर प्रसाद की मृत्यु चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिर जाने से आई चोट के कारण हुई। श्री अछेबर प्रसाद के तथाकथित आत्म हत्या के विरुदध आन्दोलन के सम्बन्ध में विभाग को कोई नोटिस (सूचना) प्राप्त नहीं हुई और न इस सम्बन्ध में विभाग को कोई प्रतिवेदन ही प्राप्त हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षतिग्रस्त गांवों के पुनर्वासन की मांग

5–श्री विष्णु देव–

क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम बरोहा, तह0 घोसी, जनपद आजमगढ़ के घाघरा नदी के कटाव से उजड़े हुए 3/4 परिवारों को बसाने के लिए बांध के उत्तर घर पटाई संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 19-8-85 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किन्तु प्रश्नगत ग्राम की पटाई का मामला संबंधित विभाग पंचायती राज विभाग को संदर्भित किया गया कि वह इसे सामान्य अथवा विशेष योजना में स्वीकृत करने पर विचार कर लें।

जनपद बुलंदशहर में निर्माणाधीन लखावटी ब्रांच नहर के भूमि का मुआवजा

6–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद बुलंदशहर में निर्माणाधीन लखावटी ब्रांच नहर का समरेखन पूर्व निर्धारित स्थान से कहीं-कहीं बदल दिया गया है ? जिससे नहर की खुदाई में ऐसी जमीन भी आ गयी है जिसका मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियोंवश किया गया तथा गलत रेखांकन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखावटी शाखा के कि0मी0 4.200 से 72 तक का भाग जनपद बुलंदशहर में आता है। इसके शीर्ष से कि0मी0 7.00 तक का समरेखन मुख्य अभियंता (मध्य

गंगा) द्वारा माह 9/79 में स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार लखावटी शाखा मध्य गंगा नहर के कि0मी0 85·200 से निकाली जानी प्रस्तावित थी । विस्तृत सर्वेक्षण एवं परिकल्प के आधार पर यह पाया गया कि इस स्थान पर लखावटी शाखा के पूर्ण जलस्तर तथा मध्य गंगा नहर के पूर्ण जल स्तर में केवल 5 सेंटीमीटर का अंतर है जो पर्याप्त नहीं है। अतः इसको मध्य गंगा नहर के कि0मी0 82·428 से निकालना प्रस्तावित किया गया तथा इस स्थान से लखावटी शाखा का समरेखन मुख्य अभियन्ता मध्य गंगा, द्वारा माह 12/80 में स्वीकृत किया गया था। लखावटी शाखा का निर्माण इसी स्वीकृत समरेखन पर किया जा रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस शाखा का निर्माण भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से भूमि अध्याप्ति करके अथवा कुछ स्थानों पर बैनामों के माध्यम से कृषकों से क्रय करके तथा उनको मुआवजा देकर किया जा रहा है। शाखा का रेखांकन गलत नहीं हुआ है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम तुलापुर बहादुरान ब्लाक भदोही जनपद वाराणसी के ग्रामवासियों द्वारा नलकूप चालक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

7—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तुलापुर बहादुरान, विकास खण्ड भदोही, जनपद वाराणसी के ग्रामवासियों का वहां के नलकूप चालक के विरुद्ध गंभीर शिकायती-पत्र दिनांक 12-6-84 मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा जिलाधिकारी वाराणसी को दिनांक 6-7-84 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता भदोही (वाराणसी) द्वारा उक्त नलकूप चालक का स्थानान्तरण दिनांक 26-6-84 को कर दिया था ? यदि हां, तो वह स्थानान्तरण कब और क्यों निरस्त कर दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियन्ता को ग्राम वासियों का पत्र दिनांक 12-6-84 तथा माननीय श्री उन्दल विधायक का पत्र दिनाक 16-7-84 प्राप्त हुआ था जिसमें शिकायतें निम्न प्रकार है:—

1—कूप चालक स्थानीय है।
2—फर्जी रकबा व फर्जी सिंचाई लिखी जाती है।
3—श्री धर्म नारायन के नाम की गई सिंचाई छोड़ दी गयी है ।
4—गुटबंदी में शामिल है।
5—बगैर पैसा के सिंचाई नहीं करते है।
6—काश्तकारों को नहीं बताते कितने खेत की सिंचाई हुई।

उक्त शिकायतों की जांच कराई गयी । कथित कूप चालक का स्थानान्तरण कर दिया गया था किन्तु जांच में आरोप सिद्ध न होने के कारण स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया । उन्हें दिनांक 11-7-86 को उस नलकूप से स्थानान्तरित कर हटा दिया गया है ।

जनपद बलिया में बैरिया टोली और बकुल्हा संसार टोला बांध के निर्माण के कारण बाढ़ से सुरक्षित भूमि की सिंचाई योजना

8—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बैरिया संसार टोली और बकुल्हा संसार टोला

बांध, जनपद बलिया के निर्माण से लगभग पचास हजार एकड़ भूमि बाढ़ क्षेत्र से बाहर सुरक्षित हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इस भूमि की सिंचाई के लिए कोई विशेष योजना बनाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बलिया में बैरिया संसार टोला एवं बकुल्हा संसार टोला बांध के निर्माण से लगभग 18,180 हे0 भूमि की बाढ़ से सुरक्षा होती है।

सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सिंचाई की नहर की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। तकनीकी दृष्टि से रेपिटी या पम्प नहर बनाना संभव नहीं है।

इस क्षेत्र में कुछ राजकीय नलकूप कार्यरत हैं, जो क्षेत्र में जल प्लावन की समस्या होने से खरीफ में नहीं के बराबर तथा रबी में दिसम्बर या उसके बाद चलते हैं। अतः इस क्षेत्र में नलकूप का कलस्टर बनाना संभव नहीं है। क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार नलकूप का निर्माण जनपद प्लान के अंतर्गत किया जा सकता है।

सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता ड्रेनेज उपखंड चतुर्थ गोरखपुर द्वारा ठेकेदारों को फर्जी भुगतान किये जाने की जांच

9–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता ड्रेनेज उपखंड चतुर्थ गोरखपुर द्वारा वर्ष 1984-85, 85-86 में हावर्ट बांध पर मिट्टी के कार्य के नाम पर ठेकेदारों को लाखों रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी फर्जी कार्य के नाम पर लाखों के अनुचित भुगतान की जांच कराकर सदन को सूचित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में सहजनवा-डुमरिया बाबू बांध पर फर्जी भुगतान की जांच की मांग

10–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को यह भी जानकारी है कि गोरखपुर जनपद में सहजनवां-डुमरिया बाबू बांध पर बिना कार्य कराये वर्ष 1984-85. 85-86 में लगभग 6 लाख रुपये से ऊपर का फर्जी तौर पर बन्धा मरम्मत एवं ऊंचा करने के नाम पर वर्क आर्डर एवं एग्रीमेंट के द्वारा भुगतान किया गया है जबकि गहासाड एवं चोरमा के पास बांध दो कि0 मी0 अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उंच साक्ष्यों के आधार पर कराकर वस्तुस्थिति की जानकारी सदन को देने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, कोई फर्जी भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में बांध मरम्मत एवं ऊंचा करने में 7.03 लाख रुपया व्यय किया गया है। गहासाड़ दवं चोरमा के पास बांध में 140 एवं 1500 मीटर की लम्बाई में बांध कट जाने के कारण गैप है।

चूंकि कोई फर्जी भुगतान नहीं हुआ है, अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

11–श्री कृष्ण कुमार–

[2रे गुरुवार में अता0प्र0 सं0 192 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

गांव भागूपुर, सिहर व शहाबगंज तह0 चकिया जिला वाराणसी के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति एवं पुनर्वासन सहायता

12–श्री राम सजीवन–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जवाहर लाल मंत्री खेत मजदूर यूनियन वाराणसी ने 21-1-86 को जिलाधिकारी वाराणसी को एक साथ तीन प्रार्थनापत्र लिखकर जानकारी कराई है कि गांव भागूपुर, अकढ़वा, सिहर व शहाबगंज तहसील चकिया, जिला वाराणसी को बंधुवा खेत मजदूर बनाकर काम कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और उनकी मुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कोई सहायता पहुंचायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

चूंकि प्रश्न में संदर्भित श्री जवाहर लाल मंत्री खेत मजदूर यूनियन के पत्र जिलाधिकारी, वाराणसी के यहां उपलब्ध नहीं हो रहे थे, अतः श्री जवाहर लाल से पत्रों की प्रति मांग करने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया। उन्होंने इनकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

जिला प्रशासन द्वारा तहसील चकिया के ग्राम भागूपुर में 10, ग्राम सिहर विकास खण्ड शहाबगंज में 9 तथा ग्राम अकोढ़वा मुतल्लके कोदोचक में 2 बन्धुआ श्रमिकों को अवमुक्त कराकर उनकी इच्छानुसार नियमानुसार पुनर्वासन सहायता देकर पुनर्वासित किया जा चुका है।

13–श्री राम सजीवन–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला वाराणसी, ग्राम सिहर, तहसील चकिया के श्री छांगुर आदि पंच हरिजनों ने 22-1-86 को जिलाधिकारी वाराणसी को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की है कि उनसे बंधुवा मजदूर के रूप में विगत कई वर्षों से काम कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उनकी मुक्ति हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सईदुल हसन–

चूंकि प्रश्न में उल्लिखित श्री छागूराम आदि का पत्र जिलाधिकारी के यहां उपलब्ध नहीं हो रहा था अतः तहसीलदार चकिया द्वारा प्रश्नगत गांव के श्री छागूराम आदि पांच व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया गया और उनसे पत्र दिनांक 22-1-86 की प्रतिलिपि मांगी गई जिस पर इन्होंने लिखित रूप से बताया कि उन्होंने दिनांक 22-1-86 को कोई ऐसा प्रार्थनापत्र नहीं दिया। फिर भी ग्राम सीहर के 9 श्रमिकों, जिनमें श्री छागूराम भी हैं, को अवमुक्त कराकर उनकी इच्छानुसार नियमानुसार पुनर्वासन सहायता देकर पुनर्वासित किया जा चुका है।

आबकारी गोदाम पडरौना, जिला देवरिया के निरीक्षक आवास निर्माण की लागत एवं उसकी जांच

14–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी पडरौना, जिला देवरिया में आबकारी का गोदाम पड़रौना में है जिसमें निरीक्षक आवास भी है ? क्या यह सही है कि निरीक्षक द्वारा अपने आवास में बिना विभागीय स्वीकृति के निर्माण कराया गया है और निर्माण कराने में काफी धन खर्च हुआ है यदि हां, तो खर्च हुए धनराशि का स्रोत क्या है तथा क्या सरकार ने कोई निर्माण के लिए धनराशि दी है ? यदि नहीं, तो निर्माण में धनराशि के लागत के बारे में जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पडरौना, जिला देवरिया में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग का देशी शराब व

भांग का एक बंधित गोदाम है, जिसमें आबकारी निरीक्षक के लिये कोई सरकारी आवास नहीं है । परन्तु उक्त गोदाम में एक अतिथि गृह है जिसमें आबकारी निरीक्षक रहते हैं । उक्त अतिथि गृह का निर्माण अनुज्ञापियों के अनुरोध पर उनके और उनके कार्यकर्ताओं के विश्राम हेतु भूतपूर्व आबकारी निरीक्षक द्वारा विभागीय स्वीकृति से माली फण्ड की धनराशि से कराया गया है । माली फण्ड में अनुज्ञापी स्वेच्छा से धनराशि जमा करते हैं । इसके निर्माण के लिये **सरकार द्वारा कोई धनराशि नहीं दी** गई । उक्त अतिथि गृह में इस समय वर्तमान आबकारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार सिंह अस्थाई रूप से उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर चार्ज के आदेशानुसार 50 रुपया प्रतिमाह किराया देकर रह रहे हैं जो माली फण्ड में जमा हो रहा है।

उपरोक्त स्थिति में कोई जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के पडरौना में ताड़ी के नीलाम से राजस्व की प्राप्ति तथा वार्षिक ब्योरा एवं नवीनीकरण आदि की जांच

15—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया के पड़रौना क्षेत्र में ताड़ी के नीलाम की वार्षिक धनराशि सन् 1983-84 तथा 84-85 व 85-86 में क्या रही है, क्या यह सही है कि वर्ष 83-84 और 84-85 से कम धनराशि में ठेका वर्ष 1985-86 में दिया गया है ? यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है अब तक नवीनीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद देवरिया के पड़रौना क्षेत्र में चार ताड़ी की दुकानों से, ताड़ी वर्ष 1983-84 में नीलाम सह वृक्षकर प्रणाली के अन्तर्गत 1,35,000 रु0 लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुआ था । तदुपरान्त इन दुकानों की व्यवस्था वृक्षकर प्रणाली के अन्तर्गत की जाने लगी । वृक्षकर प्रणाली के अन्तर्गत ताड़ी वर्ष 1984-85 में इन दुकानों से 32,950 रु0 राजस्व प्राप्त हुआ था । ताड़ी वर्ष 1985-86, जो अक्टूबर 85 से प्रारम्भ हुआ है तथा सितम्बर 86 तक चलेगा चूंकि अभी **समाप्त नहीं हुआ है, अतः इस वर्ष** में प्राप्त राजस्व का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

ताड़ी वर्ष 1985-86 अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस वर्ष में प्राप्त राजस्व का विवरण उपलब्ध नहीं है । वृक्षकर प्रणाली के अन्तर्गत ताड़ी के ठेकों का नीलाम नहीं होता, वरन् चुआये गये वृक्षों की संख्या के अनुसार कर वसूल किया जाता है। अतः नीलाम प्रणाली की अपेक्षा इस व्यवस्था में ठेके की धनराशि में कमी आना स्वाभाविक है ।

ताड़ी दुकानों का नवीनीकरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में आबकारी विभाग द्वारा तम्कूही चेक पोस्ट के अस्थायी भवन निर्माण में लगायी गयी घटिया सामग्री की जांच

16—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में आबकारी विभाग द्वारा तम्कूही राज्य में चेक पोस्ट का अस्थाई भवन निर्माण के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ और कितना खर्च हुआ ? क्या

यह सत्य है कि निर्माण में मामूली पैसा खर्च किया गया है तथा घटिया किस्म का सामान लगाया गया है और पैसा बचा लिया गया है ? क्या इसकी जांच सरकार कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आबकारी विभाग द्वारा तम्कूही चेक पोस्ट के लिए अस्थायी भवन निर्माण हेतु कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया, बल्कि कार्यालय व्यय जिसमें छोलदारी और कुर्सी, मेज आदि सम्मिलित है, के लिए वित्तीय वर्ष 1985-86 हेतु 5,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 31 मार्च, 1986 तक 2,676 रु0 खर्च हुआ ।

उक्त चेक पोस्ट पर दो झोपड़ियां लगायी गई, जिन पर 1,420 रु0 खर्च हुआ । इसके अतिरिक्त 1,256 रु0 फर्नीचर, स्टेशनरी एवं अन्य मदों में खर्च हुआ । शेष 2,324 रु0 आबकारी अधीक्षक, देवरिया द्वारा समर्पित किया गया।

चूंकि कोई अनियमितता नहीं हुई, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम भोजपुर के प्रधान श्री जगदीश प्रसाद द्वारा मिट्टी के तेल वितरण में की गई गड़बड़ी का शिकायती-पत्र

17–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने ग्राम भोजपुर पो0 खितौआ ब्लाक खुदागंज जिला शाहजहांपुर के प्रधान श्री जगदीश प्रसाद आदि का शिकायती प्रार्थना-पत्र अपनी संस्तुति के साथ दिनांक 23-1-86 को उन्हें शक्कर, मिट्टी के तेल की बिक्री की गड़बड़ी के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत को निराधार पाया गया है । सहकारी दुकानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण माह नवम्बर, 85 व दिसम्बर, 85 में विक्रेता द्वारा कुल आवंटित चीनी व मिट्टी के तेल की उठान नहीं की गयी थी ।

फर्रुखाबाद जिले के शक्कर विक्रेताओं के पास फर्जी यूनिटों के सत्यापन की जांच

18–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय जनपद फर्रुखाबाद में ऐसे कितने शक्कर विक्रेता हैं जिनके पास 2000 यूनिट से ज्यादा यूनिट हैं ? साथ ही यह भी बतायेंगे कि विगत वर्ष 1985 में कितने हजार फर्जी यूनिट जांच के दौरान पाये गये तथा क्या अभी भी फर्जी यूनिटों की संख्या कई हजारों में है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्तमान समय में जनपद फर्रुखाबाद में 303 सरकारी सस्ते गल्ले की ऐसी दुकानें हैं जिनके पास 2000 यूनिट से ज्यादा यूनिट सम्बद्ध है। विगत वर्ष 1985 में सत्यापन के समय 5009 फर्जी यूनिट्स पाये गये थे जो निरस्त कर दिये गये । फर्जी यूनिटों के सत्यापन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है ।

जनपद उन्नाव ब्लाक असोंहा की न्याय पंचायत समाधा में ग्रामवासियों को शक्कर वितरण न किए जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

19—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा की न्याय पंचायत समाधा में पिछले एक वर्ष से शकर का वितरण ग्रामवासियों को नहीं किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में अनेक शिकायती-पत्र हाकिम तहसील पुरवा को तथा ग्राम प्रधान समाधा का पत्र दिनांक 25-1-86 जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इन पर जांच की गयी और इनमें क्या पाया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

न्याय पंचायत समाधा में शक्कर के कोटेदारों एवं शक्कर वितरण का विवरण

20—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त न्याय पंचायत समाधा में वर्तमान समय में शक्कर का कोटेदार कौन है और कब से है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1 जनवरी, 85 से अब तक इस न्याय पंचायत में कितने कोटेदार रहे हैं और माहवार वितरण हेतु उन कोटेदारों को कितनी शक्कर दी गई ?

श्री हुकुम सिंह—

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के बाघला प्रखण्ड के अन्तर्गत बाघला बांध एवं यमुना पम्प नहर के मरम्मत कार्य पर हुए व्यय में अनियमितताओं की जांच

21—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के बाघला प्रखण्ड के अन्तर्गत बाघला बांध और यमुना पम्प नहर की मरम्मत का कार्य 83-84, 84-85 तथा 85-86 में कितनी धनराशि का हुआ है और इससे कितने रुपये का सिंचाई राजस्व प्राप्त होता है ? वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाघला बांध के मरम्मत कार्य पर अन्यत्र का पैसा कैसे एवं क्यों स्थानान्तरित किया गया है ? इसमें संलग्न अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनियमितता के कारण कौन सी कार्यवाही विभाग कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाघला बांध और यमुना पम्प नहर के मरम्मत पर हुए व्यय वर्षवार निम्नवत हैं—

वर्ष		बाघला बांध के मरम्मत का व्यय	यमुना पम्प नहर के मरम्मत पर व्यय
1983–84	..	81,872.16	1,11,934.30
1984–85	..	1,06,580.05	87,729.30
1985–86	..	98,481.95	1,48,182.25
	योग	2,86,934.16	3,47,845.85

फसलवार/प्रणालीवार राजस्व का विवरण वर्षवार निम्नवत है—

वर्ष/फसली	राजस्व फसल खरीफ	राजस्व फसल रबी	कुल राजस्व (खरीफ–रबी)
	बाघला बांध		
1983–84			
1391 फसली	16,564.14	20,843.20	37,407.34
1984–85			
1392 फसली	16,750.26	21,298.16	38,048.42
1985–86			
1392 फसली	20,806.37	20,390.92	41,197.29
			1,16,653.05
	यमुना पम्प नहर प्रणाली		
1983–84			
1391 फसली	1,00,415.56	1,54,614.13	2,55,029.69
1984–85			
1392 फसली	2,24,228.00	2,84,449.70	5,08,727.70
1985–86			
1393 फसली	3,20,281.11	7,10,665.89	10,30,947.00
			17,94,704.39

वित्तीय वर्ष 1985–86 में बाघला बांध की मरम्मत पर अन्यत्र मद का पैसा खर्च नहीं किया गया है। अत. किसी अधिकारी द्वारा अनियमितता किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र की फैक्ट्रियों में नियुक्त श्रमिकों की आवासीय सुविधा पर विचार

22–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर में श्रम विभाग के आकड़े के अनुसार कितनी फैक्ट्रियां हैं और उनमें कितने-कितने श्रमिक नियुक्त हैं तथा उन्हें आवासीय सुविधा के लिए सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन–

बलिया जनपद के सीयर कस्बे में श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार फैक्टरीज एक्ट, 1948 के अन्तर्गत कोई फैक्ट्री पंजीकृत नहीं है। वहां पर कुल 72 प्रतिष्ठान हैं, जो उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

से आवृत्त हैं । इन प्रतिष्ठानों में कुल 127 कर्मचारी नियोजित हैं ।

इस अधिनियम में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्राविधान नहीं है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

खाद्य एवं रसद विभाग के पूर्ति निरीक्षकों की प्रोन्नति में ज्येष्ठता का निर्धारण

23–श्री राम कृष्ण–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ति निरीक्षकों की 1979 में जारी की गई ज्येष्ठता सूची को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा सन् 1982 तथा 84 में कई वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों को विभाग द्वारा प्रोन्नतियां दी गई ? क्या उपरोक्त प्रोन्नतियों में वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों की अवहेलना करके कनिष्ठ पूर्ति निरक्षकों को प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

पूर्ति निरीक्षक का पद 15-9-70 से लोक सेवा आयोग की परिधि में है अतः प्रथम चरण के रूप में 15-9-70 से पूर्व नियुक्त पूर्ति निरीक्षकों की आद्यावधिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 14 मई, 1986 को प्रसारित की गयी है तथा द्वितीय चरण में 15-9-70 के पश्चात् नियुक्ति पूर्ति निरीक्षकों की आद्यावधिक ज्येष्ठता सूची बनाये जाने हेतु सेवा विवरणों का संकलन किया जा रहा है ।

उपलब्ध अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर ही वर्ष 1982 तथा 84 में वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति दी गयी थी ।

उक्त प्रोन्नतियों में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांकों तथा सेवा नियमावली के प्राविधानों की अवहेलना नहीं की गयी है।

गण्डक नहर खण्ड प्रथम गोरखपुर के अंतर्गत गोपाला राजबहा में अनियंत्रित पानी छोड़े जाने से रबी की फसल की बर्बादी एवं बचाने के उपाय

24–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मोढ़ा विकास क्षेत्र धुधली जनपद गोरखपुर के नागरिकों के कई शिकायती पत्र जिसमें 9-2-86 का भी है उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि गण्डक नहर खण्ड प्रथम गोरखपुर के अधीन गोपाला रजबाहा में अधिक व अनियंत्रित पानी जाने के कारण प्रत्येक वर्ष रबी की फसल डूब जाती है ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । गण्डक नहर खण्ड प्रथम, गोरखपुर के अन्तर्गत गोपाला राजबाहा में अधिक व अनियंत्रित पानी जाने के कारण ग्राम अमौढ़ा में क्षति नहीं होती, बल्कि नहर के टेल पर गण्डक समादेश द्वारा निर्मित दो टेल गूलों में से बाईं तरफ की टेल गूल ऊंची होने से पूरा पानी दाईं तरफ के टेल गूल में जाने के कारण फ्लडिंग से क्षति होती है ।

बायीं तरफ की टेल गूल को गहरा व चौड़ा करने का कार्य करा दिया गया है । इसके साथ ही टेल गूल में पानी कम पहुंचे इस हेतु गोपाला राजबाहा के कि0मी0 2–810 पर एक अस्थायी रोक लगा दी गई है, जिससे गोपाला राजबाहा से निकलने वाले अहिरौली राजबाहा में अधिक पानी एवं गोपाला राजबाहा के कि0 मी02-810 के नीचे कम पानी जाए । टेल वाल में भी सुधार कर दिया गया है जिससे अब कृषकों को कोई शिकायत नहीं रही । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया की सीमा पर स्थित ग्राम-विसुनपुरा व परसिया में घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा की मांग

25–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ देवरिया जनपद की सीमा पर ग्राम विसुनपुरा व परसिया जनपद देवरिया में घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु ठोकर निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-11-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । घाघरा नदी की मुख्य धारा जो देवरिया की ओर है व उप धारा जो आजमगढ़ की ओर है उक्त ग्राम उसके बीच स्थित है । यह सभी क्षेत्र बाढ़ परिक्षेत्र (फ्लड प्लेन) के अन्तर्गत आते हैं । अतः एसे क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की शासन की नीति नहीं है तथा तकनीकी दृष्टि से भी संभव नहीं है । इसलिए पत्र पर किसी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं पाई गई ।

26–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बस्ती के शहरी व नगर पालिका क्षेत्र में राशन की दुकानों से चावल का आवन्टन

27–कुमारी अलमेलु अम्माल–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बस्ती के शहरी क्षेत्र व नगरपालिका क्षेत्र की निर्धारित चीनी व राशन की दुकानों से चावल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितनी मात्रा में? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक शहरी तथा नगरपालिका क्षेत्र बस्ती के उपभोक्ताओं को चावल उपलब्ध कराया जायेगा?

श्री हुकुम सिंह–

बस्ती जनपद के शहरी तथा नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत चीनी व राशन की दुकानों के माध्यम से 8 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है, परन्तु स्वयं उपभोक्ताओं की ही मांग इन दुकानों पर चावल के लिये कम रही है। मांग के अनुसार सन् 1986 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, तथा अगस्त के दौरान उचित दर की दुकानों को वितरण हेतु चावल उपलब्ध कराया गया है।

टिहरी बांध परियोजना के निर्माणाधीन बांध के कारण विस्थापित परिवारों को मुआवजे/कृषि योग्य भूमि एवं पुनर्वासन की योजना

28–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में निर्माणाधीन टिहरी बांध में किन-किन गांवों को आंशिक या पूर्ण रूप से डूबने या प्रभावित होने का अंदेशा है? इन गांववासियों को किन-किन मानकों के आधार पर कितनी राशि मुआवजा क्षतिपूर्ति हेतु कब-कब दे दिया गया है तथा कितनी राशि का भुगतान किन-किन गांवों में करना शेष है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

टिहरी बांध परियोजना के निर्माणाधीन बांध के फलस्वरूप 23 ग्राम व टिहरी नगर पूर्ण डूब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आंशिक डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या 72 है। नये नगर कालोनी, व कार्यशाला हेतु लिये जाने वाले ग्रामों की संख्या जो पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे 10 है।

टिहरी बांध परियोजना से लगभग 9000 परिवार प्रभावित होंगे । पूर्ण रूप से पुनर्वासित होने वाले परिवारों की संख्या 3,500 है ।

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों की पुनर्वास योजना दो चरणों में बनाई गई है, प्रथम चरण के अंतर्गत नये टिहरी नगर क्षेत्र, कार्यशाला क्षेत्र, कालोनी क्षेत्र के ग्रामों व कार्फर डैम से पूर्ण प्रभावित 24 ग्रामों का अधिग्रहण व पुनर्वास किया जा रहा है।

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों को शासन से समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्रतिकर देय है । वर्तमान में नकद प्रतिकर लेने की दशा में भूमि का न्यूनतम प्रतिकर 40,000 रु0 निर्धारित है । कम क्षेत्र वाले भूमिहीन कृषक परिवारों को भी न्यूनतम 40,000 रु0 देय है। जिन परिवारों की प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम से अधिक है उन्हें भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अंतर्गत देय सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें अनुग्रह अनुदान तलाब भूमि के लिये रु0 12,000, अब्बल भूमि के लिये 6,000 रु0 तथा दोयम भूमि के लिये 4,000 रु0 प्रति एकड़ देय है। जो विस्थापित परिवार भूमि के बदले भूमि लेना चाहते हैं उन्हें 2 एकड़ पुनर्वास भूमि देय है। विस्थापित परिवारों के भवनों का मूल्यांकन सिंचाई विभाग व सा0 नि0 नि0 द्वारा मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। यह मूल्यांकन भवन का प्रतिकर देने का आधार है। जिस प्रकार भूमि प्रतिकर के लिए न्यूनतम देय धनराशि निर्धारित है उसी भांति भवन का प्रतिकर न्यूनतम रु0 12,000 दिया जा रहा है। भवन की उम्र के हिसाब से कम होने वाले अवमूल्यांकन को भवन की वर्तमान कीमत के बराबर करने के लिये अनुग्रह का प्राविधान है जिसकी अधिकतम सीमा 20,000-- रु0 है।

विस्थापितों को अपने सामान ले जाने के लिये विस्थापित भत्ता रु 1,500/- प्रति परिवार की दर से दिया जा रहा है। इसके अलावा भूमि के बदले भूमि लेने वाले परिवारों को 1000/- रु0 खाद बीज भत्ता के रूप में दिया जा रहा है। साथ ही भूमि/भवन को यथाशीघ्र छोड़ने हेतु 3000 रु0 प्रोत्साहन भत्ता देय है। उपरोक्त मानकों के आधार पर प्रथम चरण के विस्थापित किये गये व्यक्तियों को उनके सम्पत्ति का प्रतिकर 705 लाख रु0 भुगतान किया गया है। बिना सम्पत्ति मूल्यांकन के अवशेष प्रतिकर भुगतान किये जाने वाली राशि अभी बता पाना सम्भव नहीं है।

29—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में निर्माणाधीन टिहरी बांध में आंशिक/पूर्ण रूपेण डूबने/प्रभावित होने वाले किन-किन ग्रामों के कितने परिवारों को पुनर्वासन हेतु कृषि योग्य भूमि कहां-कहां दे दी गयी है? इस पुनर्वासन हेतु कृषि भूमि देने के लिए क्या मानक निर्धारित किये गये हैं? मानकों के आधार पर किन-किन गांवों के क्रमश: कितने-कितने परिवारों को अभी भी कृषि योग्य भूमि देय है? इस हेतु कितनी कृषि भूमि की आवश्यकता होगी? इस कार्य हेतु कब तक भूमि दे दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्ण डूब क्षेत्र के 14 ग्रामों नये टिहरी नगर के 3 ग्रामों कालोनी व कार्यशाला क्षेत्र के 7 ग्रामों (कुल 24 ग्रामों) के 1950 विस्थापित परिवारों में से 1212 परिवारों को 2-2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, 480 परिवारों को न्यूनतम नकद प्रतिकर दिया गया है, व शेष 258 परि-

वारों को उनकी स्वेच्छा के अनुसार पुनर्वासित करना शेष है ।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुनर्वास क्षेत्र मानियावाला जौली में 705 परिवारों रायवाला, जौहरा ब्लाक में 114 परिवारों सीलिंग से प्राप्त भूमि 18 परिवारों को जनपद सहारनपुर के पथरी ब्लाक में 375 परिवारों को 2-2 एकड़ भूमि देकर पुनर्वासित किया गया है अब तक कुल 1212 परिवारों को भूमि देकर पुनर्वासित किया गया है। परियोजना से विस्थापित परिवारों को शासन से निर्गत शासनादेशानुसार प्रति परिवार दो एकड़ भूमि या न्यूनतम नगद प्रतिकर वर्तमान में 40,000 रु0 दिया जा रहा है।

परियोजना के प्रथम चरण के शेष 258 परिवारों के अतिरिक्त द्वितीय चरण के शेष ग्रामों के लगभग 1530 (कुल 1808) परिवारों को पुनर्वासित करना शेष है। पथरी रो, रानीपुर रो, तथा बीमार चाय बागान की भूमि में लगभग 700 परिवार पुनर्वासित किये जायेंगे। शेष 1108 परिवारों के लिये भूमि उपलब्ध कराई जानी है। इस हेतु लगभग 2500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जिन प्रभावित परिवारों को भूमि देय है, उनकी व्यवस्था हेतु वन विभाग से भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। साथ ही निकटस्थ जनपदों में निजी व सरकारी भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि उपलब्ध होने पर आवंटन की कार्यवाही करना सम्भव होगा।

आंशिक डूब से प्रभावित क्षेत्र के लगभग 5500 परिवारों को उनकी डूब में जाने वाली सम्पत्ति का वास्तविक प्रतिकर दिया जाना प्रस्तावित है। धन की उपलब्धता के आधार पर परियोजना समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर (नैनीताल) के प्रधान प्रबन्धक द्वारा राजाज्ञा का उल्लंघन

30—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर (नैनीताल) के प्रधान प्रबन्धक द्वारा गन्ना पेराई सत्र 1982-83 तथा 1983-84 में उत्तर प्रदेश गजट नोटिफिकेशन संख्या 5457/(एस0 आई0) 36-3-(2) एच0 आई0/66 दिनांक 3 फरवरी, 1972 में प्रकाशित राजाज्ञा की अवहेलना करते हुए प्रेसमड हटाने तथा हार्ड कोक (कोयला) तुड़वाने का काम ठेकेदारी प्रथा से करवाया गया ? यदि हां, तो श्रम विभाग के अधिकारियों ने उपरोक्त राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री सईदुल हसन—

जी हां, बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर (नैनीताल) द्वारा गन्ना पेराई सत्र 1982-83 तथा 1983-84 में प्रेस मड हटाने तथा हार्डकोक तुड़वाने का काम ठेके के श्रमिकों द्वारा करवाया गया ।

आलोच्य अवधि में उक्त श्रमिकों का विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण लखनऊ तथा श्रम न्यायालय बरेली में विचाराधीन था । अतः उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी । वर्ष 1984-85 से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करते हुए उक्त कार्य मिल द्वारा नियुक्त श्रमिकों से ही करवाया जा रहा है ।

गंडक नहर निर्माण मंडल-3 गोरखपुर के सिंचाई खण्ड प्रथम, देवरिया में नियुक्त सींच पर्यवेक्षकों में अनुसूचित जाति का कोटा

31—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंडक नहर निर्माण मंडल-3 गोरखपुर के सिंचाई खण्ड प्रथम, देवरिया में 42 सींच पर्यवेक्षकों में सिर्फ 3 सींच पर्यवेक्षक ही अनुसूचित जाति के नियुक्त किये गये हैं जबकि शासनादेश के अनुसार 7 होना चाहिए ? यदि हां, तो क्या बाकी 4 जगहों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी रखे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस मण्डल के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड प्रथम, देवरिया तथा अन्य 3 खण्डों में सींच पर्यवेक्षक के स्वीकृत 42 पदों में से इस समय 39 पदों पर सींच पर्यवेक्षक कार्यरत हैं । इनमें 7 सींच पर्यवेक्षक अनुसूचित जाति के हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की शाहपुर माइनर की स्वीकृत समरेखन के अनुसार खुदाई कराने की जांच

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश निवासी पलिया, गोपालपुर, पो0 सवें, जिला हरदोई ने शाहपुर माइनर से सम्बन्धित दिनांक 11-12-85 को शासन में कोई प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में की गई शिकायतों की जांच कराने पर यह मालूम हुआ कि शाहपुर माइनर की खुदाई स्वीकृत समरेखन के अनुसार ही करायी गई है । इस संबंध में श्री राम नरेश ने न्यायालय हरदोई में याचिका दायर कर रखी है । न्यायालय के निर्णय के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

33—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ललितपुर (श्री अनिल कुमार सिंघल) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लाखन सिंह निवासी देवरी, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर द्वारा सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड ललितपुर (श्री अनिल कुमार सिंघल) के भ्रष्टाचार के सिलसिले में वर्ष 1985 में अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल झांसी मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग बुदेलखण्ड झांसी प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को शिकायतें भेजी गयीं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

लोअर खंड आगरा नहर के मथुरा स्थित सब डिवीजन द्वारा किए गये नये निर्माण कार्यों का विवरण

35—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोअर आगरा नहर के मथुरा स्थित सब डिवीजन ने वर्ष 1984-85 व 1985-86 में कौन-कौन सी नहर के रख-रखाव व नवीन निर्माण के कार्य किए गये तथा उन पर कार्य वाइज कितना-

कितना व्यय हुआ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लोअर खंड, आगरा नहर के मथुरा स्थित उपखंड ने वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में उपखंड की सभी नहरों के रख-रखाव के कार्य कराए। नवीन निर्माण का कोई कार्य नहीं कराया गया। वर्ष 1984-85 में 11.89 लाख रुपये तथा वर्ष 1985-86 में 13.25 लाख रुपये का व्यय हुआ।

व्यय का विवरण निम्न प्रकार है--

लाख रु0

क्रमांक	कार्य का नाम	सिल्ट/ठेका सफाई	तटों का सुदृढ़ीकरण	कटानों को बन्द करना	अन्य कार्य पक्के कार्यों की मरम्मत आदि	योग
वर्ष 1984-85						
1	आगरा नहर	..	0.32	..	0.09	0.41
2	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	7.03	2.01	1.61	0.83	11.48
	योग ..	7.03	2.33	1.61	0.92	11.89

लाख रु0

	वर्ष 1985-86					
1	आगरा नहर	0.15	1.27	0.40	0.30	2.12
2	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	3.84	4.33	1.54	1.42	11.13
	योग ..	3.99	5.60	1.94	1.72	13.25

अपर डिवीजन आगरा कैनाल के सहायक अभियन्ताओं द्वारा किए गये कार्यों का उप खण्डवार व्यय का विवरण

36–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर डिवीजन आगरा कैनाल के सहायक अभियन्ताओं ने अपने-अपने सब डिवीजन में वर्ष 1985-86 में कौन-कौन से कार्य नये व कौन-कौन कार्य नहर रख-रखाव के लिए किए और कार्य वाइज उन पर कितना-कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा के सहायक अभियन्ताओं ने वित्तीय वर्ष 1985-86 में जिन नहरों के रख-रखाव के कार्य सम्पन्न कराए, उनका उपखण्डवार कार्य-वार विवरण निम्न प्रकार है। नवीन निर्माण का कोई कार्य नहीं कराया गया:-

क्रमांक	उपखण्ड का नाम	नए कार्य	सिल्ट तथा ठेका सफाई का कार्य (रुपए)	तटों के सुदृढ़ीकरण का कार्य (रुपए)	जलकुम्भी, काई सिरवार निकालना, जंगल सफाई इत्यादि के कार्य (रुपए)	योग (रुपए)
1	प्रथम उपखण्ड	..	..	5,99,773	..	5,99,773
2	द्वितीय उपखण्ड	..	4,09,313	6,20,487	85,918	11,15,718
3	तृतीय उपखंड	..	2,45,018	5,42,669	1,27,393	9,15,080
4	चतुर्थ उपखण्ड	..	2,84,713	5,46,982	1,99,100	10,30,795

मांट ब्रान्च गंगा नहर, मथुरा के सहायक अभियन्ताओं द्वारा किये गये कार्यों का उपखण्ड वार विवरण

37–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रान्च गंगा नहर, मथुरा के सहायक अभियन्ताओं ने वर्ष 1985-86 में कौन-कौन से नये व कौन-कौन से कार्य नहर व नालों के रख रखाव के किये और कार्यवाइज उन पर कितना व्यय हुआ? क्या विस्तृत विवरण उप खण्ड वाइज सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा के सहायक अभियन्ताओं ने वर्ष 1985-86 में पुलों, प्रपात, रेगुलेटर, नहरों के शीर्ष हेतु लोहे के फाटक के निर्माण इत्यादि नये कार्य कराये। नहरों के रख-रखाव हेतु सिल्ट सफाई, तटों का सुदृढ़ीकरण, पक्के कार्यों की मरम्मत, काई सिरवार निकालना इत्यादि कार्य कराये गये । नालों के रख-रखाव सिल्ट सफाई, पक्के कार्यों की मरम्मत, जलकुम्भी की सफाई इत्यादि कार्य कराये गये ।

उक्त कार्यों का कार्यवार उपखण्डवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है––

	प्रथम उपखण्ड	द्वितीय उपखण्ड	तृतीय उपखण्ड	चतुर्थ उपखण्ड	योग लाख रु0
नए कार्य एवं पुनरोद्धार ..	9.47	0.62	3.40	0.91	14.40
नहरों का रख-रखाव ..	15.66	11.65	11.79	10.43	49.53
नालों का रख-रखाव ..	1.81	0.41	0.73	0.34	3.29
योग ..	26.94	12.68	15.92	11.68	67.22

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई निर्माण खण्ड मथुरा को समाप्त करने पर विचार

38–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि वित्तीय वर्ष 1985-86 में सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा में अधिकारियों/कर्मचारियों पर हुए वेतन व्यय एवं कार्यालय पर हुए व्यय की तुलना में विकास कार्य बहुत कम किया गया है ? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त खण्ड को समाप्त करने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वित्तीय बर्ष 1985-86 में सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा कार्यालय पर 10.58 लाख रुपये एवं विकास कार्यों पर 45.07 लाख रुपये व्यय हुए जो तुलनात्मक दृष्टि से उचित है । सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा के अधीन वित्तीय वर्ष 1986-87 में लगभग 90.00 लाख रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं । अतएव सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा को अभी समाप्त करने का औचित्य नहीं है ।

जनपद मथुरा में एस0 डी0 ओ0 कार्यालय खोले जाने की मांग

39–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज डिवीजन हाथरस के कार्य क्षेत्र का एक बड़ा भाग, जनपद मथुरा की मांट एवं सादाबाद तहसीलों में है ? यदि हां, तो एस0 डी0 ओ0 कार्यालय मथुरा जनपद में न खुलने के क्या कारण है ? क्या शासन अविलम्ब दो एस0 डी0 ओ0 कार्यालय मथुरा में खोलने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । ड्रेनेज खण्ड हाथरस के 4 उप खण्डों में से द्वितीय एवं तृतीय खण्डों के मुख्यालय हाथरस में है और चतुर्थ उप खण्ड का मुख्यालय अलीगढ़ में है । इन तीन उप खण्डों के कार्य क्षेत्र में ही, मथुरा जनपद की मांट व सादाबाद तहसील के सिंचाई विभाग के कार्य शामिल हैं। द्वितीय उप खण्ड में मांट व सादाबाद तहसीलों के अलावा, आगरा जनपद के भी कुछ कार्य कराये जा रहे हैं । इसका मुख्यालय हाथरस के बजाय मथुरा किये जाने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है । तृतीय उप खण्ड में, सादाबाद तहसील के तथा चतुर्थ खण्ड में मांट तहसील के अलावा, जो कार्य कराये जाते हैं, वे मथुरा जनपद की अपेक्षा क्रमशः हाथरस व अलीगढ़ से अधिक निकट है । अतः इन उप खण्डों का कार्यालय मथुरा में खोला जाना सम्भव नहीं है ।

उक्त खण्ड के जनपद अलीगढ़ में सिकन्द्रारामऊ स्थित प्रथम खण्ड उप खण्ड के कार्यक्षेत्र में मथुरा जिले का सिंचाई विभाग का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है । अतः इसके मथुरा जनपद में स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों हेतु सिंचाई कालोनी निर्माण की योजना

40–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के निवास के लिये कोई सिंचाई कालोनी निर्मित करने की योजना है ? यदि हां, तो इस के लिये कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया तथा शासन से कितना धन प्राप्त हुआ ? अभी तक निर्मित न होने का कारण क्या है ? क्या निकट भविष्य में कालोनी का निर्माण हो जायेगा ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

11.4 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

28.85 लाख रुपया धन प्राप्त हुआ है ।

कालोनी के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रगति पर है ।

कालोनी का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष तक होने की सम्भावना है ।

मांट ब्रांच गंगा नहर के चतुर्थ उपखण्ड में कम धन व्यय करने का औचित्य

41–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मांट ब्रांच गंगा नहर के चतुर्थ उपखण्ड में वर्ष 1985-86 में अन्य उपखण्डों की तुलना सबसे कम धनराशि के विकास सिल्ट सफाई, रख रखाव व नये कार्य हुए हैं ? यदि हां, तो इस उपखण्ड में सबसे कम धन व्यय करने का औचित्य क्या है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उपखण्डों के बीच कार्य का विभाजन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि विभिन्न नहर प्रणालियों के शीर्ष से लेकर अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी का वितरण सुचारु रूप से हो । फलस्वरूप जिस उपखण्ड में कम नहरें व नाले होते हैं उसमें व्यय भी कम होता है । चतुर्थ उपखण्ड में नहरों व नालों की लम्बाई मांट ब्रांच खण्ड गंगा नहर मथुरा के अन्य उपखण्डों की तुलना में सबसे कम है अतः सबसे कम व्यय हुआ ।

जनपद मथुरा में यमुना नदी पर निर्माणाधीन गोकुल बैराज लागत एवं कार्य शुरू कराये जाने की मांग

42–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में यमुना नदी पर गोकुल बैराज का निर्माण प्रारम्भ करने हेतु शासन ने एक करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर दिये हैं ? यदि हां, तो इस पैसे का उपयोग कब से शुरू कर दिया जायेगा और कैसे ? शासन ने बैराज बनाने का दायित्व किस एजेन्सी को सौंपा है तथा बैराज कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और कुल लागत क्या होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मथुरा जनपद में यमुना नदी पर गोकुल बैराज का निर्माण प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय वर्ष 1986-87 में पांच करोड़ रुपये नगर विकास विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है । विस्तृत अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण होने व नगर विकास विभाग की स्वीकृति के बाद ही कार्य आरम्भ हो सकेगा । कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है । बैराज के निर्माण में लगभग 3 वर्ष का समय लगने का अनुमान है तथा कार्य की कुल अनुमानित लागत लगभग 2466.80 लाख रुपये है।

मेसर्स सिंह मेटल्स पार्टनर प्रदीप कुमार सिंह निवासी राजदेवपुर, पो0 रौंजा, जिला गाजीपुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिया गया निर्णय

43–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सिंह मेटल्स पार्टनर प्रदीप कुमार सिंह निवासी राजदेवपुर, पो0 रौंजा, जिला गाजीपुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये

सचिव, सिंचाई विभाग, लखनऊ के संबंध में दिनांक 4-11-85 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्या निर्णय दिया गया है ? क्या उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रश्नगत निर्णय के विरुद्ध सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 4-3-86 तक कोई सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया है ? उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रश्नगत निर्णय को उ0 प्र0 सिंचाई विभाग ने 4-3-86 तक क्रियान्वित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4-11-85 को मेसर्स सिंह मेटल्स पार्टनर प्रदीप कुमार सिंह निवासी राजदेवपुर पो0 रौंजा, जिला गाजीपुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 12-3-85 को नलकूप खंड गाजीपुर के केन्दीय भंडार पर हुई जले हुए तांबे के तारों की नीलामी के मामले में विभाग द्वारा उनको निर्णय हस्तगत कराये जाने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर रय करने का निर्णय दिया गया ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली की कोटवा माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

44–श्री शारदा प्रताप –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत जौनपुर ब्रांच से माझागांव निरीक्षण गृह के समीप निकाली गई कोटवा माइनर हेतु कतिपय कृषकों की भूमि वर्ष 1976 में अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित कृषकों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित कृषकों को कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । अध्याप्ति की गयी भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन प्रस्ताव पर धारा–4(1) की विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है तथा धारा–6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन की कार्यवाही प्रगति में है । धारा–6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से कृषकों को मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखनऊ के ग्राम सभा हरिहरपुर में निर्मित नलकूप द्वारा सिंचाई एवं उससे प्राप्त आय

45–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा हरिहरपुर, जनपद लखनऊ में कोई नलकूप लगा है? यदि हां, तो उक्त नलकूप का निर्माण कब हुआ और निर्माण कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया? निर्माण होने के पश्चात् नलकूप कितने समय तक चालू हालत में रहा तथा वर्ष 1980 से वर्ष 1985 तक इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी तथा उससे सरकार को कितनी आय हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

लखनऊ जनपद के ग्राम हरिहरपुर में कूप नम्बर 209 लखनऊ समूह का छिद्रण वर्ष 1981-82 में हुआ, नलकूप के अन्य निर्माण कार्य 1985-86 तक पूर्ण हुये तथा निर्माण कार्यों पर कुल व्यय 3.63 लाख रुपया हुआ ।

नलकूप रवी 1985-86 में कार्यरत हुआ कार्यरत होने के पश्चात से नलकूप दिनांक 20-1-86 से 2-2-86 तक ट्रांस-फारमर के खराब हो जाने के कारण एवं 9-2-86 से 22-2-86 तक पम्प सेट में दोष के कारण बन्द रहा तथा इन दिनों को छोड़ते हुये नलकूप रवी 1985-86 में चालू हालत में रहा है। नलकूप द्वारा रवी 1985-86 में 12.76 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की गई जिससे 815.04 रुपये का सींच राजस्व प्राप्त हुआ।

जनपद नैनीताल में जमरानी बांध निर्माण कार्य सम्बन्धी गोला बैराज (काठगोदाम) गूलरभोज तक निर्मित नहर की मरम्मत में घपले की शिकायत

46—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल में जून, 1979 से जमरानी बांध निर्माण कार्य सम्बन्धी गोला बैराज (काठगोदाम) गूलरभोज तक बनायी गयी 13 कि0मी0 लम्बी नहर में आठ करोड़ रुपये में से चार करोड़ रुपये का घपला होने विषयक श्री चरणजीत सिंह निवासी सिंधी भवन, मुखानी, हल्द्वानी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, का दिनांक 21-11-85 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

यह नहर गोला बैराज काठगोदाम से गूलरभोज तक बनायी गयी। इसकी लम्बाई 31.3 कि0मी0 है तथा इसके निर्माण पर 8.00 करोड़ नहीं बल्कि केवल 2.43 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। गतवर्ष स्टेट बैंक हल्द्वानी के निकट उक्त नहर क्षतिग्रस्त हो गयी थी जिसकी मरम्मत सुचारु रूप से करवा दी गयी। शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 25-11-85 को शिकायतकर्ता के साथ संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने उक्त मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया तथा हो रहे कार्य को सही पाया। अतः शिकायत निराधार पाई गई।

उत्तराखंड के जनपदों में लीसा कार्य में लगे मजदूरों की न्यूनतम दरें

47—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखंड (पर्वतीय सभी आठों जनपद) में लीसा निकालने के कार्य में अनेक वर्षों से लीसा मजदूर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो लीसा निकालने हेतु पेड़ में घाव चलाने लीसा को बर्तनों में भरने, लीसा बर्तनों (टिनों) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की तकनीकी तथा साधारण मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने दिनांक 1 मई, 86 तक क्या-क्या मजदूर लाभ योजना/कार्यक्रम बनाकर लागू किये हैं ? यदि नहीं, तो श्रम विभाग ने इस विषय में अब तक क्या पहल की है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इदुल हसन—

जी हां। यह नियोजन अनुसूचित नियोजन में आता है। श्रम विभाग ने अधिसूचना संख्या-1728/36-3-1018/एम0 डब्लू/75, दिनांक 12-6-81 द्वारा इस नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की हैं जिसके अंतर्गत लीसा छपेन कार्य हेतु पर्वतीय क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों के लिए 10 रु0 तथा कुशल श्रमिकों के लिए 12 रु0 दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ योजना अथवा कार्यक्रम नहीं है।

48–श्री काशी सिंह ऐरी–

[द्वितीय सत्र 86 के 1ले गुरुवार में अता0प्र0सं0 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

49–श्री काशी सिंह ऐरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला अंतर्गत ढोतू खेड़ा जौलजीवी गोरी नदी के किनारे दिवाल के निर्माण में अनियमितता की जांच

50–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला अन्तर्गत ढोतू खेड़ा जौलजीवी गोरी नदी के किनारे दिवाल का निर्माण मूल रूप से कब कितनी धनराशि से सम्पन्न हुआ ? अब इस दिवाल के टूटने पर इसकी मरम्मत नये सिरे से निर्माण कब कितनी धनराशि से पूर्ण करा दिया जायगा? इस प्रकार के अत्यंत कमजोर कार्य हेतु किस-किस अधिकारी को दंडित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जौलजीवी ढोतूखेड़ा जनपद पिथौरागढ़ तहसील धारचूला के अंतर्गत काली तथा गोरी नदियों के संगम पर स्थित है । गोरी नदी के बाएं किनारे पर ऊपर की ओर कटाव निरोधक कार्य कराये गये जिन पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया :–

वित्तीय वर्ष	लागत (लाख रु0 म)	कटाव निरोधक कार्य की लम्बाई जो निर्मित हुई (मीटर में)
मूल निर्माण कार्य		
1961–62	0.81	274
1965–66	1.04	326
1966–67		
आपातकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत		
1982–83	0.44	62
1984–85	0.40	52
कुल योग ..	2.69	714

उपरोक्तानुसार कुल 2.69 लाख रुपये व्यय करके 714 मीटर दिवाल बनाई गई। यह दिवाल पूर्णतया सुरक्षित है । अतः उसकी मरम्मत व नये सिरे से निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है । कार्य में कोई कमजोरी नहीं है । अतः किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र लिपिक, उन्नाव खण्ड, उन्नाव के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

51–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई से स्थानान्तरित श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक उन्नाव खण्ड उन्नाव के विरुद्ध दि0 3 अप्रैल, 1986 में कु0 मानवेन्द्र सिंह विधायक का शिकायती पत्र सचिव, सिंचाई, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ ? शिकायती पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 3-4-86 प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि सलग्न) जिस पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:–

1–श्री विशेश्वर दयाल मिश्रा, लिपिक को हरदोई खण्ड, शारदा नहर हरदोई से उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया था।

2–कार्यभार मुक्ति की तिथि एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि के मध्य श्री विश्वेश्वर दयाल मिश्रा चिकित्सा अवकाश पर रहे।

3–शासनादेश संख्या-14/1/1984-कार्मिक-2, दिनांक 17-4-84 व 8-4-85 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

4–प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नये तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने पर ही अवकाश स्वीकृत किया गया।

5–प्रश्न नहीं उठता।

6–प्रश्न नहीं उठता।

7–प्रश्न 56 का उत्तर दिया जा चुका है।

8–प्रश्न नहीं उठता।

9–श्री मिश्र, लिपिक को हरदोई खंड शारदा नहर, हरदोई से स्थानान्तरित किया जा चुका है।

10–खण्डीय लिपिकों के पद मण्डलीय संवर्ग में आते हैं तथा साधारणतया इनका स्थानान्तरण मण्डल में ही किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 127 पर)

जिलापूर्ति अधिकारी झांसी द्वारा फर्जी ट्रेजरी चालान जारी किये जाने की जांच

52–श्री कनक सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, झांसी के कार्यालय का आडिट होने के उपरान्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार फरवरी, 1985 से जनवरी, 1986 तक फर्जी ट्रेजरी चालान के आधार पर 76 हजार रुपये का खाद्यान्न जारी किया गया है? यदि हां, तो अब तक खाद्य सचिव द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां, आडिट पार्टी द्वारा 18 फर्जी चालानों पर रु0 76,400 मूल्य का खाद्यान्न वरिष्ठ हाट निरीक्षक, झांसी के गोदाम से दिनांक 3-8-85 से 28-12-85 तक की अवधि में उठाये जाने का मामला दिनांक 28-1-86 को प्रकाश में लाया गया।

तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी, झांसी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

फूलडेहरा नाला सिंभावली जनपद गाजियाबाद की मरम्मत का फर्जी भुगतान

53–श्री कनक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 19-5-85 को एक प्रार्थना-पत्र श्री भगत सिंह, वरिष्ठ सहायक ने अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद को सिंभावली के पास फूलडेहरा नाला पुरुद्धार में एक लाख के फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में दिया गया था? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंभावली के पास फूलडेहरा नाले के पुनरोद्धार में एक लाख रुपये के फर्जी भुगतान से सम्बन्धित श्री भगत सिंह वरिष्ठ सहायक का दिनांक 19-5-85 का कोई प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद को प्राप्त नहीं हुआ। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग गाजियाबाद के विरुद्ध श्रमिकों के शोषण का आरोप

54–श्री कनक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 4-4-85 को एक प्रार्थना पत्र श्री भगत सिंह पुत्र श्री हरस्वरूप, न्यू आर्य नगर, हापुड़ ने शासन एवं चन्द्रपाल जी ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को श्री रमाकान्त वर्मा, अधिशासी अभियन्ता द्वारा भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के कार्य आदेशों एवं ठेकेदारों से कार्य कराकर मजदूरों के शोषण एवं सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के विषय में देकर किया था? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायतीपत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई विभाग के माध्यम से कराने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्भागीय खाद्य नियन्त्रण झांसी के अधीन कार्यरत वेतन आहरण एवं वितरण नियन्त्रण अधिकारी के विरुद्ध गबन के आरोप एवं निलम्बित करने की मांग

55–श्री कनक सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संभागीय खाद्य नियंत्रण, झांसी के कार्यक्रम में 20 हजार रुपये के लगभग गबन पाया गया है जिसमें श्री अनिल कुमार सचान, कैशियर को माह दिसम्बर, 1985 में निलम्बित किया गया तथा गबन की धनराशि भी श्री सचान द्वारा जमा कर दी गयी है? क्या यह सच है कि खाद्य सचिव द्वारा वेतन आहरण एवं वितरण नियंत्रण अधिकारी को वित्तीय नियमों के अनुसार निलम्बित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

संभागीय खाद्य नियंत्रक, झांसी के कार्यालय की कैश बुकों के सम्प्रेक्षण में मुख्य लेखाधिकारी (मु0) खाद्य तथा रसद विभाग उ0 प्र0 लखनऊ की आडिट पार्टी द्वारा रुपये 20,058.90 का गबन पाया गया है, जिसमें से रु0 100/- सेवा निवृत्त कैशियर श्री बी0 आर0 पाण्डेय से संबंधित है, जिनसे वसूली की कार्यवाही चल रही है तथा रु0 19,958.90 श्री अनिल कुमार सचान, कैशियर से संबंधित है, जिसके लिए उन्हें संभागीय खाद्य नियंत्रक, झांसी के

आदेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1985 द्वारा निलम्बित करके क्षेत्रीय लेखाधिकारी, झांसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। श्री सचान द्वारा उपरोक्त गबन के विरुद्ध रु0 17,000/- स्वतः जमा कर दिये गये हैं। उपरोक्त गबन जिन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ है, उनमें से श्री आर0 डी0 श्रीवास्तव तथा श्री एस0 के0 गुप्ता, जिनके कार्यकाल में क्रमशः रु0 100/- तथा 40/- का गबन हुआ है, के विरुद्ध उनके सेवा से निवृत्त हो जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, जबकि श्री इतवारी लाल व श्री कन्हैया लाल, जिनके कार्यकाल में क्रमशः रु09607.30 तथा रु0 10,311.60 का गबन हुआ है, के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 रूल्स के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस विभागीय कार्यवाही में श्री हरि माधव शरण, संयुक्त सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0 प्र0 शासन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

मेसर्स अम्बे फ्लोर मिल, के विरुद्ध फर्जी मुकदमे की जांच

56–श्री कनक सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स अम्बे फ्लोर मिल, गाजियाबाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा फर्जी दर्ज कराया गया था जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने धारा 6–ए के अन्तर्गत अपना निर्णय दिया है? इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

दिनांक 7-10-84 को हाट शाखा के कर्मचारियों द्वारा संभागीय विपणन अधिकारी मेरठ की देख-रेख में निरीक्षण किया गया व दिनांक 9-10-84 को विपणन निरीक्षक, प्रभारी मिलिंग गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिलाधिकारी गाजियाबाद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के तहत दिये गये "कारण बताओ नोटिस" को अपने आदेश दिनांक 12-2-85 द्वारा निरस्त कर दिया तथा मिल में पाया गया समस्त स्टाक (गेहूं व गेहूं उत्पाद) भी मिल के पक्ष में रिलीज कर दिया। इसी संबंध में विपणन निरीक्षक को दिनांक 27-3-85 को उक्त केस की विधिवत् पैरवी न करने के लिए "कारण बताओ नोटिस" दिया गया जिसका उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें दिनांक 3-7-85 को भविष्य में अधिक जागरूक रहने हेतु कठोर चेतावनी दी गयी।

मुजफ्फरनगर कोल्ड स्टोरेज में अनियमित गुड़ संग्रह के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

57–श्री कनक सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर कोल्ड स्टोरेज, मुजफ्फरनगर में श्री बुद्धपाल विधायक, बुलन्दशहर के पत्र पर वर्ष 83-84 में गुड़ संग्रह के सम्बन्ध में खाद्य सेल द्वारा जांच की गयी थी? जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

मैसर्स मुजफ्फरनगर कोल्ड स्टोरेज मुजफ्फरनगर में अनियमित गुड़ संग्रह के सम्बन्ध में माननीय बुद्धपाल सिंह,

विधायक, बुलन्दशहर का एक शिकायती पत्र दिनांक 12-6-84 शासन को प्राप्त हुआ था, जिस पर खाद्य पुलिस प्रकोष्ठ से जांच करायी गयी। जांच में दोषी पाये दो अधिकारियों एवं एक कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।

उ0 प्र0 के उप-क्षेत्रायुक्त संराधन अधिकारियों तथा लेबर इन्सपेक्टरों के रिक्त स्थानों पर चयन की मांग

58–श्री कनक सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ0 प्र0 के उप क्षेत्रायुक्त संराधन अधिकारियों तथा लेबर इन्सपेक्टरों के कितने स्थान रिक्त हैं? सरकार कब तक इसको पूरा करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

उप श्रमायुक्त के 3, संराधन अधिकारी के 17 तथा श्रम निरीक्षक के 83 पद रिक्त हैं। उप श्रमायुक्त, श्रम/संराधन अधिकारी के पदों पर नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन क्रमशः पत्र दिनांक 16-2-85 तथा पत्र दिनांक 30-9-85 द्वारा भेजे जा चुके हैं। श्रम निरीक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु श्रमायुक्त द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है। चूंकि आयोग से नियमित चयन में समय लगने की सम्भावना है अतः उप श्रमायुक्त एवं संराधन अधिकारी के उक्त पदों को तथा श्रम निरीक्षक के विभागीय कोटे के लिए आरक्षित पदों को तदर्थ आधार पर प्रोन्नति करके भरने की कार्यवाही भी की जा रही है।

ट्रेड यूनियन एवं कार्यकारिणी का रजिस्ट्रेशन

59–श्री कनक सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि ट्रेड यूनियन एवं कार्यकारिणी के रजिस्ट्रेशन होने में अनेकों वर्ष का समय लग जाता है? यदि हां, तो शीघ्र रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

ट्रेड यूनियन एवं कार्यकारिणी के रजिस्ट्रेशन में सामान्यतः अनेक वर्षों का समय नहीं लगता। वांछित औपचारिकतायें पूरी होने पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

रामपुर नहर खण्ड के अधिक्षेत्र में स्थित कच्ची नहरों के रख-रखाव पर व्यय

60–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में रामपुर केनाल खण्ड के अधिकार क्षेत्र में स्थित कच्ची नहरों मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी तथा माइनर सहित की कुल लम्बाई कितनी थी? उक्त वर्ष में उन नहरों के रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया तथा उस वर्ष रामपुर नहर खण्ड द्वारा उस धन से कितने मानव दिवस कार्य उक्त नहरों की सफाई तथा रखरखाव के लिए कराया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में रामपुर नहर खण्ड के अधिक्षेत्र में स्थित कच्ची नहरों की कुल लम्बाई 805-769 कि0मी0 थी। उक्त वर्ष में नहरों के रख-रखाव पर कुल रु0 13,04,476-07 पैसे व्यय हुआ। नहरों की सफाई तथा रख-रखाव के लिए मानव दिवस कार्य का विवरण रखे जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

रोहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली के नहरों की रख-रखाव एवं सफाई पर व्यय

61—जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में रोहेलखण्ड केनाल खंड बरेली के अधिकार क्षेत्र में स्थित कच्ची नहरों (मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी तथा माइनर सहित) की कुल लम्बाई कितनी थी ? उक्त वर्ष में उन नहरों के रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया तथा रोहेलखंड नहर खंड द्वारा उस धन से कितने मानक दिवस कार्य उक्त नहरों की सफाई तथा रखरखाव के लिए कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1985-86 में रोहेलखड नहर खंड, बरेली के अधिकार क्षेत्र में कुल 1277 किलोमीटर नहरें थीं । उक्त वर्ष में नहरों के रख-रखाव पर कुल 16.89 लाख रुपए व्यय किए गए । नहरों की सफाई तथा रख-रखाव के लिए मानव दिवस कार्य का विवरण अलग से रखे जाने की प्रथा नहीं है बल्कि यह कार्य ठेकेदारों से स्वीकृत दर सूची के अनुसार कराया जाता है।

62—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में रोहेलखंड नहर खण्ड बरेली के अधिकार क्षेत्र में स्थित कच्ची नहरों (मुख्य नहर, डिस्ट्रीब्यूटरी तथा माइनर सहित) की कुल लम्बाई कितनी थी ? उक्त वर्ष में उन नहरों के रखरखाव पर कितना धन व्यय किया गया था रोहेलखंड नहर खंड द्वारा उस धन से कितने मानव दिवस कार्य उक्त नहरों की सफाई तथा रखरखाव के लिए कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 72-73 में रोहेलखंड नहर खंड, इरेली के अधिकार क्षेत्र में कुल 1581.278 कि0मी0 लम्बी नहरें थीं । उक्त नहरों के रख-रखाव पर वर्ष 1972-73 में कुल 13.54 लाख रुपए व्यय किए गए थे । नहरों के रख-रखाव के कार्य विभागीय पद्धति के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से कराए गए जिसमें मानव दिवस के सृजन का रिकार्ड नहीं रखा जाता है बल्कि कृत कार्यों का भुगतान स्वीकृत दर सूची के अनुसार सीधे ठेकेदारों को किया जाता है।

मेसर्स भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड देवलथल, पिथौरागढ़ में कार्यरत मजदूरों को बोनस देने की मांग

63—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल नामक स्थान में भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में वर्षवार कुल कितने मजदूर कार्यरत हैं ? इन्हें वर्षवार कितने-कितने प्रतिशत बोनस दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

मेसर्स भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड देवलथल, पिथौरागढ़ में अभी कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है । अतः मजदूरों के कार्यरत होने तथा उन्हें बोनस दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निर्मित कमेटी द्वारा लाइसेंसों का आवंटन

64—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दिए जाने वाले व्यक्तिगत फुटकर सस्ते गल्ले के लाइसेंस जारी करने के लिए जिला स्तर पर खाद्य विभाग की कोई कमेटी कार्यरत है ? यदि हां, तो उन्नाव जिले में उक्त

कमेटी कब बनी और उसकी कितनी बैठकें हुई ? इन बैठकों में पारित प्रस्तावों में किन-किन लोगों को लाइसेंस आवंटित किए गए हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

उन्नाव जिले में यह कमेटी दिनांक 7-10-1985 को बनी । कमेटी की एक बैठक दिनांक 23-12-85 को तथा दूसरी बैठक दिनांक 11-6-86 को हुई । दिनांक 23-12-85 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित छः व्यक्तियों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के लाइसेंस दिये गये ।

1–श्री रामकृष्ण अवस्थी, बेहटा देवारा कलां ।

2–श्री राम सेवक, टीकरगढ़ी, चांदपुर।

3–श्री मुन्नी लाल, बल्लापुर (हरिजन)।

4–कृष्ण लाल, उत्मानपुर (हरिजन) ।

5–मंशा राम, रूरी सादिकपुर (हरिजन)।

6–मुशर्रफ हुसैन, हसनगंज ।

बैठक दिनांक 11-6-1986 में पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित 22 स0 सस्ते गल्ले की दुकानों को लाइसेंस दिये गये ।

1–के0 उप0 भण्डार आवास विकास, उन्नाव ।

2–श्री नफीस अहमद तारगांव, विछिया

3–श्री मनीश कुमार दोस्तीनगर, उन्नाव

4–श्री कल्लू, मिर्जापुर औरास

5–श्री रूदान कुरील, परसेहरा, औरास

6–श्री छोटे लाल मांझी, मियागंज

7–अशोक कुमार औरास, औरास ।

8–श्री ज्ञान शंकर मिर्जापुर, हसनगंज ।

9–श्री विमल कुमार असीवन मियांगंज।

10–श्री महेन्द्र सिंह, बल्लापुर गंजमुरादाबाद ।

11–श्री श्रवण कुमार, ब्यूली इस्लामाबाद गंजमुरादाबाद ।

12–श्री शिव गोपाल भवई भान, सुमेरपुर ।

13–श्री शिवकुमार छतरापुर, बांगरमऊ ।

14–श्री अवधेश कुमार, जाजामऊ फतेहपुर ।

15–श्री देशराज खानपुर सुरौली, फतेहपुर 84,

16–श्री गुरू दत्त पाटन सुमेरपुर

17–श्री पुष्पेन्द्र भगवन्तनगर सुमेरपुर ।

18–श्री घसीटे हिलौली, हिलौली

19–वसीम खां, रूभई बीधापुर

20–श्री बाबूलाल, मौसी खेड़ा असोहा।

21–राधेश्याम भवई हिलौली ।

22–श्री वीरेन्द्र सिंह, तमगापुर सुमेरपुर ।

मुख्य लिपिक श्री नूर अहमद, कार्यालय शारदा सहायक खण्ड 36, जनपद जौनपुर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच

65–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड 36 कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री नूर अहमद ने सन 1985 में मेसर्स एन0 के0 पेपर ट्रेडर्स शाह मदार जौनपुर से स्टेशनरी अधिक मूल्य पर खरीदकर फर्जी बिल एवं रसीदों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया है? क्या स्टेशनरी जिसमें तीन बड़े पेपर एवं कार्बन आदि

खंडीय कार्यालय को आवंटित किया गया है ? क्या रजिस्टर का प्रतिमाह अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर द्वारा निरीक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर के कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री नूर अहमद ने सन् 1985 में मेसर्स एन0 के0 पेपर ट्रेडर्स शाह मदार जौनपुर से कोई भी स्टेशनरी क्रय नहीं की है और न ही उनके द्वारा कोई बिल एवं रसीद के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार स्टेशनरी रजिस्टर का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाता है ।

जनपद जौनपुर सोनउरा द्वितीय कैनाल का हेड नीचा व टेल ऊंचा होने से कतिपय गांवों को सिंचाई में असुविधा

66–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर सोनउरा द्वितीय कैनाल का हेड नीचे तथा टेल ऊंचा होने की वजह से ग्राम बखसपुर बेलवा नसीरूद्दीन देवरिया आदि वि0खं0 बक्शा जौनपुर की सिंचाई नहीं हो पाती तथा उक्त पम्प कैनाल के रिसाव से ग्राम छंगापुर के किसान सिड़न की वजह से खेती नहीं कर पाते है ? क्या उचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद जौनपुर के 15 क्यूसेक्स सोनोरा द्वितीय पम्प नहर का हेड नीचे व टेल ऊंचा होने की वजह से नहीं अपितु विद्युत उपलब्ध की कमी से पानी ग्राम बखतपुर बैलवा, नसीरुद्दीनपुर, देवरिया जो पम्प नहर के टेल पर स्थित हैं, में सुचारु रूप से नहीं पहुंचता है । ग्राम छंगापुर के पास 600 मीटर लम्बे क्षेत्र में नहर की पुनः लाइनिंग की आवश्यकता है, जिसे डी0 आर0 डी0 ए0 से ग्रान्ट लेकर बनाने का विचार है ।

जनपद जौनपुर की सराय हरखू ड्रेन विकास खण्ड बक्शा का निर्माण

67–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सराय हरखू ड्रेन विकास खण्ड बक्शा जनपद जौनपुर का निर्माण पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सराय हरखू ड्रेन विकास खण्ड बक्शा जनपद जौनपुर का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत काश्तकारों द्वारा स्वेच्छा से भूमि दिये जाने की स्थिति में प्रारम्भ किया गया था परन्तु बाद में काश्तकारों द्वारा निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया गया । वर्तमान में काश्तकार पुनः स्वेच्छा से भूमि देने के लिए सहमत हो गये हैं तथा नाले का यथासम्भव निर्माण कार्य प्रगति में है ।

जनपद जौनपुर की विकास खण्ड बक्शा में गौरा माइनर शाखा सहायक खण्ड-36 में पानी की आपूर्ति

68–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में विकास खण्ड बक्शा जौनपुर में गौरा माइनर शाखा सहायक खण्ड 36 तथा गौरा पम्प कैनाल नलकूप रख

रखाव द्वारा बनवाया गया है तथा दोनों का टेल एक है जबकि कैनाल के कारण माइनर से पानी नहीं भेजा जाता है और कैनाल खराब होने की वजह से पूरी नहर **ध्वस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक** ठीक करा कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

गत वर्ष से नहर में अधिक पानी उपलब्ध **होने के कारण अब गौरा माइनर के पूरे टेल** तक नहर से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गयी है । नहर कहीं पर भी ध्वस्त नहीं है, और नहर से पानी की आपूर्ति हेतु पूरी टेल का डौला ऊंचा कर दिया गया है । अब पानी के पम्प करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

जनपद जौनपुर में ड्रेनों के निर्माण की मांग

69–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में कई ड्रेनों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । जनपद जौनपुर में कुछ ड्रेनों, जैसे जंगीपुर ड्रेन, सराय हरखू ड्रेन, मुस्तफाबाद ड्रेन, डेहरी ड्रेन इत्यादि का निर्माण भूमि के अभाव में कृषकों के अवरोध के कारण अधूरा है ।

जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड 36 द्वारा निर्मित माइनरों से जलमग्न भूमि के बचाव की मांग

70–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खंड-36 द्वारा निर्माण करायी गयी माइनरों के गावों में खुले स्थान पर छोड़ देने की वजह से गांव में खेती योग्य जमीन जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य आगे तक बढ़ाकर नाले या तालाब में टेल करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खंड-36 द्वारा निर्माण करायी गई कुछ नई माइनरों के टेल-स्केप बनाये जाने शेष हैं, परन्तु इनके कारण कभी असाधारण परिस्थितियों में जब पानी अधिक समय तक टेल से खारिज किया जाता है तब ही कुछ स्थानों पर कहीं जल-भराव हो जाता है।

वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में प्राथमिकता के अनुरूप इनका निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद जौनपुर की सोनउरा व विशुनपुर आदि पम्प कैनालों को विद्युत आपूर्ति की मांग

71–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सोनउरा पम्प कैनाल एवं विशुनपुर आदि पम्प कैनालों को आवश्यकतानुसार बिजली नहीं उपलब्ध हो पाती है ? यदि हां, तो बिजली की कमी दूर कर किसानों को आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु पम्प नहरों पर 14 से 18 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत परिषद् से अनुरोध किया जा रहा है । आपूर्ति में सुधार होने पर आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना सम्भव होगा ।

72–श्री यदुनाथ सिंह–

(मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया)

श्री राहत हुसैन सहायक अभियन्ता, कूरा नहर, जनपद मिर्जापुर पर भ्रष्टाचार के आरोप तथा स्थानान्तरण

73–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की कूरा नहर के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के आरोप में सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अन्तर्गत श्री राहत हुसैन सहायक अभियन्ता का जनपद से बाहर स्थानान्तरण करके 1985 में कार्य मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या उन्होंने नए स्थान पर ज्वाइन कर लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रमुख अभियन्ता द्वारा श्री राहत हुसैन सहायक अभियंता को दिनांक 2-6-84 को द्वितीय दक्षतारोक पार करने के निमित्त प्रतिबंधित स्थान पर भेजे जाने हेतु मिर्जापुर नहर प्रखंड से ओबरा बांध परिकल्प एवं शोध में पदस्थापित किया गया था तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय के आदेश दिनांक 2-7-84 द्वारा 31-5-85 तक यह स्थानान्तरण स्थगित किया गया । दिनांक 1-6-85 को इनका कार्यभार दूसरे सहायक अभियंता को एज्यूम कराकर कार्यमुक्त मान लिया गया । शासनादेश दिनांक 21-12-85 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता कार्यालय के आदेश दिनांक 23-12-85 द्वारा इन्हें ओबरा बांध निर्माण मंडल ओबरा में प्रतिबंधित स्थान पर स्थापित किया गया जहां सहायक अभियंता ने 6-2-86 को कार्यभार ग्रहण किया । शासन के निर्देशानुसार श्री राहत हुसैन का स्थानान्तरण प्रमुख अभियंता ने 25-8-86 को पुनः परिकल्प संगठन लखनऊ में कर दिया है ।

सिंचाई निर्माण मंडल, गोरखपुर के सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

74–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जून, 1985 में सिंचाई निर्माण मंडल गोरखपुर से कितने सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण हुआ था तथा कितने सहायक अभियन्ताओं ने नियमानुसार अपना चार्ज दिया और कितनों का चार्ज एज्यूम करवाया गया ? जिन सहायक अभियन्ताओं ने चार्ज नहीं दिया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माह जून, 1985 में सिंचाई निर्माण मण्डल गोरखपुर से 10 सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण हुआ था जिनमें से 4 सहायक अभियन्ताओं ने अपना चार्ज नियमानुसार दिया तथा 3 सहायक अभियन्ताओं का चार्ज एज्यूम करवाया गया । जिन 3 सहायक अभियन्ताओं ने नियमानुसार अपना चार्ज नहीं दिया व जिनका चार्ज एज्यूम कराया गया उनमें से 2 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है तथा एक सहायक अभियंता के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है । शेष 3 सहायक अभियन्ताओं में से एक के स्थानान्तरण आदेश निरस्त हो गये थे तथा 2 के 31-5-86 तक स्थगित किये गये थे ।

मुख्य अभियन्ता (गण्डक) के कार्य क्षेत्र में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

75–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 85-86 में मुख्य अभियन्ता (गण्डक) के कार्य क्षेत्र में कितने सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण शासनादेश के अनुसार हुआ और उनमें से कितने सहायक अभियन्ता

अपने स्थान पर चले गये, कितने सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण निरस्त एवं स्थगित किया गया ? क्या शासन पुन: उनका स्थानान्तरण प्रतिबन्धित स्थान पर करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में मुख्य अभियंता (गण्डक) के कार्य क्षेत्र में 39 सहायक अभियंताओं का स्थानान्तरण शासनादेश के अनुसार हुआ । उनमें से 34 सहायक अभियन्ता अपने नये पदस्थापना के स्थान पर चले गये । 2 सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण आदेश निरस्त एवं 3 का स्थानान्तरण आदेश स्थगित हुआ । 11 सहायक अभियन्ताओं को प्रतिबन्धित स्थान पर जाना था जिनमें से 8 सहायक अभियन्ताओं की पदस्थापना प्रतिबन्धित स्थान पर की जा चुकी है। एक सहायक अभियंता की जून, 1985 की प्रतिबंधित स्थापना पुन: आगामी आदेशों तक स्थगित एवं एक सहायक अभियंता की मई, 1986 में की गई प्रतिबंधित स्थान की स्थापना निरस्त कर दी गई है। एक सहायक अभियन्ता की विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य के हित में की गई संस्तुति के परिपेक्ष्य में प्रतिबंधित स्थापना इस वर्ष नहीं की गई है । इन तीनों सहायक अभियन्ताओं की प्रतिबंधित स्थान पर स्थापना करने के संबंध में अगले सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं को द्वितीय दक्षतारोक न देने की जांच

76–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में जिन सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति सेवा के प्रथम दस वर्षों में प्रतिबंधित स्थान पर की जा चुकी है, उनकी द्वितीय दक्षतारोक रोकी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रतिबंधित स्थान पर निर्धारित अवधि पूर्ण न होने/सत्यनिष्ठा अप्रमाणित होने/अनुशासनिक जांच लम्बित होने/चरित्र पंजिका की प्रविष्टियां अपेक्षित स्तर की न होने के कारण द्वितीय दक्षतारोक रोकी गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता बुलन्दशहर के विरुद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्य में किये गये अनियमितताओं की जांच

77–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियन्ता बुलन्दशहर ने मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड 10 के कार्यकाल के दौरान नवम्बर, 1982 में श्री प्रदीप कुमार ठेकेदार के नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्य का कार्यादेश किया था? क्या यह कार्य मस्टर रोल द्वारा ही सम्पन्न कराया जाना था? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को मस्टर रोलों के माध्यम से न कराकर कार्यादेश द्वारा कराये जाने की अनियमितता के लिए उक्त सहायक अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भविष्य के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

78–79–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री राहत हुसैन, सहायक अभियन्ता, जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध गबन के आरोप पर सर्तकता विभाग द्वारा जांच

80–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राहत हुसैन, सहायक अभियंता के विरुद्ध जनपद मिर्जापुर के कूड़ा राजबाहा राबर्ट्सगंज की सिलसिले में लाखों रुपये के गबन की सर्तकता जांच हो रही है? क्या उनका स्थानान्तरण जनपद के बाहर 1985 में लखनऊ डिवीजन में अकार्यकारी पद पर हुआ था और 7 माह के अन्दर मध्य सत्र में ही प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 476/ई-1/171 दिनांक 23-12-85 द्वारा इन्हें पुनः मिर्जापुर के ही ओबरा मण्डल में कार्यकारी उपखण्ड में नियुक्त करने के क्या कारण हैं ? क्या निष्पक्ष सतर्कता जांच हेतु इनको जनपद के बाहर तत्काल अकार्यकारी पद पर स्थानान्तरण के आदेश जारी हो रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री राहत हुसैन, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सर्तकता जांच प्रचलित है।

जी नहीं।

चूंकि इन्हें प्रतिबन्धित स्थान पर भेजा जाना आवश्यक था, अतः इनका स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के ज्ञापांक-सी 476/ई-1, दिनांक 23-12-85 द्वारा मिर्जापुर नहर प्रखण्ड मिर्जापुर से ओबरा बांध निर्माण मंडल ओबरा में किया गया था।

प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय के ज्ञापांक-सी-433/ई-1, दिनांक 25-8-86 द्वारा इनका स्थानान्तरण ओबरा थर्मल निर्माण खंड ओबरा से परिकल्प संगठन लखनऊ को कर दिया गया है।

गेंहू क्रय केन्द्रों की भांति धान क्रय केन्द्रों को खोले जाने की मांग

81–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जी विधान सभा प्रथम सत्र 1986 के तीसरे बुध के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में धान का उत्पादन गेंहू के उत्पादन से कहीं अधिक होता है तथा बिक्री के लिए धान गेंहू से अधिक मात्रा में मंडी में आता है तथा प्रश्नगत वर्ष में धान की मंडी में पीक आवर के समय धान की प्रदेश से निकासी पर आम व्यापारियों को अनुमति न होने के कारण धान के भाव बहुत गिर गये थे, धान खरीद केन्द्रों की संख्या कम से कम उतनी अवश्य रखी जायेगी जितनी गेंहू की खरीद केन्द्रों की होती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं, प्रदेश में गेंहू की अपेक्षा धान का उत्पादन बहुत कम होता है और मंडियों में धान की आमद गेंहू से अधिक नहीं होती। चूंकि 31 दिसम्बर, 1985 से धान की निकासी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया अतः आशा की जाती है कि धान की अधिकतम् आमद की अवधि में धान के बाजार भाव निर्धारित समर्थन मूल्य से नीचे नहीं गिरेंगे। शासन का यह प्रयास होगा कि किसान को अपना धान निर्धारित समर्थन मूल्य से कम भाव पर न बेचना पड़े। इसके लिए एजेंसियों द्वारा वर्ष 1986-87 में समुचित संख्या में क्रय केन्द्र खोले जायेंगे।

82–श्री जयदीप सिंह बरार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक भदैयां की ग्राम सभा बेलामोहन में लगे राजकीय नलकूप सं0 146 के कूप चालक श्री दुख हरन सिंह के विरुद्ध सिंचाई में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच

83–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भदैयां, सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम सभा बेला मोहन में लगे राजकीय नलकूप नम्बर 146 पर नियुक्त कूप चालक श्री दुख हरन सिंह ने वर्ष 85-86 में बड़े किसानों के खेत की सिंचाई ग्राम के पार्टी बाजी में ओत-प्रोत होकर छोटे-छोटे किसानों के नाम अंकित कर दिया ? ग्राम के किसान जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) अधिशासी अभियन्ता नलकूप को प्रार्थना पत्र जांच के लिए दिए तथा जांच में कूप चालक दोषी पाया गया फिर भी आज तक कूप चालक को न तो हटाया गया न उसके विरुद्ध कार्यवाही हुई ? क्या जांच के उपरांत अभिलेखों के तहत दोषी पाए कूप चालक को तत्काल जनहित में हटाकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और आज तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुल्तानपुर के माध्यम से एक प्रार्थनापत्र अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड सुल्तानपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिस पर जांचोपरांत कथित कूप चालक 0.13 एकड़ रकबे की सिंचाई संबंधित कृषक के नाम दर्ज न करने का दोषी पाया गया । जिसके फलस्वरूप कूप चालक को चेतावनी दी गई है । चूंकि कथित कूप चालक अंशकालीन नलकूप चालक के पद पर पद-स्थापित है अतः नियमानुसार उसका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक भदैयां, जनपद सुल्तानपुर की पखरौली ड्रेन निर्माण में अधिग्रहीत कृषकों की भूमि के मुआवजे की मांग एवं पुलिया का निर्माण

84–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भदैयां, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विगत 5 वर्ष हुए एक ड्रेन मिसिरपुर पुरैना के तालाब से ग्राम सभा पखरौली के पूर्वी छोर से होती हुई ग्राम सभा बेला शंकरपुर के हरिजन बस्ती के मध्य से होकर नाले में गिरती है मगर आज तक बेला शंकरपुर के जिन काश्तकारों की जमीन ड्रेन में गई है उनको मुआवजा का भुगतान न करने का कारण क्या है, साथ ही हरिजन बस्ती बेलासदा में पुल का निर्माण न कराने से आम जनता को भीषण कष्ट है ? क्या जनहित में यथाशीघ्र काश्तकारों को मुआवजा भुगतान कराते हुए पुलिया का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैयां में पखरौली ड्रेन 1980-81 में निर्मित हुई थी जिसकी लम्बाई 3.80 कि0मी0 है । इसका भू-अर्जन प्रस्ताव उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सुल्तानपुर को भेजा गया था तथा धारा 4 व 6 सपठित धारा–17 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन की कार्यवाही प्रगति में है । विज्ञप्तियों के प्रकाशन के बाद प्रतिकर वितरित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

पखरौली ड्रेन के कि0मी0 0.1 पर एक पैदल पुलिया अनुमोदित है, जो ग्राम बेलिसदा में पड़ता है । इसका निर्माण माह जून, 1987 तक पूर्ण होने की आशा है ।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र चांदा अन्तर्गत बालमपुर ड्रेन पर पुल निर्माण की मांग

85–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत बालमपुर ड्रेन जो ब्लाक भदैया, लम्भुआ प्रतापपुर कमैचा के मध्य से होकर निकली है उसमें अन्य कितनी छोटी-छोटी ड्रेनें मिलती हैं और उन ड्रेनों का नाम क्या है तथा कहां से निकलती हैं एवं इन ड्रेनों का खोदाई एवं पुलियों के निर्माण में कितना व्यय हुआ है ? बालमपुर ड्रेन पर जिसमें वर्षा के समय अपार जल भराव हो जाने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है क्या प्रस्तावित बालमपुर ड्रेन पर 12.65 खसरे वेलवाना अमरपुर 15.13 हाटा छेवलपुर सहिनवां सुजान पट्टी 17.25 गौरापुर तरही 30.25 असवाफनीपुर खोरे-पुर पर पुल का निर्माण जन भावनाओं एवं समस्याओं को देखते हुए यथाशीघ्र करा-येंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत ब्लाक भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर कमैचा से होकर बालमपुर ड्रेन जाती है । बालम-पुर ड्रेन में केवल दो छोटी ड्रेनें मिलती हैं जो निम्नवत् है:–

1–राजा उमरी : यह ड्रेन ग्राम राजा उमरी से प्रारम्भ होती है ।

2–अर्जुनपुर ड्रेन : यह ड्रेन ग्राम रतन-पुर से प्रारम्भ होती है ।

उक्त दोनों ड्रेनों पर कोई पुल निर्मित नहीं है । इन ड्रेनों की खुदाई में कुल 14,500 रु0 व्यय हुआ है ।

बालमपुर ड्रेन पर प्रश्न में इंगित चार स्थानों 12.65, 15.13 व 17.25, 30.25 कि0मी0 पर पुल बनाना विचारा-धीन है । कार्य एवं प्राक्कलन के अनुमोदन एवं धन उपलब्ध होने पर ही इन्हें जून, 1988 तक पूर्ण करना सम्भव होगा ।

जनपद कानपुर के बहुचर्चित कोयला घोटाला काण्ड के मुख्य अभियुक्त व अन्य के खिलाफ जांच की मांग

86–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उत्तर के संदर्भ में क्या मान-नीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में कितने कोयले की हेरा-फेरी तथा कितने नजायज लाभ अर्जन का मामला अन्तर्ग्रस्त है ? मुख्य अभियुक्त के अतिरिक्त राजकीय सेवा में कार्यरत कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी इस मामले में लिप्त पाए गए तथा उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

बहुचर्चित कोयला काण्ड के संबंध में निम्नलिखित कोयले की हेराफेरी के लिए कानपुर जनपद के विभिन्न थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई :–

साफ्ट कोक 10,221 मी0 टन
स्लैक कोक 34678 मी0 टन
स्टीम कोल 4249 मी0 टन
हार्ड कोक 1000 मी0 टन

इस प्रकरण की जांच फूड सेल से कराई जा रही है जिनकी अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

रामपुर कैनाल खण्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाली कच्ची नहरों के रखरखाव पर व्यय

87—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में रामपुर कैनाल खण्ड के अधिकार क्षेत्र में स्थित कच्ची नहरों (मुख्य नहर तथा डिस्ट्रीब्यूटरी तथा माइनर सहित) की कुल कितनी लम्बाई थी ? उक्त वर्ष में उन नहरों के रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया तथा उस वर्ष रामपुर नहर खण्ड द्वारा उस धन से कितने मानव दिवस कार्य उक्त नहरों की सफाई तथा रख-रखाव के लिए कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1972-73 में रामपुर नहर खण्ड के अधिक्षेत्र में स्थित मुख्य नहर डिस्ट्रीब्यूटरी तथा माइनर सहित कच्ची नहरों की कुल लम्बाई 805769 कि0 मी0 थी । उक्त वर्ष में इन नहरों के रख-रखाव पर कुल 4-80 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई । नहरों की सफाई तथा रख-रखाव के लिये मानव दिवस कार्य का विवरण अलग से रखे जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश में शराब बनाने का लाइसेन्स पासी, खटिक आदि गरीब व्यक्तियों को दिये जाने की योजना

88—**श्री हृदय नरायन दीक्षित—**

क्या आबकारी मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में शराब के बनाने के लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले और परम्परागत रूप से इस तकनीक के जानकार पासी, खटिक आदि गरीब जातियों को दिए जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

शराब निर्माण का कार्य उच्चकोटि की तकनीक का बड़ा उद्योग है और आसवनी की स्थापना में भारी पूंजी लगती है । किसी भी वर्ग या समुदाय का व्यक्ति भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये नियमों व प्राविधानों के अन्तर्गत आसवनी का लाइसेंस लेने का अधिकारी है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष योजना का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्र में शारदा नहर की लोटना नरीचक रजबहा व सफवासा माइनर की सफाई में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग

89—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा के लोटना माइनर नरीचक रजबहा आदि की सफाई के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 6-5-86 पत्रांक 292/86 प्राप्त हुआ है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य का प्रश्न में निहित पत्र संख्या-292/86 दिनांक 6-5-86 प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इसी विषयक मा0 विधायक का पत्रांक 294/86 दिनांक 5-5-86 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत नहरों की सफाई आवश्यकतानुसार रवी फसल से पूर्व करा दी गयी थी। शासन के आदेशों के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा कृत कार्यों के निरीक्षणोपरान्त कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त किया गया ।

तदोपरान्त कृत कार्यों का भुगतान किया गया।

90—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मंत्री जी को यह भी पता है कि सिंचाई विभाग ने झकवासा माइनर की सफाई किए बिना ही रुपया हड़प लिया है? यदि नहीं तो क्या झकवासा के ग्राम प्रधान का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित राज्य मंत्री सिंचाई को 25 अप्रैल, 86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ तथा झकवासा माइनर की सफाई कराई गई। शासनादेशानुसार गठित समिति द्वारा इसके निरीक्षण उपरान्त संतोष व्यक्त किया गया तथा शिकायतकर्ता ने भी कार्य के प्रति संतोष व्यक्त किया। चूंकि किसी प्रकार के धन का अपव्यय नहीं हुआ है अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

शारदा नहर की तमाम शाखाओं की सफाई में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

91—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या यह भी सच है कि शारदा नहर की तमाम शाखाओं की सफाई में हुए लाखों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र राज्य मंत्री सिंचाई को को पत्रांक 260/86 दिनांक 17 अप्रैल, 86 सचिव सिंचाई को पत्रांक 265/86 दिनांक 19 अप्रैल, 86 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। पत्र संख्या-260/86 दिनांक 17-4-86 प्राप्त हुआ है तथा पत्र संख्या-265/86 दिनांक 19-4-86 उपलब्ध नहीं हो रहा है। शिकायती पत्र में उल्लिखित सभी माइनरों की सफाई का कार्य रतौलिया राजबहा को छोड़कर आवश्यकतानुसार नियमानुसार कराया गया है। रतौलिया राजबहा पर कोई सफाई का कार्य नहीं हुआ। शासनादेशानुसार गठित समिति द्वारा उपरोक्त माइनरों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया गया तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त भुगतान किया गया। अतः उक्त शिकायती पत्र पर किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

92—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

93—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के कतिपय गांवों में जल भराव की समस्या एवं उसका निदान

94—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के बछेरा शीतला बख्श खेड़ा आदि दर्जनों ग्रामों में व्याप्त जल भराव के कारण सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है और सैकड़ों एकड़ बोई नहीं जा सकती जिससे गांवों के निवासी गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत ग्रामों का सम्बन्ध जनपद उन्नाव के ब्लाक हिलौली के महना ताल से है, जिसका वर्षा काल में कुल डूब क्षेत्र लगभग 243 हेक्टेयर है। इसमें लगभग 60.75 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र तथा शेष लगभग 182.25 हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। महना ताल की जल

निकासी की समस्या का निराकरण तकनीकी कारणों से सम्भव नहीं है। अतः सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में सिंचाई की बहुउद्देशीय परियोजना

95—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रहे विद्युत तथा सिंचाई की बहुउद्देशीय कौन-कौन सी योजनाएं निर्माणधीन हैं, किन-किन योजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा ऐसे कौन-कौन से स्थान चयनित किए गए हैं जहां ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? उक्त सभी योजनाओं की कार्य प्रगति कहां तक हुई है इसमें कितनी विद्युत क्षमता के निर्माण का प्रस्ताव है और यह कब तक पूरी कर ली जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में सिंचाई की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से टेहरी बांध परियोजना (विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट) तथा लखवाड व्यासी परियोजना (विद्युत क्षमता 420 मेगावाट) का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं को आठवी पंचवर्षीय योजनाकाल में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

प्रदेश में निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

क्रम-सं0	परियोजना का नाम	विद्युत क्षमता (मेगावाट)	स्थान
1	किशाऊ बांध	600	जनपद देहरादून में टोन्स नदी पर।
2	कोटली भेल बांध	950	ऋषिकेश नगर से 6 कि0मी0 ऊपर अलखनन्दा नदी पर।
3	पूर्वी राम गंगा जलाशय	90	जनपद पिथौरागढ़ चदवा घाट के पास।
4	चमगद बांध	350	जनपद अल्मोड़ा।
5	उत्यासू बांध	600	जनपद गढ़वाल में अलखनन्दा नदी पर।

किशाऊ बांध परियोजना पर भवन-सडक व पुल तथा परियोजनाओं का निर्माण आरम्भ करने हेतु प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है। शेष परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

नल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 130 पर।)

मथुरा एवं आगरा में मीठे पानी की उपलब्धता हेतु गहरे नलकूप लगाने की मांग

96–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के के छठे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा एवं आगरा में गहरे स्टेटा का सर्वेक्षण (एक हजार फुट से गहरा) कराने की कार्यवाही को अविलम्ब 6 माह में पूरा कराकर यदि उक्त गहरे स्टेटा में मीठा पानी का पता चल जाए तो अविलम्ब इन जनपदों में गहरे नलकूप लगाने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

एक हजार फुट से गहरा सर्वेक्षण वर्तमान परिस्थितियों में 6 माह में पूरा कराना संभव नहीं है।

उ0 प्र0 राज्य सेवा सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिलापूर्ति अधिकारियों का चयन

97–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खाद्य और आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सेवा सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा 1982 में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग ने 10 अभ्यर्थियों को जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर सफल पाया? यदि हां, तो इसमें से कितने अभ्यर्थियों को विभाग ने नियुक्त कर लिया है और शेष की नियुक्ति कब तक हो जायेगी?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां। उ0 प्र0 राज्य सेवा सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा, 1982 में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग ने 10 अभ्यर्थियों को जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर सफल पाया। इनमें से तीन अभ्यर्थियों को विभाग ने नियुक्त कर लिया है।

जिला पूर्ति अधिकारी के संवर्ग में सीधी भर्ती का कोटा पूर्ण होने के कारण शेष 7 अभ्यर्थियों को नियुक्त करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

श्री चन्द्र शेखर वर्मा, प्रबन्धक उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम सचिवालय परिसर डिपो के विरुद्ध लगे आरोपों की सी0 आई0 डी0 जांच की मांग

98–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र शेखर वर्मा, जो उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम सचिवालय परिसर डिपो में प्रबन्धक के पद पर कार्यरत थे और जिन्हें गबन लेखा अभिलेखों में हेराफेरी प्राप्तियों के अपहरण व लेखा अभिलेखों को अपूर्ण रखने के आरोप में दिनांक 22-10-83 को निलम्बित किया गया था को बहाल करके विक्रेता के पद पर दिनांक 3-10-85 को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए थे? क्या खाद्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री वर्मा ने दिनांक 11-3-86 को कल्याण निगम के कर्मचारियों को बहका कर हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करके कल्याण निगम के अधिकारियों का अपमान किया तथा उन पर अनियमित रूप से जोर डालकर प्रबन्धक के पद पर बहाली का आश्वा-

सन प्राप्त किया है? क्या शासन श्री वर्मा को प्रबन्धक बनाने से पूर्व उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं उनके प्रति आरोपों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। आरोप आंशिक रूप से सिद्ध हुए थे।

जी नहीं।

विभागीय जांच में अभिलेखों के अनुरक्षण में श्री वर्मा की असावधानी पाई गई परन्तु उनकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध रही। श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त अधिशासी निदेशक ने अपने आदेश दिनांक 18-3-86 द्वारा उन्हें प्रबन्धक के पद पर बहाल कर दिया। अतः सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में जाखलौन पम्प कैनाल का निर्माण

99–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद में जाखलौन पम्प कैनाल को बनाने में कितनी धनराशि व्यय की गयी है? क्या उक्त पम्प कैनाल बनकर पूर्ण हो चुकी है? इससे कब तक सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई जायेगी? अभी तक उक्त पम्प कैनाल को किन कारणों से चालू नहीं किया गया? कब तक उक्त कैनाल को चलाने का शासन का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जाखलौन पम्प कैनाल के निर्माण पर जून, 1986 के अन्त तक लगभग 618.00 लाख रु0 व्यय किये जा चुके हैं। यह अभी निर्माणाधीन है। जाखलौन पम्प कैनाल का निर्माण राजघाट बांध परियोजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। राजघाट बांध परियोजना का कार्य भारत सरकार द्वारा गठित बेतवा नदी परिषद्, सम्पादित कर रहा है जो अभी प्रगति में है एवं वर्तमान निर्माण कार्यक्रम के अनुसार जून, 1992 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। राजघाट बांध के पूर्ण हो हो जाने पर बांध में पानी एकत्रित होने के पश्चात नहर से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार पम्प नहर का कार्य वर्ष 1989-90 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

जनपद ललितपुर की पहाड़ी नदियों पर टरबाइन बनाने की मांग

100–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद की पहाड़ी नदियों पर टरबाइन (फाल्स) बनाकर उसे पहाड़ों पर लगे टरबाइन (फाल्स) के द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा देने पर विचार कर रही है, जैसा कि ग्राम भैलौनी लोध विकास खण्ड वारा के एक कृषक ने अपनी सूझबूझ से इसे सफल कर दिखाया है और सिंचाई विभाग इस योजना में पीछे है? अगर हां, तो सरकार इस योजना को सफल बनाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

इस प्रकार की छोटी-छोटी योजनायें सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित नहीं की जाती है।

अली हाउस मुरादाबाद व सिंचाई विभाग के बीच उत्पन्न विवाद की जांच

101–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा दोस्त अली हाउस मुरादाबाद द्वारा अनुबन्ध सं0–3/एस0 ई0/19-80 के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड मुरादाबाद में दिल्ली पत्थर की बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु आपूर्ति की गयी थी? क्या यह सच है कि उपरोक्त कम्पनी तथा विभाग में विवाद हो गया था जिसके फलस्वरूप उपरोक्त कम्पनी ने दिनांक 5-1-81 व 29-1-81 को दो शिकायती पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री व सिंचाई मंत्री जी को भेजे थे तथा दिनांक 30-5-81 को एक और पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री जी व सिंचाई मंत्री जी व सचिव सिंचाई विभाग को भी भेजा था तथा दिनांक 3-6-81 को एक टेलीग्राम तत्कालीन मुख्यमंत्री व सिंचाई मंत्री को भेजा गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों व टेलीग्राम में कम्पनी ने क्या आग्रह किया था तथा उन पत्रों की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा के नाम अनुबंध संख्या–3/एस0 ई0/79-80 सम्पादित किया गया था । कम्पनी से कोई विवाद का प्रश्न नहीं है क्योंकि कम्पनी ने संबंधित अनुबंध के अन्तर्गत उनके द्वारा किये गये कार्य का पूरा भुगतान दि0 29-11-80 को प्राप्त किया गया तथा इस संबंध में उसी दिन फारकती (अदेयता प्रमाण-पत्र) विभाग को दे दिया फिर भी कम्पनी ने अनावश्यक रूप से विभाग के साथ पत्राचार किया तथा विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया था। मेसर्स सुल्तान एण्ड कम्पनी ने अपने पत्र दि0 5-1-81 में (अन्य पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं) कम भुगतान की शिकायत की तथा धनराशि 3,55,745.00 रुपये के अतिरिक्त भुगतान करने के लिये प्रार्थना की । अधिशासी अभियन्ता ने इसका उत्तर अपने पंजीकृत पत्र दि0 17-1-81 के द्वारा देकर कम्पनी का दावा रद्द कर दिया । उपरोक्त अनुबन्ध के विरुद्ध कम्पनी के माप पुस्तिका में गणना त्रुटि के कारण 52529.00 का अधिक भुगतान हो गया था। जिसकी वसूली कम्पनी की जमानत से करके उसको अधिशासी अभियन्ता के पंजीकृत पत्र दि0 23-5-81 द्वारा सूचित कर दिया गया ।

श्री एन0 यू0 सिद्दीकी मशीनिस्ट अनुदेशक आई0टी0आई0 बरेली के विरुद्ध सरकारी धन का फर्जी आहरण का आरोप

102–श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री एन0 यू0 सिद्दीकी मशीनिस्ट अनुदेशक आई0टी0आई0 बरेली की इण्डेण्ट बुक नम्बर 641/067 पर नाईन आइटम कटर्स जिनका मूल्य लगभग 28000 रुपये है, 30-8-83 को श्री उमाशंकर कम्पाउण्डर से भरवाकर फर्जी हस्ताक्षर करके विजय सेल कारपोरेशन की सप्लाई दिखाकर जिसका संचालन श्री ए0 पी0 सिंह (ओ0 एस0) करते हैं, फर्जी बिल बनाकर प्रधानाचार्य श्री दानवीर सिंह सोलंकी तथा ओ0 एस0 श्री ए0 पी0 सिंह ने आई0टी0 आई0 बरेली सरकारी कोष से लगभग 28000 रुपया निकाल लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन–

श्री एन0 यू0 सिद्दीकी सेवा निवृत्त, अनुदेशक मशीनिस्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली के इण्डेण्ट संख्या–641067 के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य हेतु 7 आईटम

कैंट्स और एक आइटम कारबाइन टूल जिसका मूल्य रुपया 27401.22 था, दिनांक 30-8-83 को संस्थान के स्टोर से निर्गत किया गया, जिसकी प्राप्ति श्री सिद्दीकी ने स्वीकार की। इन औजारों की पूर्ति न्यूनतम निविदादाता फर्म मेसर्स विजय सेल्स कारपोरेशन, बरेली से दिनांक 11-4-83 को प्राप्त की गयी थी। सामग्री की वास्तविक भौतिक पूर्ति का लेखा स्टोर में किया गया। श्री ए0पी0 सिंह कार्यालय अधीक्षक इस विक्रेता फर्म के स्वामित्व एवं संचालन से सम्बद्ध नहीं है। स्टोर में सामग्री की वास्तविक पूर्ति एवं विधिवत् निर्गमन के प्रकाश में सरकारी धन का फर्जी आहरण का तथाकथित आरोप सत्य नहीं है।

103—श्री काशी सिंह ऐरी—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 203 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की कतिपय नदियों व नालों की सफाई की जांच

104—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में मडहा, बिसुही, तमसा, थिरुआ तथा लोनी आदि नदियों और नालों की सफाई के नाम पर वर्ष 84 तथा वर्ष 85 में कुल कितना धन व्यय किया गया है? क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पिछले दो वर्षों में जनपद फैजाबाद में किसी भी नदी या नाले की मौके पर सफाई नहीं की गई है? यदि हां, तो इन सारे मामलों की जांच कराकर पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फैजाबाद में मड़हा, बिसुही और तमसा नदियों पर वर्ष 84-85 तथा 1985-86 में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। थिरुआ, लोनी तथा अन्य नालों की सफाई पर वर्ष 1984-85 में रु0 4,41,586 तथा वर्ष 1985-86 में रु0 7,12,615 व्यय हुआ है। मौके पर सफाई हुई है, जिसका निरीक्षण विधायकों, खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख द्वारा भी किया गया है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक भीटी स्थित इटवा झील में जल भराव की समस्या

105—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित इटवा झील से हर वर्ष बरसात के मौसम में इटवा तथा लगभग एक दर्जन से अधिक अन्य ग्रामों की हजारों एकड़ फसल जलमग्न और क्षतिग्रस्त हो जाती है ? यदि हां, तो उक्त झील से एक नाला बिसुही नदी तक निकालकर इस समस्या का स्थायी निराकरण हेतु शासन कोई उपाय करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत क्षेत्र में इटवा झील में जल जमाव के कारण विगत तीन वर्षों में जल भराव से फसलों तथा मकानों की क्षति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड भीटी के अंतर्गत इटवा झील से इटवा ताल नामक नाला निर्मित है। उक्त नाले के ढाल में आवश्यकतानुसार सुधार हेतु सर्वेक्षण का कार्य कराया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न कार्यालयों में चयन समिति द्वारा टंकक लिपिक की परीक्षा में हुयी अनियमितता

106—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ में विभिन्न कार्या-

लयों में टाईपिस्टों एवं लिपिकों की नियुक्ति हेतु जिला चयन समिति द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 1985 को हुयी अभ्यर्थियों की परीक्षा तथा तत्पश्चात हुये साक्षात्कार की चयन समिति में कौन-कौन सदस्य थे तथा उक्त परीक्षा तथा साक्षात्कार के परिणामस्वरूप किन-किन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन तथा नियुक्तियां की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या जनपद में पंजीकृत टाईपिस्टों का प्रतिनिधि मंडल दिनांक 26-12-85 को जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर चयन में हुयी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के बारे में कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री सईदुल हसन–

चयन समिति द्वारा टंकक लिपिक की परीक्षा 16-10-85 को ली गयी थी। चयन समिति के अध्यक्ष श्री एस0 एस0 त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सचिव एवं सदस्य श्री आर0 सी0 शुक्ला, जिला सेवायोजन अधिकारी सदस्य श्री आद्या प्रसाद सिंह, जिला विकास अधिकारी एवं श्री राम निहोर राम, अपर जिलाधिकारी, हरिजन कल्याण (जो हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ का कार्य देख रहे थे) थे।

उक्त परीक्षा तथा साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप 30 अनारक्षित वर्ग तथा 5 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। (चयनित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है) 16 अनारक्षित तथा 5 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया जा चुका है। जी हां, जनपद में पंजीकृत टंककों के प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 25-12-85 को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था।

उक्त ज्ञापन पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा जांच की गयी। जांच करने के आधार पर ज्ञापन में वर्णित शिकायत निराधार पायी गयी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 132 पर)

जनपद आजमगढ़ के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों की संख्या

107–श्री विष्णु देव–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन के रोजगार दफ्तर में अप्रैल, 1985 तक कितने स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के आश्रितों ने रजिस्ट्रेशन कराया था तथा उनमें कितनों को अप्रैल, 1985 से अब तक सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर मिला है तथा इस समय कितने बेरोजगारों का नाम दर्ज है?

श्री सईदुल हसन–

अप्रैल, 1985 तक जिला सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़ में 23 तथा नगर सेवायोजन कार्यालय, मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) में 4 स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया तथा उनमें क्रमशः 11 तथा 4 अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण किया गया पर कोई सेवायोजित नहीं हो सका।

31-7-86 तक जिला सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ की सक्रिय पंजिका पर कुल 31 तथा नगर सेवायोजन कार्यालय (मऊनाथ भंजन) की सजीव पंजिका पर कुल 16 अभ्यर्थी उक्त वर्ग के उपलब्ध थे।

राजकीय कर्मचारी बीमा चिकित्सालय मोदीनगर जिला गाजियाबाद के डा0 श्रवण कुमार व डा0 जे0एन0 प्रचौली के विरुद्ध शिकायत एवं कृत कार्यवाही

108–श्रीमती विमला सिंह–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि राजकीय कर्मचारी बीमा चिकित्सालय मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के डा0 श्रवण कुमार एवं डा0 जे0 एन0 प्रचौली के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-2-86 को शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या कृत कार्यवाही को पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री सईदुल हसन–

जी हां। निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, उत्तर प्रदेश से जांच आख्या दिनांक 14-3-1986 को मांगी गई है तथा उन्हें दिनांक 24-6-1986 व दिनांक 22-8-1986 को अनुस्मारक भी भेजे गये हैं । निदेशक की जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

शारदा शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 पालियां-कलां जनपद खीरी के श्रमिकों को बोनस का भुगतान

109–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 पालियाकलां, जनपद खीरी के कार्यरत श्रमिकों को जो कि चूना भट्ठों एवं गोदाम पर कार्य करते हैं, को वर्ष 1982 से जनवरी, 1986 तक देय बोनस का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में बोनस दिलवाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

प्रश्न में उल्लिखित श्रमिकों को वर्ष 1982 से जनवरी, 1986 तक की अवधि का बोनस भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि यह कर्मचारी ठेकेदार द्वारा नियोजित किये गये हैं तथा नियमित प्रकार के कार्य पर नियोजित नहीं हैं । अतः बोनस अनुमन्य नहीं है ।

अधिशासी अभियन्ता गण्डक ड्रेनेज खण्ड 15 गोरखपुर द्वारा नेपाल जाने पर सरकारी जीप का प्रयोग

110–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता गण्डक ड्रेनेज खण्ड 15 गोरखपुर 25 दिसम्बर, 85 को विभागीय जीप संख्या 4287 यू0 पी0क्यू0 को लेकर नेपाल स्थित गैरहवा बाजार में गये थे ? यदि हां, तो क्यों? इसकी सूचना गंडक ड्रेनेज मंडल गोरखपुर को लिखित रूप से श्री कमर अहमद आजाद, पत्रकार ने दिया? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कर्य्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गण्डक खण्ड-15 गोरखपुर में यू0 पी0 क्यू0 4287 नम्बर की कोई जीप नहीं है। प्रश्नगत अधिकारी जीप संख्या-यू0 पी0क्यू0 2487 से दिनांक 25-12-85 को धानी कार्यस्थल का निरीक्षण करने तथा बुटवल, क्वेरी के रेट के संबंध में गये थे । बुटवल का रास्ता भैरहवा बाजार होकर जाता है।

तथाकथित पत्रकार का पत्र दिनांक 27-1-86 को प्राप्त हुआ । परन्तु उनके पत्र में जिस जीप का उल्लेख है वह जीप संख्या यू0पी0 क्यू0 4287 है। पत्र में उल्लिखित शिकायत निराधार पायी गई।

बाढ़ खण्ड देवरिया के अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी आरोप की जांच

111—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री दयाराम तिवारी मुख्य लिपिक बाढ़ देवरिया उक्त खण्ड के अधिकारियों के काले कारनामों के प्रति वर्ष 1980 से निरन्तर लिखते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री दयाराम त्रिपाठी मुख्य लिपिक बाढ़ खण्ड देवरिया के अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष, 1982 से शिकायती पत्र दे रहे हैं ।

जांच की जा रही है।

गोरखपुर जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चयन के समय जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी का अनुपस्थित होना

112—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में वर्ष 1985 में जिला चयन समिति ने 144 अभ्यर्थियों का चयन किया है क्या उसके सदस्य जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी भी रहे ? यदि नहीं, तो इसी आधार पर तत्कालीन अध्यक्ष/जिलाधिकारी ने उस सूची पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया? यदि हां, तो अब उस सूची को मानने का क्या आधार है? क्या यह सही है कि 16-3-85 के शासनादेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिला चयन समिति में जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी का रहना अनिवार्य है? यदि हां, तो शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सईदुल हसन—

जी नहीं।

गोरखपुर में वर्ष 1985 में जिला चयन समिति ने कुल 210 अभ्यर्थियों का चयन किया है।

शासनादेश संख्या—20/3/1982—कार्मिक-2 दि0 31-10-1984 में निहित निर्देशों के अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को सदस्य नियुक्त करने का प्राविधान नहीं था परन्तु शासनादेश संख्या-20/3/1982-कार्मिक—2, दिनांक 16-3-85 द्वारा निर्गत नियमावली के अनुसार जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को उक्त समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूची अनुमोदित की गयी है।

जिला चयन समिति द्वारा चयनित सूची का अनुमोदन चयन समिति के सभी सदस्यों एवं जिलाधिकारी द्वारा किए जाने पर सूची प्रभावी हो गयी।

जी हां।

शासनादेश संख्या—20/3/82—कार्मिक-2, दिनांक 16-3-85 द्वारा निर्गत नियमावली, चयन तथा साक्षात्कार की तिथि तक नहीं प्राप्त हो सकी थी, अतः जिला चयन समिति में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को सम्मिलित न करने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

आबकारी निरीक्षक महराजगंज गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

113–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी निरीक्षक महराजगंज गोरखपुर के विरुद्ध श्री रामाश्रय जायसवाल, उ0 प्र0 युवा जनता का शिकायती पत्र 11 मार्च, 86 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

शिकायतों की जांच आबकारी आयुक्त द्वारा कराई गई। जांच से शिकायतें निराधार व असत्य पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल के जिला पूर्ति कार्यालयों में कार्यरत प्रधान व ज्येष्ठ लेखा लिपिकों की पदोन्नति

114–श्री रणजीत–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल में जिला पूर्ति कार्यालयों में अगस्त, 1973 में कितने प्रधान लिपिक एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिक कार्यरत थे? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति किस पद पर की गयी? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

गोरखपुर मंडल के जिलापूर्ति कार्यालयों में, अगस्त 1973 में, कुल पांच प्रधान लिपिक तथा 6(छः) ज्येष्ठ लेखा लिपिक कार्यरत थे।

उक्त कर्मचारियों में से दो प्रधान लिपिकों श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर की पदोन्नति पूर्ति निरीक्षक के पद पर तथा श्री महन्थ राम, आजमगढ़ को पदोन्नति ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर की गयी तथा दो ज्येष्ठ लेखा लिपिकों श्री सूरज नारायन गुप्ता, गोरखपुर की पदोन्नति पहले प्रधान लिपिक के पद पर एवं बाद में पूर्ति निरीक्षक पद पर एवं श्री बिनई राम यादव, आजमगढ़ की पदोन्नति प्रधान लिपिक के पद पर की गयी।

प्रश्नगत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 134 पर)

जिला पूर्ति अधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध कोयला आवंटन में अनियमितता का आरोप

115–श्री रणजीत–

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि क्या यह सही है कि जिला पूर्ति अधिकारी, बाराबंकी बनारस से कोयला उठवा कर जनपद के कोयला लाइसेंसियों को आवंटित न करके विभिन्न फैक्ट्रियों को ब्लैक में बेच देते हैं? क्या इस तथ्य की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी अधिकारी को दंडित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं।

जिला पूर्ति अधिकारी के स्तर से न तो बनारस से कोयला उठवाया जाता है और न ही बनारस से किसी लाईसेन्सो को कोयला आवंटित किया जाता है।

फैक्ट्रियों को स्टीम कोल उद्योग विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

शारदा कैनाल बाराबंकी के पंचम उपखण्ड का मुख्यालय लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य

116–श्री रणजीत–

वर्ष 1986 के प्रथम सत्र के 2रे बुध के अतारांकित प्रश्न 98 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सब डिवीजन कार्यालय का कार्यस्थल बाराबंकी होने के बावजूद मुख्यालय लखनऊ स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य था? इसके लिये दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा मुख्यालय बाराबंकी कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बाराबंकी के प्रश्नगत उपखण्ड के अधीन जो निर्माण कार्य हैं उसका अधिकांश भाग, जनपद लखनऊ व सीतापुर में है। बाराबंकी जनपद में मुख्य कार्य अनुरक्षण का है। अतः कार्यों पर समुचित नियंत्रण हेतु मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है। इस हेतु किन्हीं अभियन्ताओं के दोषी होने अथवा मुख्यालय बाराबंकी स्थानान्तरित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

अधीक्षण अभियन्ता को नियमानुसार आपूर्ति आदेश करने का अधिकार

117–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता को एक माह में कितने रुपये तक के आपूर्ति आदेश करने का अधिकार है? अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय मण्डल, कानपुर द्वारा वर्ष 1983-84, 1984-85 व 1985-86 में अधिकतम सीमा से अधिक प्रतिमाह में कितनी धनराशि के आपूर्ति आदेश दिये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अधीक्षण अभियन्ता को निर्माण कार्य के लिए सामग्री क्रय करने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–1 के स्टेटमेन्ट-20 प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्ण अधिकार है।

प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य अधीक्षण अभियन्ता कानपुर के अराजक तत्वों द्वारा अभिलेख बदलने की जांच

118–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर द्वारा अराजक तत्वों की साठ-गांठ से वर्ष 85-86 में अनुबद्ध किये गये हैं? क्या यह भी सही है कि उपयुक्त ठेकेदारों के टेण्डर नहीं दिये गये तथा मूल अभिलेख बदल कर अनुबद्ध कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

119–श्री रणजीत–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री पी0 पी0 एन0 सिंह अधिशासी अभियन्ता फर्रुखाबाद द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में भाग न लेना

120–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी0 पी0 एन0 सिंह अधिशासी अभियन्ता, ट्यूबवेल, फर्रुखाबाद ने दि0 23-6-85 को मा0 राज्य मंत्री,

खाद्य रसद श्री मानपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बीस सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में भाग नहीं लिया था? यदि हां, तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री पी0 पी0 एन0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर माननीय राज्य मंत्री खाद्य रसद की अध्यक्षता में दिनांक 23-6-85 को आयोजित बीस सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक की सूचना प्राप्त न होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके।

अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

हरदोई खण्ड शारदा नहर के प्रथम खण्ड में ड्रेनों की सफाई की मांग

121–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरदोई खण्ड शारदा नहर के प्रथम खण्ड में ड्रेनों की सफाई न होने के कारण समस्त क्षेत्र जलमग्न रहने से किसान बुआई नहीं कर सके हैं? यदि हां, तो इस कार्य हेतु 85-86 में अधिक धन आवंटित होने पर उक्त धन को दूसरी मदों पर क्यों व्यय किया गया ? शासन इन ड्रेनों की सफाई कब तक पूरा करा देगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। वर्ष 1984-85 (रबी 1392 फसली) की तुलना में वर्ष 1985-86 (रबी 1393 फसली) में अधिक सिंचाई हुई। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 1985-86 में कोई अतिरिक्त क्षेत्र बुआई से नहीं छूटा। वर्ष 1985-86 में जो धनराशि ड्रेनों की सफाई हेतु आवंटित हुई थी उसे अन्य मदों पर व्यय नहीं किया गया। धन की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार ड्रेनों की प्रति वर्ष सफाई कराई जाती है।

प्रमुख अभियन्ता द्वारा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण को शीघ्र निस्तारण करने की मांग

122–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि 1-8-85 से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद के बजाय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई द्वारा ही सम्पादित किये जाने हैं? यदि हां, तो उक्त कार्यालय में लम्बित हजारों पेंशन संबंधी मामलों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पेंशन से संबंधित 555 प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से 160 निस्तारित किये जा चुके हैं। अवशेष प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

अपर आगरा कैनाल खण्ड, मथुरा की नहरों/माइनरों की सफाई

123–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर आगरा कैनाल खण्ड मथुरा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 85-86 में किन-किन नहरों/माइनरों की सफाई/सिल्टिंग में कितना-कितना व्यय हुआ? इसका विवरण देने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86 में नहरों की सिल्ट सफाई में रु0 9,39,044/- तथा अन्य सफाई के कार्यों में रु0 4,12,411/-, कुल रु0 13,51,455/- व्यय हुआ, जिसका विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 135 पर)

श्री वी0 के0 त्यागी सहायक अभियन्ता मेरठ द्वारा मकान क्रय करने की अनुमति

124–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता ने जो मकान नं0 43, विजय नगर मेरठ में खरीदा है उसकी अनुमति मकान खरीदने से पहले ली थी अथवा बाद में तथा उक्त मकान की कीमत क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री वी0 के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता ने मकान नं0–43 विजय नगर, मेरठ में खरीदा है। उसे क्रय करने से पूर्व उन्होंने जनवरी 1981 में अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था। अनुमति की प्रत्याशा में जुलाई, 1981 में उक्त मकान को उन्होंने क्रय कर लिया था। दिनांक 15-4-1983 को उक्त मकान के क्रय हेतु अनुमति प्रदान की गयी तथा उक्त मकान की कीमत लगभग एक लाख रुपये है।

श्री वी0 के0 त्यागी अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर खण्ड-9 हापुड़ द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

125–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर खण्ड–9 हापुड़ ने वर्ष 85-86 में कुल कितने अनुबन्ध किये? इनमें की गई वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभाग को कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री बी0 के0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–9, हापुड़ ने वर्ष 85-86 में कुल 31 अनुबन्ध किये है।

इन अनुबन्धों में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच की जा रही है।

श्री वी0 के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता, चतुर्थ अपर आगरा कैनाल, के विरुद्ध मस्टर रोल के भुगतान तथा वर्क आर्डर के धनराशि की जांच की मांग

126–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता, चतुर्थ अपर आगरा कैनाल, मथुरा ने 85-86 में कुल कितना रुपया मस्टर-रोल का भुगतान किया ? क्या यह सही है कि इन्होंने उक्त वर्ष में 20 हजार रुपये का फर्जी मस्टर रोल का भुगतान किया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मस्टर रोल रजिस्टरों की जांच कराकर इन्हें दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री वी0 के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा ने वर्ष 1985-86 में विभिन्न कार्यों पर मस्टर रोल के माध्यम से 51,960,00 रुपये का भुगतान किया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

127–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता चतुर्थ अपर आगरा कैनाल, मथुरा ने वर्ष 85-86 में कुल कितनी धनराशि के वर्क आर्डर कराये? उनका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रु0 10,30,795/- के वर्क आर्डर किये।

विवरण संलग्न है†।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी0 के0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा कैनाल खण्ड-9, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

128–श्री रणजीत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा कैनाल खण्ड-9, हापुड़, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के कितने मामलों की विभागीय जांच इस समय प्रचलित है तथा दिसम्बर, 1984 तक इनके विरुद्ध कितने मामलों की जांच पूर्ण हो चुकी थी, उनमें से कितनों में ये दोषी पाये गये तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सम्प्रति कोई अनुशासनिक जांच प्रचलित नहीं है। दिसम्बर, 1984 से पहले इनके विरुद्ध दो जांच पूर्ण हो चुकी थी, जिनमें से अपर डिवीजन आगरा कैनाल मथुरा के कार्यकाल में की गई अनियमितताओं के लिए इन्हें शासनादेश दिनांक 4 मई, 1982 द्वारा निर्देशित किया गया। पावर चैनल निर्माण खण्ड-2 हरिद्वार के इनके कार्यकाल से संबंधित अनियमितता के लिए इनको दी गई चेतावनी शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर, 1981 द्वारा निरस्त कर दी गई।

प्रदेश में रिक्त श्रमायुक्त एवं श्रम संराधन अधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन में विलम्ब

129–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त एवं श्रम संराधन अधिकारियों के कितने पद उत्तर प्रदेश में इस समय रिक्त चल रहे हैं? इन रिक्त पदों के न भरे जाने का क्या कारण है और इनको कब तक भर दिया जायगा?

श्री सईदुल हसन–

वर्तमान में प्रदेश में उप श्रमायुक्त के 3 तथा श्रम संराधन अधिकारी के 17 पद रिक्त हैं। उक्त पदों का चयन लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। अतः इन पदों पर चयन हेतु आयोग को क्रमशः शासन के पत्र दिनांक 16-2-85 तथा पत्र दिनांक 30-9-85 द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है। आयोग द्वारा चयन में हो रहे विलम्ब को देखते हुए इन पदों को तदर्थ आधार पर प्रोन्नति देकर भरे जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

†छापी नहीं गई।

जनपद व ब्लाक बलिया के सहायक अधिकारी (सहकारिता) द्वारा थाना बैरिया में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

130–श्री मैनेजर सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड बलिया जनपद बलिया द्वारा दिनांक 28-12-82 को बैरिया थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 5-3-83 को सचिव खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुयी?

श्री हुकुम सिंह–

पत्र की प्राप्ति की सूचना उपलब्ध नहीं है।

जनपद मथुरा में मांट ब्रांच गंगा नहर की मांट माइनर पर टूटी प्रथम बी0आर0बी0 के निर्माण की मांग

131–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद की माट ब्रांच गंगा नहर की मांट माइनर पर बनी प्रथम बी0 आर0 बी0 गत कई वर्षों से टूटी पड़ी है? यदि हां; तो उसका अब तक निर्माण न होने के क्या कारण है और कौन अधिकारी इसके लिए दोषी है ? क्या शासन अविलम्ब बी0 आर0 बी0 को निर्मित कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यातायात बढ़ने के कारण प्रश्नगत बी0 आर0 बी0 की केवल पैरापिट टूट गई है । सड़क पर आवागमन चालू है तथा माइनर में पानी के बहाव में भी कोई अवरोध नहीं है।

रेलिंग, "पैरापिट" सड़क की सतह आदि के रख-रखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण में है तथा इसके लिए सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है जिन्हें संदर्भित कर दिया गया है ।

विकास बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ की जल निकासी की समुचित व्यवस्था

132–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कैनाल खण्ड सीतापुर को विकास बख्शी का तालाब जिला लखनऊ क्षेत्र में वर्ष 1983-84, 1984-85 में दिए गये जल निकासी के समस्त कामों को पूरा कर दिया है और उसके लिए नियत धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में बरती गई लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत कार्यों के लिए वर्ष 1983-84 में कोई धन उपलब्ध नहीं था। वर्ष 1984-85 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रुपये 2.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी किन्तु इस योजना के अन्तर्गत भूमि का मुआवजा देने का प्राविधान न होने के कारण आवश्यक भूमि निःशुल्क मिलना सम्भव नहीं हो सकी। अतः जल निकासी कार्यों का निर्माण नही कराया जा सका और प्रश्नगत धनराशि जिलाधिकारी को समर्पित कर दी गई।

जल निकासी के कार्यों का निर्माण निःशुल्क भूमि उपलब्ध न पाने के

कारण नहीं हो सका, अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ में कुकरैल नाले के किनारे बांध बनाने की योजना

133–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कुकरैल नाला के किनारे निर्माणाधीन बांध बनाने की योजना कितने रुपये की है, इसमें कितना रुपया बांध के पीछे के पानी का पम्पआउट करने के लिए पम्प लगाने में खर्च होगा ? क्या आगामी बरसात से पूर्व बांध और पम्प लगाने का काम पूरा हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखनऊ नगर में कुकरैल नाले के किनारे निर्माणाधीन बांध की 181.84 लाख रुपये की एक योजना जून, 1983 में बनाई गयी थी, जिसमें 75.00 लाख रुपये का प्राविधान बांध के पीछे पानी को पम्प करने के लिए पम्पिंग की व्यवस्था हेतु है। कुकरैल बांध निर्माण तथा अस्थाई पम्प लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। बांध में वोल्डर पिंचिंग का कार्य प्रगति पर है।

134–श्री भगौती सिंह–

[दि0 12-3-86 को अता0 प्र0 सं0 44 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई विभाग में अनुसंधान एवं नियोजन संगठन के कर्मचारियों में विशेष वेतन भत्ता दिये जाने में विसंगति

135–श्री भगौती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन संगठन के कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुसंधान एवं नियोजन कार्य हेतु विशेष वेतन शासन के ज्ञापन नम्बर 2048 दिनांक 16-2-74 द्वारा स्वीकृति है? क्या यह सही है कि उसी संगठन में कार्यरत आशुलिपिक, संगणक, प्रारूपकार लिपिक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो यह भेद-भाव क्यों है क्या शासन इसको समाप्त करने हेतु कार्यवाही करेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित ज्ञापन शासन का नहीं है, अपितु वह प्रमुख अभियन्ता का अशासकीय पत्र है जिसका उल्लेख शासनादेश दिनांक 13-5-74 में किया गया है। इस शासनादेश द्वारा अनुसंधान एवं नियोजन मंडलों, खण्डों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर दिनांक 1-11-73 से विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है :–

1–अधिशासी अभियन्ता–रु0 100/- प्रतिमास

2–सहायक अभियन्ता–रु0 50/- प्रतिमास

3–जूनियर इंजीनियर (सिविल रु0 40/- प्रतिमास

4–अन्य क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग–15 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक रु0 25/- प्रतिमास

जी हां।

प्रश्नगत कर्मचारी क्षेत्रीय कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः भेद-भाव का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की सहकारी चीनी मिल तिलहर के श्रमिकों द्वारा बीस सूत्री मांगें पर बल देने हेतु क्रमिक अनशन

136–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि सहकारी चीनी मिल तिलहर जिला शाहजहांपुर के मजदूर अपनी 20 सूत्री मांगों पर बल देने हेतु मिल गेट पर क्रमिक अनशन कर रहे थे? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं?

श्री सईदुल हसन–

सहकारी चीनी मिल तिलहर के श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 4-3-86 से क्रमिक अनशन किया गया। सेवायोजकों द्वारा प्रमुख मांग जो भविष्य निधि कटौती से संबंधित थी, मान लेने के कारण उक्त श्रमिक अनशन दिनांक 9-3-86 से समाप्त हो गया।

जनपद पीलीभीत की सहकारी चीनी मिल मझौला के श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों पर बल देने हेतु आन्दोलन

137–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल मझौला जिला पीलीभीत के मजदूर विगत 25 फरवरी, 86 से अपनी मांगों पर बल देने हेतु आन्दोलन कर रहे हैं? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

श्री सईदुल हसन–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 मझौला (पीलीभीत) के मजदूरों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 25-2-86 से फैक्ट्री गेट पर क्रमिक अनशन किया गया था।

उनकी मुख्य मांगें स्थायीकरण बारिसों की नियुक्ति, वर्ष 1985-86 का एक्सग्रेसिया 90 दिन के वेतन के बराबर दिये जाने, 1984-85 का बकाया बोनस शीघ्र बांटे जाने, वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिये जाने, भविष्य निधि पास बुक वितरित किये जाने, श्री नरेश चन्द्र मिश्रा का निलम्बन समाप्त किये जाने तथा पूर्व के समझौते के अनुसार सुविधायें दिये जाने से संबंधित थीं।

पक्षों में समझौता हो जाने के उपरान्त मांगों का समाधान हो जाने पर श्रमिक अनशन दिनांक 9-3-86 को समाप्त हो गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ द्वारा श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह के प्रवेश में बरती गयी अनियमितताओं की जांच

138–श्री धनराज यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह का निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0 प्र0 रोजगार भवन लखनऊ को संबोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ में अपने प्रवेश में की गई अनियमितताओं एवं परीक्षा से वंचित करने के संदर्भ में कोई पत्र अगस्त अथवा सितम्बर, 84 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या मांग की गयी है और 3 मार्च, 86 तक निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन–

जी हां ।

श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह के शिकायती पत्र दिनांक 31-8-84 में आई0टी0आई0

प्रतापगढ़ में कतिपय कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने व प्रवेश न करने तथा परीक्षा में न बैठने देने का उल्लेख है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है । निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जो शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती का कूड़ा नदी पर चित्तापुर उसका राजा तक निर्माणाधीन बांध को पूरा कराने की योजना पर विचार

139–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती ज़िले में कूड़ा नदी तट पर चित्तापुर उसका राजा तक निर्माणाधीन बांध पर कई वर्षों से कार्य रुका हुआ है तथा उपरोक्त बांध न बनने से गंगाधरपुर महनी, बरदहा, मनखाही, सरौली, सेमरहना, सहित धानी बाजार एवं बृजमन गंज के क्षेत्र के सैकड़ों गांव प्रतिवर्ष कूड़ा नदी की बाढ़ से तबाह होते रहते हैं तथा इन्हें बचाने के लिए प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री (सिंचाई मंत्री) को 5-3-86 को पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध को पूरा करके सैकड़ों गांव को बाढ़ की तबाही से बचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

चित्तापुर, उसका रावा एक पुराना जमींदारी बांध है, जिस पर निर्माण संबंधी कोई कार्य नहीं हुआ है । इस बांध के नीचे कूड़ा नदी के बांये किनारे पर बांध के अभाव में बृजमनगंज तथा धानी ब्लाक के ग्राम अधिक बाढ़ के समय प्रभावित होते हैं । दौलतपुर चित्तापुर बांध कोधी एवं कूड़ा नदी के बायें किनारे पर प्रस्तावित 21.0 कि0मी0 लम्बा बांध है । दिनांक 5-3-86 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है तथा बांध के निर्माण हेतु योजना बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन है । तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति एवं धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा ।

अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल आगरा को प्रदत्त सिंचाई मजदूर संघ के पत्र पर कार्यवाही की मांग

140–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल आगरा को सिंचाई मजदूर संघ उ0 प्र0 ने अपने पत्र संख्या 33/86 दिनांक 15 जनवरी, 86 से क्या सूचना दी है ? उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 15 जनवरी, 86 में दी गई सूचना संक्षिप्त में संलग्न है ।

जांच की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 137 पर)

ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना से लाभान्वित गांव

141–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण से तहसील कोल अलीगढ़ के कौन-कौन ग्राम लाभान्वित होंगे तथा नई गूले किस-किस ग्राम में बनाई जा रही हैं और कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना से जनपद अलीगढ़ के तहसील कौल के निम्नलिखित ग्राम लाभान्वित होंगे :–

ओरिहा जवां सिंकन्दरपुर, जवां बाजीदपुर, नगौला, रामपुर, चाऊपुर, खेरूपुरा, सपेरा-भानपुर सांथा, कासिमपुर, भीमगढ़ी, जेठपुरा, जराठीमोरथल, किदारा, हरदुआगंज, तालतपुर, देवसैनी, बेरी, नवाबात, द्वारापुर, गुरूकिशकन, बरकातपुर सिकंदरपुर, इमलानी, मंगलाकुत्तिया अलहदादपुर, खानआलमपुर, महमूदपुर, ईकरी, मई, चंग्गेरी, भवनगढ़ी, भवनखेड़ा, पनैठी, भोजपुर, सिहोर, जर्सरथपुर, अदौन, उसगरपुर, बालूखेड़ा, रोहिना सिंहपुर, लुहारा, चौगानपुर, जमालपुर, दुमैहरा, सिरोही, कलियानपुर, भानुआ, गोकुलपुर, भाकिरी अहवासी, आलमपुर, भरतुआ, टिहौली, थ्योरी, मलिकपुरा, शाहबाजपुर, सिकरना, पालीरजपुर, मोहनपुर, माछुआ तथा बरौठा।

इस योजना के अंतर्गत गूलों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है । यह कार्य केवल निम्नलिखित ग्रामों में पूरा हो गया है :–

हरदुआगंज, सिकन्दरपुर, जवां नगौला, भीमगढ़ी, जारौठी, चौगानपुर, जटपुरा, बरौठा, सिंहोर, बनैठी तथा अदौन ।

शेष ग्रामों में कार्य मार्च, 1987 से मार्च, 1991 में विभिन्न चरणों में पूर्ण होने की आशा है ।

जनपद अलीगढ़ में मध्य गंगा नहर परियोजना से सिंचित गांव

142–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ की किस तहसील में कौन-कौन ग्राम्य मध्य गंगा नहर द्वारा सींचे जायेंगे तथा नहर कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मध्य गंगा नहर परियोजना से जिला-अलीगढ़ के अंतर्गत सींचे जाने वाले ग्रामों की संख्या-तहसीलों का उल्लेख निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	तहसील	ग्राम
1–	अतरौली	150
2–	खैर	61
3–	कोल	129
4–	इगलास	44
5–	हाथरस	62

उक्त ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जहां देखी जा सकती है। निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

पब्लिक नलकूप निर्माण मंडल अलीगढ़ में वर्कचार्ज मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों का सेवा विवरण

143–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप निर्माण मंडल अलीगढ़ में 21-2-86 को अंशकालीन वर्कचार्ज मस्टर रोल पर कितने कर्मचारी कार्यरत थे और कितने निकाले गये? उनकी सेवा अवधि कितनी थी और निकालने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पब्लिक नलकूप निर्माण मंडल, अलीगढ़ के अंतर्गत दिनांक 21-2-86 को कार्यरत कुल अंशकालीन, कार्य प्रभारित

व मस्टर रोल के कर्मचारियों की संख्या-निम्नांकित है:-

1–अंशकालीन कर्मचारी	298
2–कार्य प्रभारित कर्मचारी	89
3–मस्टर रोल कर्मचारी	87

उक्त अंशकालीन व कार्य प्रभारित किसी कर्मचारी को नहीं निकाला गया। मस्टर रोल के कर्मचारियों में से 22 कर्मचारियों की सेवायें कार्य समाप्ति अथवा नियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियों के उपलब्ध हो जाने पर समाप्त हो गई। इन 22 कर्मचारियों की सेवा अवधि निम्न प्रकार है:-

कर्मचारियों की संख्या	पदनाम	अवधि
5	हेल्पर	1 दिन
12	हेल्पर	2 दिन
1	वाहन चालक	36 दिन
2	चौकीदार	52 दिन
1	वाहन चालक	53 दिन
1	चौकीदार	59 दिन

ग्राम अमौनी तह0 रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में ट्यूबवेल निर्माण की मांग

144–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-5-85 को क्षेत्रीय विधायक श्री मरगूब अहमद खां द्वारा ग्राम अमौनी तह0 रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के हरिजनों द्वारा सिंचाई वास्ते एक ट्यूबवेल शासन द्वारा लगाने के संबंध जो पत्र लिखा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या ट्यूबवेल उक्त गांव में लगवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद बस्ती के विभिन्न बांधों हेतु अधिगृहीत कृषकों की भूमि के मुआवजे की मांग

145–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बांसी पनघटिया टंडिया सोनखर, असोगवा नगवा तथा नरकटहा टाउन प्रोटेक्शन बांधों में जिनकी भूमि चली गयी है उनकी अवाप्ति की कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो भू-स्वामियों को उनकी भूमि का मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिला ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। कार्यवाही चल रही है।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर भू-स्वामियों को मुआवजा वितरित किया जायगा।

नदियों के कटाव से ग्रामों को बचाने हेतु शासन का निर्णय

146–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन अथवा टी0 ए0 सी0 ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि नदियों के कटाव से क्षतिग्रस्त होने वाले ग्रामों को बचाने के लिए ठोकरों का निर्माण नहीं किया जायगा? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन ने निर्देश दिये हैं कि बड़े-बड़े शहरी आबादी क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थलों पर कटाव रोकने का कार्य करने के बजाय निवासियों को ही किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर बसाया जाये तो अधिक

लाभप्रद होगा । बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजनायें बनाते समय इस बात का ध्यान में रखा जाय कि जो भी कार्य कराया जाय उससे अधिक लाभ सभी को मिले ।

व्यवहारिक रूप से किसी भी नदी की कटान को रोकने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है तथा कटाव निरोधक योजना के क्रियान्वयन के पश्चात प्रत्येक वर्ष उसके रख-रखाव पर भी काफी लागत आती है, फिर भी उद्देश्य की सही पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि इससे न तो प्रभावित ग्राम और उस क्षेत्र की पूर्ण सुरक्षा ही हो पाती है अपितु इसमें अधिक धनराशि लगने के फलस्वरूप सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अन्य योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है।

जनपद बस्ती के ब्लाक बढ़नी को आवंटित मिट्टी के तेल की औसत मात्रा

147–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड बढ़नी के ग्राम सभा गणेशपुर में सन् 1985 के माह जनवरी से दिसम्बर, 85 तक मिट्टी तेल के लाइसेंसी को कितना मिट्टी का तेल आवंटित किन-किन दुकानों से किया गया ? विभाग द्वारा कितना लीटर मिट्टी का तेल उक्त ग्राम सभा को प्रतिमाह आवंटित किया जाना चाहिए था ?

श्री हुकुम सिंह–

बस्ती जिले के विकास खण्ड बढ़नी के ग्राम सभा गणेशपुर में माह जनवरी, 85 से दिसम्बर, 85 तक सामान्य कोटे के अन्तर्गत 10,500 लीटर मिट्टी का तेल फुटकर लाइसेन्सी को निम्न थोक विक्रेताओं के नाम के सामने अंकित मात्रा में आवंटित किया गया :–

1–मै0 बृज मोहन लाल देवी प्रसाद, बढ़नी	9000 लीटर
2–मै0 बृज मोहन लाल देवी प्रसाद शोहरतगढ़	1500 लीटर
	10,500 लीटर

उपरोक्त के अतिरिक्त वहां की स्थानीय मांग तथा थोक विक्रेताओं के पास तेल उपलब्ध होने के फलस्वरूप उक्त लाइसेंसी को अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी का तेल निम्न थोक विक्रेताओं के यहां से दिया गया :–

1–मै0 सीताराम परशुराम का शोहरतगढ़	7,600 लीटर
2–मै0 बृज मोहन लाल देवी प्रसाद, शोहरतगढ़	5,200 लीटर
3–मै0 लखी चन्द्र राम कुमार, शोहरतगढ़	1,540 लीटर
	14,340 लीटर

ग्राम सभा गणेशपुर के मिट्टी तेल की दुकान से ग्राम सभा गणेशपुर के अतिरिक्त ग्राम सभा पड़रिया भी तेल वितरण हेतु सम्बद्ध है और जो अतिरिक्त आवंटन किया गया है वह दोनों ग्राम सभाओं के लिये है।

ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सूचित की गयी जनसंख्या के आधार पर ग्राम सभा गणेशपुर के लिए जनवरी, 85 से दिसम्बर, 85 तक 1000 लीटर प्रति माह मिट्टी का तेल सामान्यतया आवंटित किया जाना चाहिए था। मिट्टी के तेल थोक विक्रेताओं के पास माल (तेल) की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते

हुए सम्बन्धित फुटकर मिट्टी तेल लाइसेन्सी को आवंटित मिट्टी का तेल की मात्रा कम व अधिक की गयी है। माह अक्टूबर, 85 के पूर्व तहसील के सभी रिटेलरों का कोटा प्रधानों, ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था परन्तु कोटे में एकरूपता न दिखायी पड़ने पर वर्ष 1981 की जनगणना की आबादी में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके ग्राम सभाओं की जनसंख्या का आंकलन करते हुए तथा 5 व्यक्तियों का एक औसत परिवार मानकर माह अक्टूबर, 85 से कोटा निर्धारित कर आवंटित किया गया। यह प्रक्रिया पूर्ण तहसील में एकरूपता लाने हेतु अपनाई गयी। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा गणेशपुर का मासिक मिट्टी तेल का कोटा अक्टूबर, 1985 से 500 लीटर निर्धारित किया गया।

जनपद आजमगढ से टांडा पुरानी नहर के ग्राम गोपाली पट्टी पर बन्द साइफन खोलने की मांग

148–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले से टांडा पुरानी नहर से 6-780 किलोमीटर पर ग्राम गोपाली पट्टी पर बन्द साइफन को खोलने के सम्बन्ध में उन्हें कोई पत्र रजिस्टर्ड संख्या 2414 पत्रांक 14-8-85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, मुख्य टाण्डा नहर के कि0 मी0 61·594 पर ग्राम देवडीह एवं गोपाल पट्टी सरहद पर साइफन बनाना प्रस्तावित है। यह कार्य शारदा सहायक पोषक नहर की आगामी बन्दी माह अप्रैल-मई, 1987 में कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद आजमगढ़ के मु0 मलिक ताहिरपुरा निवासी श्री जगत नारायन द्वारा भूमि अध्याप्ति पर प्रतिकर भुगतान की मांग

149–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगत नारायन पुत्र श्री महेश निवासी मु0 मलिक ताहिर पुरा नगर पालिका मउनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ का कोई पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-3-86 के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

आराजी नम्बर 182 से सम्बन्धित भूमि का मामला विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा जा चुका है। भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया के पश्चात प्रतिकर बांटने का कार्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया गोला के ग्राम बिसरा को घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा की मांग

150–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया गोला में लगे घाघरा नदी कटाव से नगर तथा सटेग्राम सीसरा को कटाव से बचाने हेतु स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 6-6-84 का सिंचाई विभाग

तथा शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थाई व्यवस्था कब तक कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 6-6-84 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

गोला कस्बे की सुरक्षा हेतु एक परियोजना विचाराधीन है। लेकिन ग्राम बिसरा (ग्राम का सीसर नाम नहीं है) की कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक बेलघाट अन्तर्गत मिसिया नाले पर पम्प हाउस बनाने की मांग

151–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का पत्र दिनांक 5 मार्च, 86 गोरखपुर जिलान्तर्गत बेलघाट वि0 खण्ड में मिसिया नाले पर पम्प हाउस बनाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5 मार्च के साथ उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्र में पम्पिंग द्वारा जल निकासी विभागीय नीति के अनुकूल नहीं है । अतः इस पत्र पर प्रारम्भिक जांच के उपरान्त किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

शारदा सहायक नहर से लखीमपुर और सीतापुर जिले के जल भराव के कारण सरयू नहर निर्माण का प्रस्ताव

152–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर से लखीमपुर और सीतापुर जिले के जल भराव और क्षति को देखते हुए बस्ती जिले से होकर जाने वाली सरयू नहर के प्रस्तावित निर्माण पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत जनपद–बस्ती में प्रस्तावित नहरों से सम्भावित जल भराव के निदान हेतु समुचित व्यवस्था रखी गई है । अतः नहर निर्माण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में टांडा नहर निर्माण हेतु अध्याप्त की गई कृषकों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान

153–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम दवेडीह के कृषकों को चक नं0 500/745, 550, 551, 554, 566, 567, 568, 591, 616, 630, 632 की भूमि नहर निर्माण हेतु अधिग्रहण की गयी है ? यदि हां, तो इस भूमि का प्रतिकर अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के ग्राम दवेडीह के कृषकों के दर्शाये गये चकों की भूमि, चक संख्या 566 को छोड़कर टाण्डा नहर निर्माण हेतु ली गई थी ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ की शारदा सहायक सिंचाई खण्ड टांडा नहर को गर्मी में चलाये जाने की मांग

154–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक सिंचाई खण्ड टांडा नहर गर्मी के दिनों में क्यों नहीं चल पाती है तथा इस वर्ष की गर्मी के दिनों में उसकी क्या स्थिति रहेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मुख्य नहरों के आवश्यक रख-रखाव कार्य तथा लाइनिंग कार्य हेतु शारदा सहायक पोषक नहर का गर्मी के दिनों में वार्षिक क्लोजर होता है जिस कारण उससे निकलने वाली सिंचाई खण्ड, टांडा की नहरें भी बन्द रहती हैं।

मुख्य नहरों का रख–रखाव कार्य कराने एवं उनमें लाइनिंग कराने हेतु इस वर्ष गर्मी के दिनों में दिनांक 3-4-86 से दिनांक 10-6-86 तक क्लोजर रहा।

155–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ की अभयपुर माइनर की सफाई एवं पानी की आपूर्ति

156–श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की अभयपुर माइनर की सफाई कब हुई थी ? क्या टेल तक पानी पहुंचता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आंजमगढ़ जिले की अभयपुर माइनर की सफाई 22-10-85 से लेकर 18-11-85 तक हुई थी।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नसीरपुर हाटा के नलकूप लाइन की मरम्मत कराने की मांग

157–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 91 व 92 के उत्तर में आश्वासन किया था कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नसीरपुर हाटा में नलकूप सं0 105 के पश्चिमी पाइप लाइन भट्ठा मालिक द्वारा मिट्टी खोदकर अपने मसरफ में लाने से जगह-जगह अवरुद्ध हो गई है जिससे पाइप लाइन की पुनः लेइंग की आवश्यकता है और इसे दुरुस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा भट्ठा मालिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त आश्वासन के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता नलकूप मण्डल गाजीपुर भट्ठा मालिक की साजिश में होकर उसके ऊपर न कोई विभागीय कार्यवाही किये और न ही उक्त पाइप लाइन की मरम्मत कराए ? उक्त अनियमितता के लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध अब क्या कार्यवाही की जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उल्लिखित उत्तर में पश्चिमी पाइप लाइन की मरम्मत या पुनः लेइंग की कोई बात नहीं कही गई थी अपितु

पूर्वी उत्तरी पाइप लाइन के सन्दर्भ में यह बात कही गई थी ।

भट्ठा मालिक के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा संख्या–45 दिनांक 9-2-86 दर्ज कराई गई है तथा विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी, नलकूप प्रखण्ड, गाजीपुर के न्यायालय में वाद संख्या 271 दिनांक 10-2-86 द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है जिसके अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिव्य प्रकाश सिंह, अवर अभियन्ता, देवकली पम्प नहर खण्ड प्रथम, गाजीपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

158–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि देवकली पम्प नहर खण्ड प्रथम, गाजीपुर में कार्यरत श्री दिव्य प्रकाश सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा किये गये घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में दिनांक 19-3-86 का प्रश्नकर्ता का पत्र आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में लिखित आरोपों की जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

शिकायत की जांच सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा करायी गयी। जांच में संबंधित अवर अभियन्ता को दोषी नहीं पाया गया । किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रवीण कुमार सिंह, अवर अभियन्ता देवकली पम्प नहर खण्ड प्रथम जनपद गाजीपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

159–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद के देवकली पम्प नहर खण्ड प्रथम में कार्यरत श्री प्रवीण कुमार सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता कर शासकीय राजस्व की हानि की जांच हेतु दिनांक 19-3-86 को लिखा हुआ प्रश्नकर्ता का पत्र आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में लिखित अलग-अलग आरोपों को व्योरेवार जांच किस अधिकारी से कब कराई गई तथा उस जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये, एवं इस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा करायी गयी । शिकायती पत्र में वर्णित आरोप सिद्ध नहीं पाये गये अतः अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम महेन्द में यूसुफपुर समूह के नलकूप की नालियों का निर्माण

160–श्री अफजल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम महेन्द में यूसुफपुर समूह के नलकूप सं0 177 किस सन् में बनकर तैयार हो गया? किन कारणों से उक्त नलकूप की नाली आज तक नहीं बनाई गई और न ही उक्त नलकूप से आज तक सिंचाई प्रारम्भ की जा सकी?उक्त के लिए

किसे जिम्मेदार समझा जाय? कब तक नलकूप की नालियां बनाकर सिंचाई प्रारम्भ करा दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नलकूप सं0 177 का उर्जीकरण दिनांक 26-7-80 को हुआ। इस नलकूप पर निधियों की कमी से केवल 0.2 कि0मी0 पक्की नाली और 1.00 कि0मी0 कच्ची नाली कुल 1.2 कि0मी0 वितरण प्रणाली का निर्माण हुआ है। इस नलकूप के क्षेत्र जल प्लावित होने के कारण नलकूप से सिंचाई की मांग कम रहने से सिंचाई नहीं के बराबर हुयी है। इस नलकूप पर शेष वितरण प्रणाली हेडपम्प बनाकर पी0वी0सी0 पाइप से जनपद प्लान से उपलब्ध धनराशि के अनुसार आगामी वर्षों में पूरी किए जाने का अनुमान है।

सिंचाई निर्माण प्रखण्ड, गाजीपुर के विभिन्न ग्रामों में जोड़ी गई अल्पिकाओं पर कार्य एवं प्रगति

161–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में सिंचाई निर्माण प्रखण्ड गाजीपुर के अन्तर्गत हरबल्लमपुर, बधरी, हमीदपुर दराली, जोगियापार, ऊसरगंज, केसरा इत्यादि ग्रामों में माइनर्स खोदी गयी है? यदि हां, तो किस अभियंता की देख-रेख में कार्य हुआ है? क्या उक्त माइनर्स की खुदाई का पेमेन्ट भी विभाग कर चुका है? यदि हां, तो क्या वास्तव में ये माइनर्स खोदी भी गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत ग्रामों के लिये वर्ष 1960 से पूर्व चन्द्रप्रभा प्रखण्ड वाराणसी द्वारा हरबल्लमपुर, बघरी हमीदपुर, दराली, जोगियापार ऊसरगंज तथा केसरा अल्पिकायें निर्मित की गई थी, जिनका विस्तार एवं पुनरोद्धार का कार्य सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजीपुर द्वारा वर्ष 1980 से किया जा रहा है। बघरी माइनर का कार्य पूर्ण हो चुका है व केसरा माइनर का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। शेष पांच अल्पिकाओं पर कार्य प्रगति में है।

विस्तार एवं पुनरोद्धार का कार्य सर्वश्री एम0ए0 अन्सारी, शिव जी सिंह तथा श्री चन्द्र सहायक अभियन्ता एवं सर्वश्री ढुलाल चन्द्र घोष, बिरजाशंकर राय व लाल शरण अवर अभियन्ता की देख-रेख में हुआ।

जी हां।

जी हां, उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के ब्लाक भांवर काल के अन्तर्गत वीरपुर पम्प नहर हेतु अधिग्रहीत कृषकों की भूमि के मुआवजे का भुगतान

162–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खंड भांवर काल में स्थित 50 क्यूसेक क्षमता की वीरपुर पम्प नहर हेतु जो भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उसका मुआवजा संबंधित भू-स्वामियों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो किन-किन भू-स्वामियों को कितना-कितना मुआवजा देना बाकी है? क्या मंत्री जी ब्याज लगाकर उक्त भू-स्वामियों को मुआवजा अदा करवायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सीताराम यादव प्रारूपकार (ड्राफ्टमैन) शारदा नहर सिंचाई खण्ड शाहजहांपुर के स्थानान्तरण को रद्द करने की मांग

163–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-2-86 को प्रश्नकर्ता ने कोई आवेदन पत्र अपनी संस्तुति के साथ राज्य सिंचाई मंत्री को इस आशय का दिया था कि श्री सीताराम यादव प्रारूपकार

(ड्राफ्टमैन) शारदा नहर सिंचाई खण्ड, शाहजहांपुर के मध्य सत्र में किये गये स्थानान्तरण को रद्द कर दिया जावे? क्या सरकार बतायेगी कि श्री सीताराम यादव प्रारूपकार को मात्र एक वर्ष पांच माह तथा बीच सत्र में हटाकर उनके स्थान पर श्री अकील अहमद प्रारूपकार को स्थानान्तरित करने का क्या आधार है, जबकि श्री अकील अहमद इस पद व स्थान पर 13 वर्ष रह चुके हैं? क्या बीच सत्र में स्थानान्तरण वगैर किसी समुचित कारण के शासन की नीतियों के अनुरूप है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। अपितु प्रश्नकर्ता का 11-2-86 का पत्र मुख्य अभियन्ता (शारदा) को प्राप्त हुआ था। श्री सीताराम यादव को पुनः उसी स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं पाया गया।

164–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद ललितपुर में आई0 टी0 आई0 की स्थापना की मांग

165–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद में आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से 8 लाख रुपया पंचायत राज विभाग से श्रम विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु जिला प्रशासन ने शासन से संस्तुति की है? यदि हां, तो उक्त आठ लाख रुपया श्रम विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त आई0टी0आई0 को कब तक बनाया जायेगा?

श्री सईदुल हसन–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0टी0आई0 ललितपुर में प्रशिक्षण सत्र 1986–87 से प्रारम्भ हो जायेगा।

जनपद ललितपुर के गोविन्द सागर व जामनी बांध की मुख्य नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई की मांग

166–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर जनपद के गोविन्द सागर बांध व जामनी बांध की मुख्य नहरों से उनके अन्तिम छोर तक सिंचाई की जाती है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त बांधों की नहर 30 से 40 कि0मी0 लम्बी होने पर भी केवल 20-25 कि0मी0 तक ही सिंचाई की जाती है शेष भाग असिंचित रहता है? इन नहरों में अंतिम छोर तक सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने का शासन क्या उपाय कर रहा है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। गोविन्द सागर बांध से दो मुख्य नहरें दायीं व बायीं निकलती हैं। इनकी लम्बाई क्रमशः 52 कि0मी0 तथा 14.4 कि0मी0 है। इन नहरों से क्रमशः 44 कि0मी0 तथा 13.7 कि0मी0 तक के क्षेत्र की सींच हो जाती है। शेष क्षेत्र जो इन नहरों के अन्तिम छोर पर पड़ता है, असिंचित रह जाता है। जामनी बांध से भी सिंचाई हेतु दो मुख्य नहरें दायीं एवं बायीं निकलती हैं जिनकी लम्बाई क्रमशः 25.4 एवं 42 कि0मी0 है। इन नहरों द्वारा इनके अन्तिम छोर तक सिंचाई हो जाती है किन्तु बायी जामनी नहर के टेल (कि0मी0 42) से निकलने वाले बानपुर रजवाहा जिसकी लम्बाई 30 कि0मी0 है, से इसके अन्तिम छोर तक सींच नहीं हो पाती है।

उक्त असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए सजनम बांध और शहजाद बांध योजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा भौंरट बांध, कचनोदा बांध एवं उटारी बांध योजनाएं अनुसंधानरत हैं।

जनपद रायबरेली के अंतर्गत पोषक नहर निर्माण में ग्राम कसरावां के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान

167—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली में शारदा सहायक खण्ड 6 के अंतर्गत ग्राम कसरावा के किसानों की भूमि पोषक नहर के निर्माण हेतु सन् 1972 में तीन वर्षों के लिये अस्थायी रूप से अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि को खोदकर मिट्टी निकालने के कारण वहां तालाब बन गया है जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है? और उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रह गयी है? क्या मंत्री बतायेंगे कि किसानों की कितनी भूमि अर्जित की गयी थी और क्या उन्हें मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

अस्थाई रूप से अधिग्रहीत की गई भूमि से मिट्टी खोदे जाने के कारण कुछ में पानी भरा रहता है।

किसानों की अस्थाई रूप से ली गयी भूमि के संबंध में अभिनिर्णय दिनांक 16-8-86 को घोषित किया गया है तथा रुपये 7,820.35 के प्रतिकर भुगतान में से रु0 4,524.35 का भुगतान कर दिया गया है। शेष धनराशि का वितरण काश्तकारों के उपस्थित होने पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी रायबरेली द्वारा कर दिया जायेगा।

जनपद रायबरेली के अंतर्गत डीह रजवाहा के निर्माण हेतु ग्राम मुरैनी के कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजों की मांग

168—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली में ग्राम मुरैनी के किसानों की भूमि 1977 में डीह रजबहा के निर्माण हेतु बिना किसी नोटिस के अधिग्रहीत कर ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या किसानों को जिनकी भूमि ली गयी थी, मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद रायबरेली में डीह राजबाह के पुनरुद्धार हेतु मुरैनी ग्राम के किसानों की भूमि की अधिग्रहण प्रस्ताव दिनांक 28-10-1975 को भेजा गया तथा पुनरुद्धार कार्य वर्ष 1977 में कराया गया।

भूमि अधिग्रहण हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार धारा-4 (1) व धारा-6(1) की विज्ञप्तियां प्रकाशित न होने के कारण अभी तक भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं हो सका है। विज्ञप्तियां प्रकाशित होने के उपरान्त प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार

169—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-12-85 से कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के समक्ष चार कर्मचारी संगठनों ने मिलकर कर्मचारियों की 21 सूत्रीय समस्याओं एवं मांग को लेकर आमरण अनशन प्रारम्भ किया था ? यदि हां, तो यह आन्दोलन कितने

दिनों तक चला तथा इन मांगों और समस्याओं पर किन-किन अधिकारियों से वार्ता हुई और क्या-क्या निर्णय लिए गए ? क्या निर्णय में संयुक्त मोर्चों के चारों घटक शामिल थे ? यदि नहीं, तो वार्ता में किन-किन संघों को शामिल किया गया और किन संगठन को वार्ता में शामिल नहीं किया गया और क्यों ?

श्री सईदुल हसन–

जी हां। आन्दोलन (आमरण अनशन) 9-12-85 से 1-2-86 तक चला । संगठन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों के संबंध में प्रगति की जानकारी हेतु प्रमुख अभियंता, सिंचाई, मुख्य अभियंता (सज्जा) एवं संयुक्त सचिव, सिंचाई से समय-समय पर स्वत: मिलते रहे ।

दिनांक 1-2-86 को प्रान्तीय सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद् को छोड़कर अन्य तीन कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि सचिव, सिंचाई विभाग से मिलने आये और सचिव, सिंचाई विभाग के आश्वासन पर कि शासन उनकी मांगों पर विचार कर रही है, आन्दोलन वापस ले लिया गया । बाद में शासन ने निर्णय लेकर वेतन की अधिकतम सीमा तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में क्रमश: दिनांक 16-5-86 तथा 28-4-86 को आदेश जारी कर दिये हैं । सचिव, सिंचाई विभाग से मिलने जिन संगठनों के प्रतिनिधि आये उन्हें शामिल किया गया, किसी को शामिल न करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सी0 पी0 सक्सेना, उपनिदेशक, प्रशिक्षण, कानपुर के विरुद्ध जांच तथा स्थानान्तरण की मांग

170–श्री दीप नारायण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1984 में श्री सी0 पी0 सक्सेना उप निदेशक प्रशिक्षण, कानपुर के विरुद्ध कोई जांच हुई थी ? यदि हां, तो क्या दोषी पाये जाने पर उन्हें चार्जशीट देने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सईदुल हसन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

171–श्री दीप नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि श्री सी0 पी0 सक्सेना लगभग 22 साल से ही कानपुर और लखनऊ में ही तैनात रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री सईदुल हसन–

जी नहीं, कानपुर और लखनऊ के अतिरिक्त श्री सक्सेना मुजफ्फर नगर में भी तैनात रहे हैं ।

श्री सक्सेना को जनहित में अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

जनपद आजमगढ़ में ठेकमा के पास जमुआंवा ड्रेन पर पुलिया निर्माण की मांग

172–श्री दीप नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ठेकमा के पास जमुआंवा के ताल की एक ड्रेन ग्राम जमुआंवा के राजभरों की आबादी को दो भागों में काटती है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उस जगह ड्रेन पर पुलिया बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । कथित स्थल से 150 मीटर की दूरी पर पहले से ही एक पुलिया निर्मित है । अत: केवल 150 मीटर दूरी के अंतराल पर दूसरी पुलिया बनवाने का कोई औचित्य नहीं है ।

सिंचाई कार्य मंडल फैजाबाद द्वारा नलकूपों पर पाइप गूल निर्माण में लगी सामग्री का विवरण

173—इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 में सिंचाई कार्य मंडल फैजाबाद एवं इसके अधीनस्थ विभिन्न खण्डों द्वारा नलकूपों पर पाइप गूल बनाने के लिए 12 इंच व्यास के कितने मीटर सीमेंट कंकरीट, पाइप का निर्माण कराया गया? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

174—इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

उपरोक्त पाइपों का विभिन्न खण्डों में नलकूपों के क्षेत्रों में बिछाने हेतु कितने-कितने अनुबंध तथा कार्यादेश कब-कब कितनी लम्बाई के किये गये थे ? क्या उक्त सम्पूर्ण पाइपों का नलकूपों पर पाइप गूल के रूप में प्रयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, जनपद फैजाबाद में अन्वेषणात्मक नलकूपों के छिद्रण का प्रस्ताव

175—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 1ले बुध के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 109 के उत्तर के संदर्भ में सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा केन्द्रीय भूगर्भ जल संगठन लखनऊ को गवेषणात्मक छिद्रण हेतु पत्रांक 8336/न0 पू0 अनु0 164 बी- 2002 डब्लू/दि0 31-10-84 तथा पत्रांक 10092/न0पू0 अनु0 दिनांक 1-1-85 एवं पत्रांक 8922/न0पू0अनु0 दिनांक 30-11-85 द्वारा लिखे गये पत्र के संदर्भ में अभी तक अनुपालन न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस संदर्भ में कोई ऐसा आदेश उक्त संगठन को निर्गत करेगा कि जनहित में स्वीकृत नलकूप का छिद्रण कार्य कब तक सुनिश्चित कर देगी?

श्री बीर बहादुर सिंह—

केन्द्रीय भूगर्भ जल संगठन ने ग्राम-रानीपुर घुड़वल में अपने पत्र संख्या 243/4(203) केन्द्रीय भूगर्भ जल संगठन दिनांक 4-2-86 द्वारा राजकीय नलकूप बनाने में असमर्थता प्रकट की है ।

तत्पश्चात् उनसे पुनः विशेष अनुरोध करने पर उन्होंने अपने पत्रांक 1756/4/203/सी0जी0डब्लू0बी0/एन0 आर0 एस0-एण्ड आई0 दिनांक 25-8-86 द्वारा अपने मुख्य हाइड्रोजियोलाजिस्ट भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन नई दिल्ली को लिखा है कि उन्हें 1986-87 में इस नलकूप को अपने अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्यक्रम में लेने की अनुमति दी जाय। उनके मुख्यालय नई दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद ही इस नलकूप के छिद्रण की कार्यवाही संभव होगी।

श्री राहत हुसैन सहायक अभियंता, मिर्जापुर नहर प्रखण्ड के विरुद्ध सर्तकता जांच/स्थानान्तरण की मांग

176—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के मिर्जापुर नहर प्रखंड के द्वितीय उप खंड राबर्टसगंज में लाखों रुपयों के गबन तथा दुरुपयोग की सतर्कता विभाग द्वारा जांच एवं जांच हित में संबंधित सहायक अभियंता का स्थानान्तरण जन-

पद के बाहर अकार्यकारी पद पर करके मई 85 में कार्यमुक्त कर दिये जाने के बाद प्रमुख अभियंता सिंचाई द्वारा शासन की नीति के विरुद्ध स्थानान्तरण आदेश मध्यसत्र में संशोधित करके उसी जनपद में जांच स्थल के सटे प्रखंड के कार्यकारी उपखंड में पुनः नियुक्त करने के क्या कारण है ? उक्त सहायक अभियंता को जनपद के बाहर उसके पूर्ववर्ती स्थानान्तरित स्थान पर कब तक भेज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री राहत हुसैन, सहायक अभियंता का स्थानान्तरण द्वितीय दक्षतारोक पार करने के निमित्त कार्यालय प्रमुख अभियंता के ज्ञाप दिनांक 2-6-84 द्वारा मिर्जापुर नहर प्रखंड मिर्जापुर से मुख्य अभियंता (परिकल्प एवं शोध) के संगठन में किया गया था तथा उपरोक्त स्थानान्तरण कार्यालय प्रमुख अभियंता के अ0शा0 पत्र दिनांक 2-7-84 द्वारा 31-5-85 तक स्थगित किया गया था । दिनांक 1-6-85 से इनको कार्यमुक्त मान लिया गया था तदुपरान्त शासन के अ0शा0 पत्रांक -4977/दो -85/23-सिं -2/14 (129)/85, दिनांक 21-12-85 के अनुपालन में कार्यालय प्रमुख अभियंता के ज्ञाप दिनांक 23-12-85 द्वारा इन्को ओबरा बांध निर्माण मण्डल, ओबरा में प्रतिबंधित स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया था जहां इन्होंने 6-2-86 को कार्यभार ग्रहण किया । शासन के अ0 शा0 पत्रांक-2796/दो-86/23-सिं-2/14(129)/85, दिनांक 19-7-86 के संदर्भ में कार्यालय प्रमुख अभियंता के ज्ञाप दिनांक 25-8-86 द्वारा इनका स्थानान्तरण परिकल्प संगठन लखनऊ को कर दिया गया है ।

जनपद गोरखपुर अन्तर्गत सरयू पम्प नहर परियोजना की गोला शाखा निकाले जाने की अब तक की प्रगति रिपोर्ट

177–श्री मित्रसेन–

क्या विधान सभा के ग्रथम सत्र 86 के 6ठे बुध के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 53 के प्रत्युत्तर में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित बिन्दुओं का विवरण क्या है तथा संदर्भगत मामले में अब तक क्या अपेक्षित कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सरयू नहर परियोजना की गोला शाखा के निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-12-85 में उल्लिखित बिन्दुओं जिनका विवरण निम्न है, पर आख्या मांगी गई थी :-

1–प्रभावशाली भूस्वामी के चकों को बचाने के दृष्टिकोण से अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम गोरखपुर द्वारा जो भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उसमें लाल बहादुर शास्त्री पूर्व माध्यमिक विद्यालय दहेंडीह (गोरखपुर) के विद्यालय भवन (गाटा संख्या-91) की 031/2 डि0 तथा खेल मैदान (गाटा संख्या-93) 12.8 डि0 ली जा रही है ।

2–विद्यालय प्रांगण में नहर के निर्माण जाने से विद्यालय के शिक्षण कक्षों तथा विज्ञान भवन को खतरा उत्पन्न हो गया है । सार्वजनिक हित में निर्मित इस संस्था के हितों को तिलांजलि दे दी गई है ।

3–बच्चों के पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने के लिए समस्या हो जायेगी ।

4–विद्यालय में सदैव कीचड़ व जल-जमाव की स्थिति बनी रहेगी ।

5–विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

मुख्य अभियन्ता से प्रश्नगत मामले में कुछ बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई थी, जो उनसे दिनांक 23-8-1986 को प्राप्त हुई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

178-179–श्रीमती शारदा देवी–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध जांच की मांग

180–श्रीमती शारदा देवी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध जनवरी, 85 से 15-7-85 तक किन-किन श्रोतों से कुल कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी शिकायतों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इस अवधि में प्रश्नकर्ता एवं श्री भृगुनाथ भट्ट, सदस्य, विधान सभा तथा श्री सुदामा प्रसाद, श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, श्री रमा शंकर पाण्डेय, श्री अशोक कुमार वर्मा, श्री राकेश रमन चौधरी तथा श्री रामबन शाही से कुल 10 शिकायती पत्र प्राप्त हुए । शिकायतों की जांच सहायक आयुक्त, खाद्य, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, जिलाधिकारी, गोरखपुर तथा खाद्य पुलिस प्रकोष्ठ से कराई गई । शिकायतों की जांच में कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए । अतः जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना उपयोगी नहीं है ।

गोरखपुर जिला पूर्ति कार्यालय के लिपिक श्री अशोक कुमार वर्मा व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री मोहन लाल शर्मा के विरुद्ध जांच

181–श्रीमती शारदा देवी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला पूर्ति कार्यालय के सीमेंट लिपिक श्री अशोक कुमार वर्मा व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री मोहन लाल शर्मा ने 20 हजार बोरी सीमेंट का घपला किया था जो जांच में सही पाया गया था तथा उक्त दोनों कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था ? क्या सरकार इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा कायम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 1984 में जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, श्री मोहन लाल शर्मा व लिपिक श्री अशोक कुमार वर्मा को निलम्बित किया गया था जिन्हें अब बहाल कर दिया गया है । समूचे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर के एस0 डी0 एम0 सदर द्वारा दुकान आवंटन के प्रार्थना पत्र पूर्ति निरीक्षकों को जांच हेतु न देने पर कार्यवाही की मांग

182–श्रीमती शारदा देवी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी सदर, जिला गोरखपुर में उचित दर की दूकानों के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्रों को 3 नवम्बर, 85 से 15 फरवरी, 86 तक परगनाधिकारी सदर द्वारा किन परिस्थितियों में पूर्ति निरीक्षकों को जांच हेतु नहीं दिया गया ? इसका क्या कारण था ?

श्री हुकुम सिंह–

अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) गोरखपुर की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22-11-85 के अंतर्गत उचित दर की दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 1-12-85 से 10-12-85 की अवधि में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने पर 437 प्रार्थना पत्र जिला पूर्ति कार्यालय में प्राप्त हुए । उक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी द्वारा निरस्त किए गए थे । इन 437 प्रार्थना-पत्रों को ब्लाकवार तथा न्याय पंचायतवार करके माह जनवरी, 1986 में सदर तहसील के दोनों पूर्ति निरीक्षकों को जांच हेतु नोट कराया गया और मूल प्रार्थना पत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक कौड़ीराम की न्याय पंचायत जानीपुर अन्तर्गत एक ही परिवार में कोटेदार/खाद्य परामर्शदात्री समिति के सदस्य मनोनीत करने का औचित्य

183–श्रीमती शारदा देवी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के श्री राम बचन शाही, नि0 ग्रा0 खजुरी बाबू न्याय पंचायत जानीपुर वि0 खण्ड कौड़ीराम तह0 बांसगांव की खाद्य परामर्शदात्री समिति तह0 बांसगांव के सदस्य मंत्री जी के द्वारा मनोनीत किए गए हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इनके सगे बड़े भाई श्री रामकृपाल शाही एवं इनके पुत्र श्री अशोक कुमार शाही उसी न्याय पंचायत के सरकारी सस्ते गल्ले, मिट्टी के तेल व चीनी के कोटेदार हैं ? यदि हां, तो क्या खाद्य रसद विभाग में ऐसा प्राविधान है ? यदि नहीं, तो एक ही परिवार में कोटेदार व खाद्य परामर्शदात्री समिति के सदस्य मनोनीत करने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ब्लाक देवां अन्तर्गत शारदा सहायक पोषक नहर निर्माण से कतिपय गांवों में जल भराव की समस्या

184–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें पता है कि जनपद बाराबंकी की विकास खंड देवा के ग्राम मढी मजरेडखड़ी, जगरूप रूपपुरवा, इब्राहीम खनमहा आदि कई गांव शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण के बाद से चारों ओर से नहरों से घिरे हुए हैं जिसके कारण वर्षा ऋतु में भयानक जल भराव हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी ड्रेन को फिर से खुदाई करके खनवाहा ग्राम होते हुए उखड़ी माइनर के दूसरी ओर झील में मिलाने के आदेश देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण के बाद जनपद बाराबंकी के विकास खंड देवा के ग्राम मढ़ी मजरे उखड़ी, जगरूप, रूप पुरवा, इब्राहीम खनवाहा आदि के 127 हेक्टेयर नशेबी क्षेत्र वर्षाकाल में जल भराव से प्रभावित होते हैं । क्षेत्र की जल निकासी हेतु विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही प्रस्ताव बनाए जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आप देखें कि प्रतिदिन 2-3 से ज्यादा प्रश्न तारांकित प्रश्नों की इस सूची से नहीं आ पाते हैं । जिन लोगों के प्रश्न तारांकित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्नों की सूची में आए हैं उनको भी जवाब नहीं मिल पायेगा, तो इसके लिए आप कोई व्यवस्था करें अन्यथा नियम-49 में चर्चा स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री राणा जी का सहयोग चाहूंगा और वह इसमें कोई तरीका निकालें, मैं स्वयं इसको चाहता हूं ।

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंचाई राज्य मंत्री पर आपकी विशेष कृपा है और इनके यहां जो भ्रष्टाचारी अभियन्ता हैं उन पर इनकी कृपा है । इस संबंध में आज अतारांकित प्रश्न सं0 77 लगा था ।

श्री अध्यक्ष–

आपको जो कहना है वह लिखकर दे दें तो उसको देख लेंगे ।

मुरादाबाद जनपद में अनावृष्टि एवं सूखे से फसलों की बरबादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें 7 को मैंने स्वीकार किया है और वे हैं–1–श्रीमती रीना कुमारी, 2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, 3–श्री शारदा नंद अंचल, 4–श्री सुखपाल पाण्डे, 5–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, 6–श्रीमती सरस्वती देवी और 7–श्री रघुनर दयाल वर्मा । शेष सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है ।

श्रीमती रीना कुमारी–

माननीय अध्यक्ष जी, निरन्तर अनावृष्टि से जनपद मुरादाबाद के किसानों के समक्ष गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।। किसानों की खेती में खड़ी गन्ने, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसलें सूख रही हैं । अभी तक फसलों में 80 प्रतिशत से अधिक क्षति हो चुकी है । सूखे की इस भीषण समस्या से किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है । किसान किसी प्रकार के सरकारी बकाए को देने की स्थिति में नहीं है । यहां तक लगान एवं सिंचाई का भुगतान भी नहीं कर सकता है । इस समय बची हुई फसलों को बचाने के लिए निरन्तर बिजली एवं नहरों द्वारा जल की आपूर्ति की जाए ।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करती हूं कि मुरादाबाद जनपद को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाए तथा सभी प्रकार के देयों की वसूली रोक दी जाय तथा सरकार भुखमरी की समस्या के निवारण हेतु समुचित कदम उठाए ।

थाना लोनी कटरा, बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कृष्ण कुमार पाण्डे की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बाराबंकी में थाना लोनीकटरा ग्राम सराय के भाजपा नेता कृष्ण कुमार पाण्डेय की हत्या 30-8-86 को थानाध्यक्ष लोनीकटरा द्वारा एलान करके करा दी गई । पाण्डेय ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच हेतु जनमत जागरणार्थ सभा भिलवल बस स्टाप पर 29 अगस्त को की । इसे विफल कराने हेतु थानाध्यक्ष जुट गए । पाण्डेय को सार्वजनिक रूप से थानाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सभा किया तो तुम्हारे हाथ-पांव काट कर फिकवा दूंगा । इसकी जानकारी 28

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगस्त को लिखित रूप में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दे दी गई और सुरक्षा मांगी गई । आश्वासन पर सभा हुई । सभा में थानाध्यक्ष के विरुद्ध दो हरिजनों की फर्जी मुठभेड़ द्वारा हत्या, पेड़ कटवाने, रिश्वतखोरी की शिकायत की गई ।

सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि सभा के दूसरे दिन 30 अगस्त को पाण्डेय की हत्या कर दी गई । पुलिस जुल्म तथा एक जन नेता की हत्या से क्षेत्र में भय तथा आतंक व्याप्त है ।

मैं हत्यारों तथा साजिश करने वाले थानाध्यक्ष के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

बलिया जनपद में छात्र-छात्राओं के प्रवेश में विद्यालयों में बरती जा रही भेदभाव की नीति एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शारदा नन्द अंचल–

बलिया जनपद में छात्र-छात्राओं के प्रवेश की भीषण समस्या खड़ी हो गई है। अनेक विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से अवैध धन (रिश्वत या चन्दा) वसूला जा रहा है । यही नहीं, सवर्ण जातियों के कक्षा अध्यापक या प्राचार्य भेदभाव से चलते हैं हरिजन व पिछड़ी जातियों के गरीब बच्चों को, जान बूझकर प्रवेश से वंचित कर दिया जा रहा है और लड़के परेशान होकर इधर-उधर घूम रहे हैं । मा0 शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके ही विद्यालय में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में, पढ़ने व परीक्षा देने का अवसर नहीं मिल पा रहा है । मान्यवर, यही नहीं विगत कई वर्षों से छात्रों की बढ़ रही संख्या के बावजूद प्रबन्ध समितियों/प्रधानाचार्यों के अनुरोध को उत्तर प्रदेश सरकार ठुकरा कर अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक नहीं हटा रही है, जिससे अध्यापकों के अभाव में छात्रों के प्रवेश की समस्या और बढ़ गई है ।

अतः इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि छात्रों की खुली भर्ती व प्रवेश की समस्या का निराकरण तथा अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी रोक हटाने तथा इन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया जाय ।

जनपद बस्ती की हरैया तहसील में घाघरा नदी की कटान से क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों के निवारण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हरैया तहसील घाघरा के भयंकर कटान के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

ग्राम पिठिया, नियामतपुर, दानेपुर, वेदौलिया, बलूआ, बलूआ-रूदन, रुदनी, बाबूपुर, जमुआरी, दूधावरी, सिकटहा, अर्जुनपुर, विशुनपुर, कौसिया आदि गांवों के कटान की रोकथाम हेतु कुछ गांवों की योजना जनवरी, 1986 में सिंचाई विभाग की टी0ए0सी0 ने स्वीकृत किया था । खेद है कि सरकार का निर्देश है कि 15 जून के पहले बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरा कर लेवें । जनवरी की स्वीकृति कार्यों पर कार्य 15 मई से चालू किया गया जिससे बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरा न होने के कारण घाघरा में बने ठोकर कट गए । जनप्रतिनिधियों के सूचना के बावजूद बाढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी जिम्मेदारी विभाग के उच्चाधिकारियों की है । विक्रमजोत से दुबौलिया तक बाढ़ विभाग का 16 कि0मी0 निर्मित बन्धा घाघरा के कटान से केवल 12 मीटर की दूरी पर है । उक्त गांवों के आबादी की जमीन दिन रात कट रही है । बन्धा आबादी तथा जमीन कट जाने से लाखों परिवार असुरक्षित हो जायेंगे ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त गांवों व बन्धों की सुरक्षा हेतु बड़े पैमाने पर योजना बनाकर सुरक्षा कार्य किया जाय तथा लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं ।

उत्तरकाशी में निर्माणाधीन पावर हाउस के संबंध में टिहरी जेल में बन्द लोगों की रिहाई की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

राजकुमार सिविल कांस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड शिवपुरम्-धरासू उत्तर-काशी में पिछले तीन वर्षों से पावर हाउस का निर्माण कार्य ठेके पर कर रही है । कम्पनी के मालिकान मजदूरों का खुला शोषण कर रहे हैं तथा पावर हाउस का निर्माण अधर में है।

दिनांक 5 जून, 86 को साढ़े दस बजे रात मालिकान उपरोक्त ने गुन्डों की मदद से मजदूर कालोनी पर गोली चलायी, 15 मजदूर घायल हुये । पुलिस ने उल्टे मजदूरों को बन्द कर दिया । मुल्जिम आज भी घूम रहे हैं ।

दिनांक 21-6-86 को उत्तरकाशी नगर में मा0 कमलाराम नौटियाल भूतपूर्व चेयर-मैन नगरपालिका उत्तकाशी के नेतृत्व में मजदूरों व छात्रों ने जुलूस निकाल कर मुल्जिमान की गिरफ्तारी तथा मजदूरों को न्याय दिये जाने की मांग की। इनमें से 61 लोगों को वाद संख्या 693/86 धारा, 147, 353/342, 504/506 में टिहरी जेल में बन्द कर दिया गया है। उपरोक्त लोगों को मुकदमें में गलत फंसाया गया है।

मैं शासन से उपरोक्त मुकदमें को वापस लेने तथा बंदी लोगों को रिहा करने की मांग करता हूं ।

जिला जेल जनपद, अल्मोड़ा में एक महिला बंदी श्रीमती पार्वती देवी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरस्वती देवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जेल जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 4 अगस्त, 1986 की एक महिला बंदी श्रीमती पार्वती देवी की हत्या कर दी गयी है। वे विगत कई माह से जिला जेल अल्मोड़ा में सजा काट रही थीं। उनके साथ उसी कमरे में एक अन्य महिला बंदी श्रीमती राधा देवी भी रखी गयी थी। श्रीमती पार्वती देवी ने अपनी सुरक्षा हेतु सी0जे0एम0, अल्मोड़ा को पहले ही एक प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु जिला प्रशासन एवं जेल अधिकारियों ने पहले न तो कोई सुरक्षा व्यवस्था की और न हत्या के बाद ही अब तक कोई पता लग पाया। अत्यधिक संदेहात्मक स्थिति यह है कि साथ में सजा काट रही बंदी श्रीमती राधा देवी का बयान नहीं लिया जा रहा है । इससे जेल अधिकारियों की भूमिका निश्चित ही संदिग्ध प्रतीत होती है एवं यह स्थिति प्रशासन के लिये चिन्ता का विषय बन सकती है । इस घटना के कारण स्था-नीय जनता में भयानक आक्रोश व्याप्त है तथा किसी भी दिन स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

अतः मैं आपके माध्यम से मा0 गृह मंत्री जी का ध्यान उक्त घटना की ओर आकृष्ट करते हुये इस मामले में निवेदन करती हूं कि श्रीमती राधा देवी को पुलिस रिमान्ड में लेकर उनसे पूंछतांछ कर इस जघन्य घटना को उजागर करें ताकि अपराधियों को उचित सजा मिल सके।

आगरा के फिरोजाबाद नगर के दक्षिणी भाग में गन्दे पानी व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर आकृष्ट करता हूं कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के दक्षिण की आबादी रामनगर, आजादनगर, श्याम नगर और चंदवार गेट के गंदे व बरसाती पानी की निकासी का कोई नाला नहीं है जिससे उक्त मोहल्लों की 20 हजार आबादी का सम्बन्ध वर्षाकाल में शहर से अलग इसलिये हो जाता है कि चारों तरफ पानी भरा रहता है तथा एकमात्र निकलने का रास्ता चंदवार गेट रेलवे पुलिया है। उसके हर समय पानी से भरे रहने के कारण आने जाने वालों और भाड़े के ऊंट खच्चर को रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है।

मान्यवर, शहर का शमशान घाट चंदवार गेट पर है जहां शवों को भी रेलवे लाइन पार करके ले जाना पड़ता है जिसमें अनेक बार मानवों पशुओं की मौत रेल दुर्घटना से हुयी है। इससे जनमानस डोल उठा है और शासन के प्रति आक्रोश है।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल एक नाले के निर्माण को कराने हेतु धन स्वीकृत कर आगरा नगरपालिका से स्वीकृत कराकर जनता की समस्या को हल करे।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुयी है।

*श्री अचल सिंह–

मान्यवर, लगातार दो दिन से मैं बराबर सूचना दे रहा हूं। मुझे बता दिया जाय कि इन सूचनाओं की ग्राह्यता के क्या क्या नियम हैं? या ग्राह्यता में आपके यहां या सचिव साहब के यहां हाजिरी देना है, या दोनों जगह हाजिरी देना है? मुझे बता दें कि किस नियम के तहत आप ग्राह्य करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप नियम बना दीजिये मैं मान लूंगा।

श्री अचल सिंह–

मैं देख रहा हूं कि जो सुबह हाजिरी बजाते हैं उनकी स्वीकार हो जाती है। मैं 2 दिन से हाजिरी बजा रहा हूं, आप बता दीजिए कि क्या करूं ?

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, लगातार मैं 301 की सूचना अपनी तहसील के बारे में दे रहा हूं। उसी प्रकार की और सूचनाएं एक्सेप्ट की जायं और मेरी सूचना रोज-रोज हटा दी जाय, इसका कोई कारण होना चाहिये। एक दिन आपके पास विशेष महत्व की सूचनाएं आ जायं, न लें, तो बात समझ में आती है लेकिन रोज-रोज जो सुबह सब जगह हाजिरी दे लेता है उसकी स्वीकार हो जाती है। जो नियम के अनुसार आपके पास भेजें, उनकी 301 में स्वीकार न की जाय...

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अगर यही नियम है, तो हम लोग अब नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देना बन्द कर दें। अब यही एक सूरत रह गयी है।

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता जो निर्णय ले लें, उसे मैं मान लूंगा ।

आज नियम 300 के अन्तर्गत तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जहां तक पहली और दूसरी सूचना का सवाल है, इस मामले का कोई सम्बन्ध संविधान अथवा प्रक्रिया नियमावली के उल्लंघन से नहीं है। इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

बाराबंकी में पुलिस फायरिंग के संबंध में दिनांक 2 सितम्बर, 1986 को उठाये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के विषय में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। कल जो सवाल बाराबंकी पुलिस फायरिंग के बारे में माननीय फजलुल बारी ने उठाया था, उसकी इन्क्वायरी सरकार द्वारा आदेश के अनुसार कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन कर रहे हैं। इन्क्वायरी इसके बारे में चल रही है कि पुलिस फायरिंग उचित थी या नहीं, करना चाहिए था कि नहीं और फायरिंग किन कारणों से हुई । जब यह सवाल सदन में आया था तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री सदन में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यह घटना कुछ अराजक तत्वों और स्मगलरों के कारण हुई है। इस निर्णय के बाद यह इन्क्वायरी जो कमिश्नर साहब कर रहे हैं, उसका क्या औचित्य है और दूसरे, जब यह इन्क्वायरी चल रही थी, तो मुख्य मंत्री जी को ऐसा बयान देना चाहिए था कि नहीं ? बाराबंकी के लोग इस इन्क्वायरी का बहिष्कार कर रहे हैं, अल्प संख्यक लोग भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं और हमारी पार्टी भी इसका बहिष्कार कर रही है, क्योंकि शासन के इस निर्णय से सभी परिचित है। जांच अधिकारी के समक्ष पुलिस खाली बयान दिलवा रही है। तो इन दोनों प्रश्नों के ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। (1) जांच चलते समय यह मुख्य मंत्री का बयान देना कहां तक उचित था ? (2) अब इस बयान के बाद जो एक तरीके से फाइंडिंग है, सरकार का निर्णय है, जब जांच के चलते रहने का क्या औचित्य है?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, इसीलिए कल मैं बहुत ज्यादा नहीं बोला। हमने यह कहा कि इन्क्वायरी चल रही है, जो असलियत है, उसका पता चल जायगा और जो दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। जब यह घटना घटी थी, उस समय मैंने जो कहा था, वही बात कही थी, दूसरी बात नहीं कही थी।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मुनासिब नहीं है कि मुझे आप न सुनें और दूसरे साथियों की बातें सुनें । यह पक्षपात होगा।

श्री अध्यक्ष–

यह कहना उचित नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

यह 300 के अन्तर्गत आती ही नहीं है। मैंने आपको सुन लिया । आप बैठिये ।

नोट :– [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

यह सब नहीं लिखा जायगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें आपकी कोई बात नहीं लिखी जाएगी।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[* * *]

परिवहन मंत्री द्वारा बस के किराये में वृद्धि की घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें। मैंने संजय सिंह से जानकारी प्राप्त की। 29-8-86 की सुबह वह लखनऊ पहुंचे हैं वह 28-8-86 को लखनऊ में नहीं थे। इसलिये उन्हें 28-8-86 को किसी अखबार के प्रतिनिधि से मुलाकात करने का अवसर नहीं मिला, मैं उनका पत्र पढ़कर आपको सुनाता हूं।

"श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विधायक ने नियम 300 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि मैंने विधान मंडल सत्र के दौरान यह घोषणा की है कि राजकीय बसों के किराए में बढ़ोत्तरी की जाए। इसके सम्बन्ध में उन्होंने नवभारत टाइम्स में 29-8-86 में प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया है जो लखनऊ से 28-8-86 को छापने के लिए भेजा गया है। इस विषय में स्पष्ट करना है कि मैं व्यक्तिगत कार्य से विदेश गया था 28-8-86 को, 29-8-86 की सुबह लखनऊ आया। इसलिए 28-8-86 को मुझे किसी भी प्रतिनिधि से मुलाकात करने का अवसर नहीं मिला और न ही ऐसी कोई घोषणा की है।" इसको अब समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने 28 तारीख की बात कहीं नहीं कही है। मैंने कहा 29 तारीख को नव भारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। 29-8-86 के पहले 26 भी आती है 27 भी आती है। मैंने अपने विषय में 28 तारीख की चर्चा नहीं की है। मान्यवर, मंत्री जी ने गलत बयानी की है। मेरा आरोप है। अगर नव भारत टाइम्स के सम्वाददाता से कोई बातचीत नहीं की, यह सही मान लें, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचा हूं कि नवभारत टाइम्स को झूठा कह दूं। मंत्री जी ने बात घुमाकर कही है कि 28-8-86 को वार्ता नहीं हुई। वह कहते कि नव भारत टाइम्स के सम्वाददाता से कोई बात नहीं कही, तो मैं नवभारत टाइम्स के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं मंत्री जी यहां पहले बता दें कि 26, 27, 28 को कोई बात नहीं की। मैंने अपने भाषण में 29 तारीख के अखबार का हवाला दिया है मान्यवर, 29 तारीख को जो वार्ता छपी है वह 26 या 27 की भी हो सकती है...

श्री अध्यक्ष–

28/29 को विदेश में रहे हैं, तो अखबार का प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

अध्यक्ष जी, यह राज-दरबार का मामला है। परकोटा के अन्दर क्या

नोट–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातचीत हुई और बाहर मंत्री जी ने दूसरी बात की इसे माननीय मंत्री जी ही स्पष्ट कर सकेंगे । यह सच है, तो हमारे माननीय सदस्य बिना-वजह परेशान हैं। राज्य दरबार में कोई और बात होती है और राज्य दरबार के अन्तर्गत कोई और बात होती है।

(व्यवधान)

दिनांक 24-7-85 को श्री शारदा प्रताप द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य– (नत्थी 'ङ' पढ़ने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

सदन की राय हो तो इसे पढ़ा हुआ माना जाए ।

(कोई आपत्ति नहीं हुई)

श्री भोला शंकर मौर्य–

[उ0 प्र0 विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में ब्लाक सरोजनीनगर का पूरा हिस्सा व मोहनलालगंज का कुछ भाग आता है। मोहनलालगंज के इस हिस्से में बरौलिया पम्प नहर स्थित है । अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड लखनऊ ने भ्रमवश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर देते समय सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के स्थान पर केवल सरोजनीनगर ब्लाक की सूचना अंकित कर दी, जिससे मोहन लालगंज लाक में स्थित बरौलिया पम्प नहर का उल्लेख होने से रह गया । इसी आधार पर सदन में उत्तर दिया गया। बरौलिया पम्प नहर पर दो पम्प सेट क्रमशः 7.5 क्यूसेक तथा 5.0 क्यूसेक क्षमता के लगे हुए है और सही हालत में है । बरौलिया पम्प नहर वर्तमान में 7.5 क्यूसेक पर चल रही है ।

सदन को किसी प्रकार जानबूझकर गुमराह किये जाने की कोई बात नहीं थी, फिर भी गलत सूचना शासन को भेजने के लिए श्री मनोहर लाल, अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड लखनऊ को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्हें सचेत किया गया है कि इस प्रकार की त्रुटि को भविष्य में पुनरावृत्ति न करें और सही सूचना शासन को भेजा करें । यह चेतावनी श्री लाल की चरित्र पंजी में अंकित की गयी है ।]

दिनांक 31-7-85 को श्री शारदा प्रताप, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–17 के सन्दर्भ में वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

(नत्थी 'च' पढ़ने पर)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन की राय हो तो इसे पढ़ा मान लिया जाए ।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी ।)

श्री भोला शंकर मौर्य–

[उपर्युक्त संदर्भित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी गयी थी कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में राजकीय नलकूपों की कुल संख्या 42 है और उत्तर

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिये जाने के समय इनमें से तीन नलकूप सं0 41, 107 एवं 189 लखनऊ ग्रुप विभिन्न दोषों से बन्द है। माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा इसके उपरान्त सूचना दी गयी कि इन तीन के अतिरिक्त 14 अन्य राजकीय नलकूप जिनके विवरण उन्होंने दिये थे बंद है जिन्हें उत्तर में बंद नहीं दिखाया गया है। इनकी छानबीन किये जाने पर ज्ञात हुआ कि सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय नलकूपों की कुल संख्या 41 है, न कि 42 और प्रश्नकर्ता द्वारा अपनी सूचना में दिये गये अतिरिक्त 14 नलकूप संख्या 106 लखनऊ ग्रुप वास्तव में ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने के कारण बंद था। शेष 13 राजकीय नलकूप या तो चालू भी नहीं हुए थे और या किसी यांत्रिक या विद्युत दोष बंद नहीं थे, अतः उन्हें विभिन्न दोषों के अन्तर्गत बंद नहीं दिखाया गया। यद्यपि सदन को जानबूझकर गलत सूचना देने की कोई बात प्रकट नहीं है फिर भी राजकीय नलकूपों की कुल संख्या–41 के बजाय 42 दिखाये जाने और नलकूप संख्या–106 लखनऊ समूह के बन्द नलकूपों में सम्मिलित न करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, श्री मनोहर लाल और सहायक अभियन्ता श्री राजेश चन्द्र मिश्रा को दोषी पाया गया। अतएव सहायक अभियंता को सचेत कर दिया गया है और अधिशासी अभियंता को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दे दी गयी है जो उनकी चरित्र पंजिका में अंकित रहेगी।]

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)– प्रदेश में वर्षा की स्थिति निम्न प्रकार रही है:–

माह	साधारण वर्षा (मि0 मी0 में)	वास्तविक वर्षा (मि0 मी0 में
1	2	3
जून, 1986	97.1	113.2
जुलाई, 1986	294.7	293.5
अगस्त, 1986	291.6	209.8 (अपूर्ण)

सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये विस्तृत निर्देश दिनांक 3-4-86 को जारी किये गये और उनमें सभी जनपदों को जिला सूखा योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिये गये थे।

वर्षा तथा सम्भावित सूखे की स्थिति की समीक्षा करने के उपरान्त सिंचाई विभाग की ओर से निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये:–

(1) सभी नहरों को रोस्टर के अनुसार पूरी क्षमता से चलाया जाय तथा उनमें पानी की कमी न रहे तथा नहरों के टेल पर पानी का पहुंचना सुनिश्चित किया जाय।

(2) सभी नलकूपों को चलाया जाय तथा उनके दोषों को तीव्रता से ठीक कराया जाय ।

(3) सिंचाई विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी व्यापक रूप से दौरा करें तथा मौके पर शिकायतों को दूर करें।

(4) बड़ी पम्प नहरों को नियमित रूप से विद्युत उपलब्ध करायी जाय ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है। खाद्य विभाग की ओर से डीजल की आपूर्ति कम न होने देने की व्यवस्था की गयी है । जरूरत पड़ने पर पशुओं के चारे, पानी, दवाई तथा टीकाकरण इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जायेगी। कृषि विभाग ने सभी मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि यदि फसल न बोई गई हो या नष्ट हो जाय तो तोरिया, तिलहन आदि जैसी फसलों को बोने के लिये बीजों की आवश्यकतानुसार पूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है ।

अभी तक किसी भी पर्वतीय जनपद से सूखे की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैदानी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित जिलों से सूखे के बारे में निम्नलिखित जिलों से सूखे के प्रभाव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

1–मेरठ
2–गाजियाबाद
3–बुलन्दशहर
4–मथुरा
5–आगरा
6–मैनपुरी
7–एटा
8–बरेली
9–बदायूं
10–शाहजहांपुर
11–बिजनौर
12–फर्रूखाबाद
13–इलाहाबाद
14–ललितपुर
15–जौनपुर
16–गाजीपुर
17–बस्ती
18–आजमगढ़
19–देवरिया
20–उन्नाव
21–गोण्डा
22–बहराइच

इन 22 जनपदों में से मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, एटा, बरेली, बदायूं, फर्रूखाबाद, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, उन्नाव, गोण्डा तथा बहराइच में सूखे का प्रभाव शेष जनपदों की अपेक्षा अधिक बतलाया गया है। किसी भी जनपद में भयावह स्थिति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, और न ही भुखमरी, अकाल तथा आबादी के पलायन की कोई समस्या उत्पन्न हुई हुई है । दैवी आपदा राहत बजट से अभी तक जनपदों को 8 करोड़ रुपये की धनराशि राहत कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है। खरीफ के फसल की उत्पादकता में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति होने की दशा में आवश्यकतानुसार भू-राजस्व की वसूली तीन माह तक स्थगित करने के लिये जिलाधिकारी सक्षम हैं । रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये व्यवस्था की जा रही है। आपदा तकावी वितरित करने के लिये 135 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था है। जिले में व्यवस्था पर सतत चौकसी रक्खी जा रही है। स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है।]

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो जिले इसमें दिये गये हैं इसमें जिले के

जिले छोड़ दिये गये हैं । अभी 301 में इन्हीं के दल की एक महिला सदस्य ने, जो मुरादाबाद की है, ने अभी सूखे के संबंध में कहा कि मुरादाबाद जिले को सूखा ग्रस्त घोषित करें । मान्यवर, इसमें मुरादाबाद जिले का जिक्र नहीं है, सहारनपुर जिले का जिक्र नहीं है । इसकी आपके पास सूचना अधूरी है अभी परसों यहां मामला उठाया गया था । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके पास जो सूचना प्राप्त हुई है वह बिल्कुल अधूरी है और असत्य है । आप इटावा के रहने वाले हैं, आपको अक्ल आनी चाहिए । श्रीमन्, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो उनके पास रिपोर्ट है यह तथ्यों से परे है । प्रदेश के अन्दर त्राहि-त्राहि मची है । सूखे के कारण हमारे जिले का भी बुरा हाल है और अब मान्यवर, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, ये पूरे जिलों में सही-सही रिपोर्ट मंगाकर अपना जबाब दें या फिर इसके बारे में चर्चा करा लें ।

(व्यवधान)

श्री गया प्रसाद वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद इटावा में बहुत भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, उसी जनपद के माननीय मंत्री भी हैं । मान्यवर, कावेरी, चम्बल और यमुना नदी के बीच में भयंकर सूखा है, पानी बरसा नहीं है । सब लोग सूखे से पीड़ित हैं और इस जनपद को माननीय मंत्री जी ने निकाल दिया है ऐसा लगता है कि उनको इटावा से कोई प्रेम नहीं है । मान्यवर, इसमें इटावा जनपद जरूर जोड़ दें ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा इन पर आरोप है कि रिपोर्ट अधूरी है इसमें मुरादाबाद जनपद नहीं है । माननीय हुकुम सिंह जी बैठे हैं उनके जिले का पूंछें, सब जिलों में सूखा पड़ रहा है, यह अधूरी रिपोर्ट है दीक्षित जी बैठे हैं वह भी कह रहे थे कि सूखा है। मान्यवर, अधूरी रिपोर्ट दी है इससे क्या फायदा है, इनसे कहें कि यह पूरी रिपोर्ट दें । मैं इसे फाड़े देता हूं ।

(श्री राम सरन ने वक्तव्य की प्रतियां फाड़कर सदन के फ्लोर पर फेंक दी)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं और जैसा कि माननीय राम सरन जी ने भी कहा कि रिपोर्ट अधूरी है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग से यह रिपोर्ट अधूरी आपके पास आई थी ? क्या कोई रिपोर्ट इस तरह की आई थी जिसमें आगरा के अन्दर एक गांव बाढ़ से बह गया, एक आदमी मर गया और एक मकान ढह गया । एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि एटा में 700 एकड़ से अधिक जमीन पानी से डूबी हुई है जिसमें एक आदमी मर गया है, 4 जानवर मर गये हैं और एक मकान ढह गया है । मान्यवर, इस तरह की रिपोर्ट इनके पास राजस्व विभाग से आई है या नहीं आई है । अगर आई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राम सरन दास जी ने जो बात कही है वह आने में बिल्कुल सत्य है । इनके विभिन्न विभागों में न कोई तालमेल है और न कोई परीक्षण किया जा रहा है । इसलिए यह जो रिपोर्ट है यह अपने आप में पूरी तरह से झूठ का पुलिन्दा है ।

इसलिये मैं मांग करता हूं और यह तय भी था कि चर्चा होगी । सूखे जैसी

समस्या पर वक्तव्य का क्या औचित्य है, इस पर चर्चा होनी चाहिये । इस समय की प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यह है। सबसे पहले माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या इस प्रकार की सूचनाएं राजस्व विभाग से आयी है और क्या इस पर चर्चा कराने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी मुनासिब हो तो मंगलवार को एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाती है।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 †

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मैं आपकी अनुमति से भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गौरी शंकर–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 31 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी सूचना श्री अशोक बाजपेयी, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री बाबू राम यादव, कौशिक रमाशंकर, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हर्षवर्धन श्री रणजीत की दइया चेरी-टेबुल सोसायटी द्वारा लाखों रुपये की भूमि का घुटाला के संबंध में है । पांचवीं तथा छठीं सूचना श्री राम सरन तथा डा0 दिनेश जौहरी की सहारनपुर नगर में निहत्थी जनता पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, सातवीं सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री जवाहर सिंह यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव की इलाहाबाद में बदरहूड के शान्ति प्रिय कर्मचारियों पर लाठी चार्ज, आठवीं श्री दीप चन्द्र सोनकर तथा श्री पारस नाथ यादव की राजकीय सूती कताई मिल जौनपुर में कर्मचारियों की भर्ती में धांधली नवीं श्री काशी सिंह ऐरी की पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन, दसवीं श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री राकेशधर त्रिपाठी की बुलन्दशहर में श्री प्रमोद मांगलिक के परिवार की हत्या के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं और बारहवीं सूचना श्री किरनपाल सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री वीरेन्द्र सिंह श्री कनक सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री अमीर आलम खां, श्रीमती सरोज वर्मा, श्री रघुवर दयाल वर्मा की विद्युत दरों में अनुचित वृद्धि, तेरहवीं श्री जनार्दन प्रसाद आभा की गन्ने के मूल्य का करोड़ों रुपया बकाया, चौदहवीं श्री सत्य प्रकाश

†दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विकास की प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों की वृद्धि, पन्द्रहवीं श्री शारदा प्रताप की बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भ्रष्टाचार, सोलहवीं श्री मयंकर सिंह की बहराइच में घाघरा की भंयकर बाढ़, सत्रहवीं श्री धनराज सिंह की प्रदेश के नब्बे हजार स्वास्थ्य रक्षकों की सेवा समाप्त, अट्ठारहवीं श्री हृदय नारायण दीक्षित की उन्नाव जनपद में पुलिस आतंक के सम्बन्ध में है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूची में क्रम का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप यह जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो क्रम दिया है, मेरा निवेदन है कि उस क्रम का निर्धारण किस प्रकार से होता है? जो प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, उसको बीसवें नम्बर पर डाला गया है और जो एक क्षेत्र और गांव की समस्या है, उसे एक और दो पर लिखा गया है। तो क्रम का निर्धारण कैसे हो, इस पर व्यवस्था दें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि नियम 56 पहले दिया जाता था, तो पहले जो देता था उसे क्रमबद्ध लिखा जाता था। बाद में मा0 सदस्यों को आपत्ति हुई तो बक्सा डाल दिया गया और बाद में एक साथ बाहर लेकर सूची बनती है। उससे सूची काफी लम्बी बन जाती है। स्वाभाविक है कि आगे पीछे क्रम जाता है मा0 सदस्यों को आपत्ती होती है। मेरा सुझाव है कि नियम 56 की जो सूचना दी जाय, उसे आप सरसरी निगाह से देख लें और जो महत्वपूर्ण विषय हों, उन पर शलाका डाल दी जाय । संसद में यह व्यवस्था है यहां भी हो जाय तो ठीक रहेगा, ताकि आपके यहां दस बजे जो भीड़ लगती है और आप पर जो दबाव पड़ता है, वह समाप्त हो जाय और आप भी निर्द्वन्द्व होकर काम कर सकें और माननीय सदस्यों को भी वहां जाकर मिन्नत न करनी पड़े । एक बार आप अस्वीकार करते हैं । दूसरी बार फिर मा0 सदस्यों के दबाव में उसे स्वीकार करना पड़ता है। इससे मा0 सदस्यों की भी गरिमा घटती है । इसलिए निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी विषय आप ग्राह्य करें, उनकी शलाका डाल दी जाय और उसी हिसाब से उसे क्रम दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझाव मुनासिब है, इसको हम नियम समिति में रखेंगे।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

उन्नीसवीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी की कानपुर की रजिस्टर्ड हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी में भ्रष्टाचार के बारे में है। बीसवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की बलिया में भयंकर बाढ़ के सम्बन्ध में, इक्कीसवीं सूचना भी भोपाल सिंह की विधान सभा क्षेत्र बरनावीं (मेरठ) में असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश के बारे में, बाइसवीं सूचना श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी की गोरखपुर में पुलिस द्वारा नागरिकों को गोरखपुर में पुलिस द्वारा नागरिकों को परेशान करने के सम्बन्ध में, तेईसवीं सूचना श्री रामचन्द्र दक्ष सिंह और श्री मित्रसेन की काशीपुर कताई मिल में मज-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में, चौबीसवीं सूचना श्री राम संजीवन की उत्तरकाशी जिले के मनेरी भाली विद्युत परियोजना में मजदूरों पर आक्रमण के बारे में, पच्चीसवीं सूचना श्री देव कुमार यादव की प्रदेश में सूखे के बारे में, छब्बीसवीं सूचना श्री अफजाल अंसारी, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह और श्री इकबाल अहमद अंसारी की गाजीपुर में गंगा द्वारा कटान के बारे में, सत्ताइसवीं सूचना श्री अकबर हुसैन भावर की पर्वतीय क्षेत्र में विदेशी शक्तियों के षडयन्त्र के बारे में, अट्ठाइसवीं सूचना श्री भगौती सिंह की एच0 ए0 एल0 में लाठीचार्ज के बारे में, उन्तीसवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की प्रदेश में बिजली की कमी के बारे में, तीसवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और श्री देवेन्द्र कुमार की देवरिया, बेतालपुर और बभनान चीनी मिल की बन्दी की घोषणा के बारे में और इकत्तीसवीं श्री मनोहर लाल की कानपुर में डी0 ए0 वी0 कालेज के छात्र को रासुका में बन्द किये जाने के बारे में है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय, दइया चैरिटेबिल सोसाइटी–

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय, नियम 56 के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इसमें सदन की परम्परा रही है कि एक दिन जो विषय ले लें, वह उस सत्र में दोबारा न लिया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने पहले सत्र में भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। इस सम्बन्ध में मैंने पहले सत्र में भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। इस सम्बन्ध में आपकी पीठ से जो निर्णय हुआ है, उसकी जानकारी आपको और पूरे सदन को है। मैं उस निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। कल जो चीज सदन के समक्ष उठायी गयी उस पर विशेष परिस्थितियों में अनुज्ञा देने का निर्णय हुआ। उसके बाद में उस व्यवस्था के अन्तर्गत नियम समिति की बैठक करी। माननीय, उस नियम समिति की बैठक की अध्यक्षता आपने की।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

जहां तक मालूम हुआ है कि उस समिति की अनुशंसा भी सदन के टेबुल पर रख दी गयी है। कदाचित् जब तक 15 दिन का समय नहीं बीत जाता तब तक वह प्रभावी तौर पर नियमावली में इनकारपोरेट नहीं होती है। वह समिति सदन की एक महत्वपूर्ण समिति है। उसकी जो अनुशंसा होती है वह सदन की अनुशंसा की तरह मान्य होती है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

जब तक सदन उसका अनुमोदन न कर दे, समाप्त न कर दे तब तक उसका पालन होना चाहिये। यह कैसे सम्भव है कि आप स्वयं नियम समिति में एक निर्णय लें और सदन में उस निर्णय के ठीक विपरीत निर्णय करें।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय, किस नियम के तहत यह बोल रहे हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप मुझे भी सुनें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप माननीय किरन पाल जी को भी सुन लें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, कल एक विषय यहां उठाया गया, उस पर सदन में जो घटना हुई वह सदन के लिये अशोभनीय है। इस पर आपने कहा कि इसकी अनुमति मैं कल दूंगा। मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अध्यक्ष हैं, आप इस सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं इस सदन की मर्यादा को सुरक्षित रखना आपका दायित्व है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कल आप कह चुके हैं कि दइया वाले कांड को आज लिया जायेगा फिर आप किस नियम के तहत इनको सुन रहे हैं। आप भाषण दिलवा रहे हैं इनसे।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। बरार साहब, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सदन की मर्यादा को सुरक्षित रखना आपका सर्वोच्च दायित्व है। आप में जहां सदन को विनियमित करने की शक्ति है वहीं सदन के निर्णयों का पालन कराने का भार भी आपके कंधों पर है। जो मामला सदन के सामने विचाराधीन हुआ ही नहीं, उसकी कोई नोटिस आयी ही नहीं, उसकी अनुज्ञा आप कैसे दे सकते हैं?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होगी। जयदीप सिंह बरार जी खड़े हैं उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है पहले उनकी बात को सुन लें। इस तरह से आप लोग लगातार खड़े होकर बोलेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आयेगी।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह जिस पर बोल रहे हैं, उसी पर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप किरन पाल जी को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें। किरन पाल जी को मैं बाद में सुन लूंगा पहले बरार जी को बोल लेने दीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बरार जी को आपने अनुमति दी और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। अभी उनकी बात समाप्त भी नहीं हो पायी थी कि श्री किरन पाल सिंह जी खड़े हो गये और व्यवधान डालने लगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले उन्हें नियंत्रित करें।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, श्री बरार जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था लेकिन वह व्यवस्था के प्रश्न

पर न बोलकर भाषण देने लगे । व्यवस्था के प्रश्न को उठाने में, हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बरार जी, दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दो मिनट में मैं अपनी बात कैसे समाप्त कर पाऊंगा ।

(श्री गौरीशंकर भइया और श्री मनोहर लाल जी द्वारा "रविवार", मैगजीन दिखाये जाने पर)

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (डा0 अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभी लोग अनुशासित रहें। माननीय बरार जी ने एक प्रश्न उठाया लेकिन उधर के लोग उत्तेजित हो गये जो बिल्कुल गलत है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

(सत्ता पक्ष की ओर से वी0 पी0 सिंह जिन्दाबाद के नारे लगाये गये और विरोध पक्ष की ओर से वी0पी0 सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाये गये)

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के काफी मा0 सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बरार जी, आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें, उसके बाद मैं निर्णय दूंगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

इस प्रकार का इससे पूर्व का कोई उदाहरण पार्लियामेण्टरी प्रैक्टिस में नहीं मिलता है कि जिस चीज की नोटिस न आयी हो, उसकी पूर्व अनुमति कभी भी किसी अध्यक्ष ने दी हो । अगर आपने पूर्व अनुमति दी होती और प्रभावी होती तो यह एजेण्डा पर लिस्टेड होता । हमें मालूम है कि आपने पूर्व अनुमति दे दी परन्तु जो चीज एजेण्डा पर लिस्टेड नहीं है, वह नये कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठानी चाहिये । जब नई सूचना आ जाती तभी आप उस पर अनुज्ञा देने पर विचार कर सकते थे पहले नहीं । वह तब तक नहीं आ सकता जब नियम समिति की अनुशंसा का अननुमोदन न हो जाय तब तक प्रभावी रहता है ।

(व्यवधान के मध्य)

अध्याय–4 जो है करण का उसको बरकरार रखने के लिये आपने बल दिया है । नियम समिति में सदन के सारे सदस्य नहीं है । करण संख्या–16 पर आपने जो बल दिया है, उसको मैं पढ़ देता हूं–"करण संख्या 16 के अधीन उन्हीं सूचनाओं के विषय में अध्यक्ष के विवेकानुसार अनुज्ञा प्रदान की जायगी, जो निम्नांकित शर्तों को पूरा करती हो . . . " प्रश्न आपके विवेक का तो आयगा ही जब आप अनुमति देंगे लेकिन प्रश्न यह है कि उन पर आप अपने विवेक का प्रयोग तब करेंगे जब वह सूचना निम्नांकित शर्तों को पूरा करती हों ।

(श्री किरन पाल सिंह तथा विरोध पक्ष के काफी माननीय सदस्यों के अचानक खड़े हो जाने से घोर व्यवधान)

मुझे अपनी बात पूरी करने से पहले ही टोक देते हैं, मैं अपनी बात कैसे पूरी करूं ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

आपको अध्यक्ष पीठ से जारी हुए करण अगर इस सदन पर लागू होते हैं तो माननीय

अध्यक्ष पर भी लागू होते हैं और इसीलिये शब्द "विवेक" का इस्तेमाल किया गया है। आपके विवेक को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता लेकिन विवेक का प्रयोग तब होगा जब वह सूचना करण में दी गयी शर्तों को पूरा करती हो। आप द्वारा जारी यह करण है।

अगर आप ही द्वारा जारी किये गये करण का खण्डन आपकी पीठ से होने लग जाय तो सदन का कार्य कैसे विनियमित होगा। हो सकता है कि इस संबंध में कुछ माननीय सदस्य कहेंगे कि नियम 313 में आपको कुछ शक्तियां प्राप्त हैं–

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, इनको केवल दो मिनट का समय दिया था बोलने के लिये और ये बोलते ही चले जा रहे हैं जबकि दो मिनट कब के समाप्त हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष–

बरार जी, आप बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जब मैं बोलने लगता हूं तो ये लोग मुझे टोक देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त नहीं करेंगे . . . .

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

नियम 313 में आपको अवशेष शक्तियां दी गयी हैं सदन के कार्य को विनियमित करने के लिये, इसलिये आपको कुछ अधिकार दिये गये हैं। लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि अध्यक्ष अपनी शक्तियां इन नियमों को तोड़ने के लिये उनका प्रयोग करेंगे। बल्कि विशेष-तौर पर बल दिया गया है कि नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये ही आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो श्रीमन्, इतना कुछ होने के बावजूद आपको बहुत शक्ति है, असीम शक्ति आपको होने के बावजूद भी, आपमें सीमित शक्तियां हैं और आप सदन के नियमों से बंधे हुए हैं जिनसे हम भी बंधे हुए हैं।

(व्यवधान)

इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी सूचनायें . . .

(व्यवधान)

(श्री मनोहर लाल द्वारा अपनी सीट पर बैठे ही बैठे हाथ ऊपर करके सदन में मैगजीन दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मनोहर लाल जी, मुझे आपसे सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा। माननीय बरार जी, अब आप बैठें। यह अध्यक्ष का विवेक है कि किसी सूचना पर विचार करके उसको वह स्वीकृत कर सकता है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर सत्ता पक्ष की ओर से वी0 पी0 सिंह जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे। श्री शतरुद्र प्रकाश अपने स्थान पर बोलने के लिये खड़े रहे परन्तु निरन्तर व्यवधान जारी रहा)

यह नारेबाजी बन्द होनी चाहिये।

(व्यवधान)

मेहरबानी करके आप लोग यहां नारे न लगायें।

(व्यवधान)

आप लोग यह नारेबाजी बन्द कीजिये।

(व्यवधान)

कृपा करके आप लोग नारेबाजी न करें।

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

माननीय मुख्य मंत्री जी, कृपया आप शासन पक्ष के सदस्यों को शान्त करायें ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, . . .

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बोल रहे थे, तो मनोहर लाल जी ने मैगजीन दिखा-कर उत्तेजित किया।

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री मुलायम सिंह यादव–

जब मनोहर लाल जी ने मैगजीन दिखाया तो मैंने और मेरे साथियों ने उनको रोक दिया ।

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)–

लेकिन आपकी भी बात नहीं सुनी है।

(व्यवधान)

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर सत्ता पक्ष की ओर से घोर व्यवधान व शोर, सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें– इनको निकालो, वी0पी0 सिंह जिन्दाबाद, इस चोर को बाहर निकालो . . .)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, दइया चैरिटेबिल सोसाइटी के बारे में मैंने नियम 56 में नोटिस दिया था . . .

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

गौरी भैया ने मैगजीन दिखाई है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, दइया चैरिटेबिल सोसाइटी के बारे में मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं . .

(व्यवधान)

"(जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी" तथा "चोर है, चोर है" के नारे सत्ता पक्ष की तरफ से लगाये गये)

(विरोध पक्ष के सभी सदस्य भी खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे कुछ स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ा। इससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(दोनों पक्षों की तरफ से "जिन्दाबाद और मुर्दाबाद" के नारे लगाये जाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, उनको बिठाइये।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का जो आज का यह रोल है वह शोभा नहीं देता । . . . (व्यव-धान) । आप इनसे कहें कि जो विरोध पक्ष की बात सदन में आयेगी, उसे आप रोक नहीं सकते हैं । . . . (व्यवधान) । यह क्या तमाशा कर रहे हैं । इनसे कहें कि संयमित हों ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कृपा करके शान्त करायें।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । . . . (व्यवधान)। मेरी बात आपको सुननी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय मनोहर लाल जी ने अभी चप्पल उठाकर दिखायी है। (घोर व्यवधान) । मैं शपथ खाकर कह सकता हूं कि उन्होंने चप्पल उठाकर दिखाई है ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री किरन पाल सिंह–

मंत्री जी, क्या बात कह रहे हैं ? . . (व्यवधान) ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवस्था)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है नेता विरोधी दल से कि वह अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। कई बार हम लोगों के अनुरोध पर आपने इस बात पर आदेश दिया था कि कोई मैगजीन आदि न दिखायें लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी निन्दनीय बात हुई है वह यह है कि माननीय मनोहर लाल जी ने इस पक्ष के लोगों को चप्पल दिखाई है ।

(घोर व्यवधान)

मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मनोहर लाल जी सदन से माफी मांगे । यह सदन उन लोगों के लिये नहीं है जो चप्पल दिखाये (व्यवधान) वह सदन से माफी मांगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

(खड़े होने पर) (व्यवधान)

[श्री मनोहर लाल सदन के मध्य आये । मैंने जूता पहना है चप्पल नहीं, (व्यवधान) बोलने लगे इसी बीच कुछ माननीय सदस्य उन्हें वापस ले गये ।]

श्री वीर बहादुर सिंह–

अध्यक्ष जी, अभी जब माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बोल रहे थे तो कुछ माननीय सदस्यों की आपस में नोक-झोंक हुई । यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

कोई बात हो तो, यहां सब का अधिकार है जो भी कहना चाहे हर व्यक्ति कह सकता है और सब को सुनना पड़ेगा एक दूसरे की बात को। यहां कोई किसी को दबा नहीं सकता है। लेकिन यहां कोई किसी को उत्तेजित करे और उससे किसी को कष्ट हो, तो यह बात ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं हाउस का माहौल अच्छा बना रहे, इसलिए संयम से जो बात कहना हो वह कही जाये और उसका जवाब मिलेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं पांचवीं बार खड़ा हुआ और सत्ता पक्ष के लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया।

मान्यवर, दूसरी बात, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जिनको हम लोग अनुभवी और वह सदन में कभी असत्य नहीं बोलेंगे, समझते थे, उन्होंने कहा कि चप्पल मनोहर लाल जी ने दिखाई, तो श्री मनोहर लाल सदन के बीच में इसलिए

आये थे कि वह चप्पल नहीं पहने थे ।

मान्यवर, तीसरी बात, आप खामोशी से देख रहे हैं कि मैं पांचवीं बार खड़ा हुआ लेकिन मुख्य मंत्री जी एक बार खड़े हुए तो हमारे पक्ष का एक भी सदस्य नहीं बोला, यदि मैगजीन दिखा दिया तो उन्हीं के नेता की तस्वीर को दिखाया है, सत्ता पक्ष के लोग अपने नेता की तस्वीर भी नहीं देखना पसन्द करते हैं और मैं क्या कहूं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है।

मान्यवर, मैं अपने सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, जो यह कर रहे हैं उनको देखें और उनको जनता भी देखेगी ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करने खड़ा हुआ हूं। इस सदन की गरिमा दो व्यक्तियों पर रहती है–नेता सदन और नेता विरोधी दल । इससे कोई लाभ तो नहीं होता है कि जब आप प्रजातंत्र में आये हैं, आप किसी के प्रतिनिधि होकर आये हैं। यहां कहना और सुनना पड़ता है । सदन की कुछ मान्यतायें रहती हैं, उनके अनुसार यहां किसी बात को रखना चाहिए । मान्यवर, सदन की मान्यता रही है कि अखबार की बातें यहां नहीं लाई जाती थीं । जिस जगह पर श्री मुलायम सिंह बैठे हैं, 1971 में इसी स्थान पर चौधरी चरण सिंह बैठे थे । जिस जगह पर आज श्री वीर बहादुर सिंह बैठे हैं वहां पं0 कमला पति त्रिपाठी बैठते थे।

एक सदस्य–

पिता जी कहो।

(शोर) (व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वह हमारे भी पिता हैं और आपके भी पिता हैं, इसमें क्या परेशानी है ? और ऐसे पिता का पुत्र होना सौभाग्य की बात है । मान्यवर, वहां से चौधरी चरण सिंह साहब ने एक अखबार की कटिंग उठाई । जहां राजेन्द्र गुप्त जी बैठे हैं, वहां स्व0 चन्द्रभानु गुप्त जी थे और जहां पर श्रीमन्, आप विराजमान हैं, वहां पर स्व0 ए0 जी0 खेर साहब विराजमान थे । सामान्यत: चन्द्रभानु गुप्त ने उस पर एतराज किया । मैनेजर सिंह जी उस समय सदस्य थे . . . .।

एक सदस्य–

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैं कहना यह चाहता हूं कि अखबार में छपे हुए समाचार को, मैगजीन या पत्रिकाओं में दिये समाचार को सदन की कार्यवाही का अंश नहीं बनाना चाहिए । हमें कुछ कहना है तो हम उसे लायें, लेकिन इस बात को याद रखें कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है तो उसके बारे में इस सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग शतरुद्र प्रकाश जी को अपनी बात कहने दीजिए।

('व्यवधान' 'घोर व्यवधान' और 'चोर' 'चोर' की आवाजें ।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। अब यह हो गया है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, दइया चैरिटेबुल सोसाइटी के बारे में नियम 56 के अन्तर्गत जो हमने सूचना दी है, उसमें कुछ अति महत्वपूर्ण बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता ने अभी कुछ कहा है, अब आप उसके ऊपर गौर कीजिए। बैठें और सुनिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

दइया चैरिटेबुल सोसाइटी में करीब 3/4 बातें हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर लोक महत्व जुड़ा हुआ है... (व्यवधान) इसमें लाखों रुपयों के राजस्व और विकास-कर की चोरी का मामला है। इसके अलावा पेड़ों की गिनती है, उसके बारे में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि दइया चैरिटेबुल सोसाइटी में मिर्जापुर और इलाहाबाद के कई गांव हैं, जिसकी जमीन उसमें आती है। मेरी जानकारी के आधार पर सन् 77 में करीब साढ़े तीन हजार बीघा जमीन इस चैरिटेबुल सोसाइटी में आ गई और एक फैसला सरकार ने किया और उसमें 1979-80 में दो जगह जमीन का कब्जा लिया गया। 2660 बीघा जमीन मिर्जापुर जनपद में है और 2797 बीघा जमीन इलाहाबाद जनपद के मेजा तहसील में है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि 80 के बाद जो कब्जे की बात कही गई है, उसमें इस देश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम भी हैं, जिन्होंने यह जमीन चैरिटेबिल सोसाइटी को दी है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद इस देश में जो संस्थाएं बनाई गईं, चैरिटेबुल सोसाइटियां बनाई गईं, उसका कारण यह था कि व्यक्तिगत स्वामित्व में जो जमीनें हैं, उन्हें सरकार लेकर भूमिहीनों में उसका वितरण कर दे।

मैं समझता हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग भूमिहीनों को जमीन बांटी जाय, यह भी है। 4 अगस्त, 86 को कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह ने राज्य सरकारों को निर्देश भेजा है।

श्री अध्यक्ष–

जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं जानकारी दे रहा हूं।

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, हाउस का ट्रेडीशन है, जो आदमी यहां का सदस्य नहीं है उसके बारे में आप चर्चा करा रहे हैं। आपने इस पर क्या व्यवस्था किया है ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप नियमावली देखें। जो नियम बनाये गये हैं मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात कहने के दौरान जो व्यक्ति सदन के सदस्य नहीं हैं उन पर किसी तरह की व्यक्तिगत कीचड़ न उछालूं। लेकिन तथ्यों का बयान करते हुए अगर कोई बात कहता हूं तो इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हमारी बात का खंडन करने के लिए मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहूंगा कि

अगर किसी पर आरोप लगाया जाय तो गुस्सा होना स्वभाविक है । मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरी जानकारी है, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो सत्ता पक्ष के सदस्य कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने 4 अगस्त, 86 को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जहां-जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार हैं उनको यह निर्देश जारी किये हैं कि वह अपने-अपने राज्यों में भूमि सुधार के संबंध में सरकारों ने, अभी तक क्या काम किये हैं उसकी जानकारी दें? मैं कहना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश के अन्दर बड़े पैमाने पर भूमि की चोरी का काम हो रहा है। जो जमीनें भूमिहीनों में बंटनी चाहिये थीं वह जमीनें भूमिहीनों को नहीं बांटी गयी हैं। भूमिहीनों और छोटे-छोटे किसानों को जमीनें नहीं मिली हैं। बड़े-बड़े लोग चाहे वह किसी पद पर विराजमान हों उनसे भूमि लेकर भूमि का हस्तान्तरण गरीबों में किया जाय यह हमारी कोशिश है। (भीषण शोर और मेजों की थपथपाहट)

श्री वीर बहादुर सिंह--

आप शांत रहें। आप लोग यहां आये हैं, बैठकर सुनिये। वह बोल रहे हैं, सुनिये। उसका जवाब मिलेगा। आप हल्ला क्यों करते हैं?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आजादी के बाद इस देश के अन्दर कई ऐसे कानून बनाये गये जिनके चलते छोटे-छोटे किसानों को जमीन बांटने का काम किया गया। हमारे भारत के संविधान में यही लिखा है, भारत को एक समाजवादी गणराज्य बनाना है और समाजवाद की दिशा में ले जाने के लिए जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीनें हैं, हजारों बीघे, सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं उनसे जमीनों को लेकर भूमिहीनों में वितरित किया जाय। भूमि सुधार कमेटी यही कहती है। इसी को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के अन्दर 1960-61 में हदबंदी कानून बना और हदबन्दी कानून के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया कि अगर कोई भी ऐसा मालिक जो व्यक्तिगत स्वामित्व रखता हो और उसको जमीन उसके व्यक्तिगत काम में आती है, तो सरकार के द्वारा वह जमीन ले ली जायगी। यह 60-61 का कानून था। 1960-61 में इस कानून के आने के पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सोसाइटियां थीं, जिन्होंने मई, 1959 में सोसाइटी बनाई।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर अनुमति दे दें।

(घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, ये ग्राह्यता पर बोल रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं?

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, इनको व्यवस्थित कर दें।

(घोर व्यवधान)

कुमारी अलमेलू अम्माल–

अध्यक्ष जी, कोई करोड़पति इस पक्ष में है, जिनके घर में छापा मारा गया?

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि इस चैरिटेबुल सोसाइटी के बारे में सरकार के राजस्व सचिव ने कहा है कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था . . (घोर व्यवधान) और इस चैरिटेबुल सोसाइटी में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के काफी माननीय सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

1 लाख 83 हजार पेड़ों के बारे में मिर्जापुर को लिखकर भेजा है। (घोर व्यवधान) जंगल विभाग को जो जमीन दी गई है उसमें पेड़ों का हवाला गलत दिया गया है। इसके अलावा मिर्जापुर तहसील में जो कताई मिल है उसके सामने वाली वन विभाग को दी गई है। इसमें करोड़ों रुपये के घपले की बात सामने आई है . . . (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाने के कारण घोर व्यवधान) जो जमीन का हस्तान्तरण किया गया है इसके पीछे केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का साफ-साफ हाथ है . . .

(घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

यह ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या चर्चा हो रही है।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के जोर-जोर से मेज थपथपाने के कारण तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के एक साथ जोर-जोर से बोलने पर)।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं जो जमीन अतिरिक्त घोषित की गई है उसमें जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसकी जांच सरकार को करानी चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, क्या यह चर्चा हो रही है?

(माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के कुछ पढ़ने तथा माननीय जयदीप सिंह बरार जी के एक साथ बोलने के कारण घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, आप पढ़े नहीं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं पढ़ नहीं रहा हूं हवाला दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

एक पत्र और है जो राजस्व सचिव ने लिखा है अनिल कुमार, जिलाधिकारी मिर्जापुर को। उसमें तारीख है 23 अगस्त, 1985 उसमें भी साफ लिखा है कि . . . (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, क्या आपने चर्चा की अनुमति दे दी है?

संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, पिछले 40 मिनट से भाषण चल रहा है नियम 56 के अन्तर्गत केवल

ग्राह्यता पर बोलने का प्राविधान है, कब तक इनको बोलने का अधिकार है। अगर नियमों का पालन करना है तो आप इन्हें निर्देशित करें। यह सब नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है केवल ग्राह्यता पर बोलने दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके शान्ति रखिये। शतरुद्र प्रकाश जी, कृपा कर अपनी बात ग्राह्यता तक ही रखिये।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

बरार जी, आपको क्या कहना है?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न था, करण 15 और 16 में। उसमें स्पष्ट उल्लेख है, आपने सूचना देने की अनुमति दे दी वह शिरोधार्य है। माननीय सदस्य को इतना ही अधिकार है कि वह इस सूचना को सदन में पढ़ दें और ग्राह्यता पर कह लें।

(व्यवधान)

मान्यवर, सूचना आ गयी जो सूचना उन्हें देनी थी, वह दे दी। उस पर चर्चा करने का अधिकार अभी तो नहीं है, सूचना सदन को प्राप्त हो चुकी है और सदन की सम्पत्ति बन गयी है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री को यह सूचना प्राप्त हो गयी है आप सत्ता पक्ष से, मंत्री जी से उसका जवाब सुन लें, उसके बाद आप उसकी ग्राह्यता निश्चित कर दें। माननीय सदस्य को चर्चा करने का अधिकार आप अभी कैसे दे देंगे?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल, एक घंटे से यह हाल सदन का चल रहा है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप, जो बात कही जाय, उसको सुनिये। वह ग्राह्यता के अन्दर कही जाय और आपको अवसर मिले कि आप उसका खण्डन कर सकें और जवाब दे सकें ताकि सदन को पूरी तरह से जानकारी हो जाय कि क्या मामला है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके शान्त रहें फिर आपको जवाब देने का मौका मिले।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, ग्राह्यता कब तक चलेगी, 40 मिनट तो बोल चुके हैं और आप फिर बुलवा रहे हैं। देश की जनता जानती है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे हैं इनके कहने से नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं अपनी बात को 2-3 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा।

डाक्टर अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से, शतरुद्र प्रकाश जी से कि कितना कम हो सके ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बोल रहे हैं कुछ सुनाई दे रहा है। ग्राह्यता में 5 मिनट में बोल सकते हैं लेकिन शान्ति से बोलने तो दें। सत्ता पक्ष के लोग बोलने नहीं देते हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

आपने भी अनुरोध किया, नेता सदन ने अनुरोध किया, उसके बावजूद भी सदन में शान्ति स्थापित नहीं हो पायी। आज सुबह से ही सत्ता पक्ष यह तय कर के बैठा है कि सदन नहीं चलने

दंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले सत्र में विरोध पक्ष की तरफ से व्यवधान किया गया और सदन स्थगित हो गया उसी तरह से सरकार आज सदन को स्थगित करके भागना चाहती है। (घोर व्यवधान) जो लोग बोलने नहीं दे रहे हैं यह [xxx]

श्री अध्यक्ष–

सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैनेजर सिंह ने जो आक्षेप सरकार पर लगाया है उसको निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही देख लेंगे, जैसा होगा निर्णय दे दूंगा।

श्री मैनेजर सिंह–

सरकार चाहती है कि कार्यवाही न चले और अध्यक्ष जी, आप चुपचाप बैठे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई सब्जी मण्डी नहीं है। यहां पर यह लोग हुड़दंगई कर रहे हैं। आप इन लोगों को व्यवस्थित करिये और न कर सकते हों तो सदन स्थगित कर दीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

अध्यक्ष जी, यही हाल रहा तो मुख्य मंत्री जी भी नहीं बोल पाएंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके सुनें। सदन की कार्यवाही तभी चल सकती है, जब यह भावना हो कि एक दूसरे की बात सुनें। कृपा करके उनकी बात सुन लें और शतरुद्र प्रकाश जी ग्राह्यता पर अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं तो अपनी बात जल्द ही समाप्त करना चाहता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, कृपया आप सबको शान्त करावें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं तो पांच मिनट में समाप्त कर देता, लेकिन [x x x] अपनी बात कहूं . . .

(मेजों की थपथपाहट और घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा साफ कहना है कि दइया चैरिटेबिल सोसाइटी के मामले की जांच की जानी चाहिए . . .

(मेजों की जोरदार थपथपाहट)

मान्यवर, पहले इन [xxx] को चुप कराइये। ये कड़वी बात सुन नहीं सकते। सच कड़वा होता है। इसको सुनने की हैसियत इन नौजवान साथियों में नहीं है।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, अभी तो मैंने आरोप लगाया ही नहीं तब यह हाल है, जब सच का बयान कर दिया जायगा, तब क्या हाल होगा। नियम 56 के बारे में बरार साहब कह रहे थे, बड़े विद्वान सदस्य हैं। मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि यह दइया चैरिटेबिल सोसाइटी जो है, इसमें इस समय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर करीब 25

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।]

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।]

लाख रुपये का सरकार को नुकसान हो रहा है . . .

(घोर व्यवधान)

जमीन के मामलों में तो करोड़ों रुपये की बात है। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में श्री वीर बहादुर सिंह जी की सरकार जांच करा ले और जांच के चलते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री [xxx] को तत्काल इस्तीफा देना चाहिये या उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके किसी का नाम न लें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस मामले में प्रभावशाली लोगों का हाथ है । जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी । आज यहां विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर इतनी गर्मी मच रही है, लेकिन रविवार पत्रिका ने मुख्य पृष्ठ पर उनकी तस्वीर छाप कर पूरे देश में इसका प्रसारण कराया है । सारे समाचार पत्रों में इस मामले को छापा गया है। उनको रोकने की हिम्मत और हैसियत यहां बैठे हुए लोगों में नहीं है । यहां सदन में बात हो रही है तो तिलमिला रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी का नाम नहीं लिया जायगा । नादान दोस्त–दानिशमक दुश्मन से भी बुरा होता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह जो आरोप लगाया गया है, यह बेबुनियाद है ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश खड़े होकर कहने लगे कि कि हम मुख्यमंत्री को नहीं सुनेंगे। कोई भी जमीन चोर बचाया नहीं जा सकता)

(घोर व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य ''वी0पी0 सिंह जिन्दाबाद'' के नारे लगाने लगे)

(विपक्ष के कुछ सदस्य [xxx] वी0पी0 सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का इस ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। वह पांच साल उसमें मांडा रियासत में गोद ले लिये गये थे । इनका नाम झूठा घसीटा जा रहा है । मुझे खेद है कि उनके ऐसे ईमानदार व निष्ठावान व्यक्ति पर इस प्रकार का निराधार आरोप केवल चरित्र हनन के लिये लगाया जा रहा है ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश खड़े होकर कहने लगे कि हम इन्हें नहीं सुनेंगे)

(घोर व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जहां तक पेड़ों की अधिक गिनती की बात है, यह 1979 में हुई थी, जब इनकी सरकार थी । यह जो चार्ज लगाये जा रहे हैं, यह सब निराधार है ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, अत्यन्त संक्षेप में यह मामला इस प्रकार है कि ट्रस्ट की कुछ जमीन उ0 प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी । उसका प्रतिकर जमीन और पेड़ों के मूल्य के आधार पर नियत अधिकारी ने तैयार किया । ट्रस्ट ने उसके विरुद्ध आपत्ति की । सन् 1979 में जनता पार्टी की सरकार के समय गणना में वृक्षों की संख्या 4,42,417 पाई गयी। इसी आधार पर नियत प्राधिकारी ने प्रति-

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कर की धनराशि अन्तिम रूप से निर्धारित किया । उसके विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से अपील की गई । जिला जज ने अपील खारिज कर खातेदारों के पक्ष में फैसला दिया । शासन की ओर से हाई-कोर्ट में भी अपील की गई । मान्यवर अपील करने का निर्णय श्री विश्वनाथ प्रताप जी के मुख्य मंत्रित्व काल में लिया गया था। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील मंजूर नहीं किया।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, श्री विश्वनाथ प्रताप ने जो कुछ किया वह शासन के पक्ष में किया, दइया ट्रस्ट के लिये कुछ नहीं किया। अब जो भी कार्यवाही हो रही है न्यायालय के निर्णय के अनुसार हो रही है, जिसका पालन करना सरकार का कर्तव्य है । मान्यवर, मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कहा है वह तथ्यों से परे है ।

(सदन में दोनों पक्षों की ओर से नारे लगाये जाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 16 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी । 2 बजकर 31 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है । 3 बजकर 15 मिनट पर पुन: मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है । 3 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक और बढ़ा दिया है तदुपरांत 4 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुयी ।)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, दइया चैरिटेबिल सोसाइटी ट्रस्ट के सम्बन्ध में जो नियम 56 रखा गया है, केवल उसकी ग्राह्यता पर ही मैं बोलूंगा । मान्यवर, इस प्रस्ताव की आवश्यकता इसलिये है और इस सदन में चर्चा इसलिये जरूरी है क्योंकि तत्काल ही उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने पर एक करोड़ रुपये का भार पड़ने वाला है और एक करोड़ रुपये का भार ऐसी स्थिति में पड़ने वाला है जब कि प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। इस सम्बन्ध में, अनेक अनियमितताएं बर्ती गयीं, जो सरकारी आदेश थे, जो बड़े अफसरों का आदेश था उसका उल्लंघन किया गया। मान्यवर, इस सोसाइटी से सम्बन्धित जमीन हमारे प्रदेश के कानूनों का जबरदस्त उल्लंघन है। जब हमारे प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एक्ट बनाया जाने वाला था, भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनाये जाने वाले थे उससे पूर्व यह जमीन लगभग 7 हजार बीघा जो लगभग 5 हजार एकड़ के बैठती है, ऐसा किया गया कि जो काश्तकार है, हाथ से खेती करते हैं उन्हें जमीन न मिल पाए सन् 1960 में प्रदेश में हदबन्दी का कानून बनाया गया, तब भी ऐसी कोशिश की गयी कि यह जमीन बच जाये और हदबन्दी कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया और यह कोशिश की गयी कि यह जमीन भूमिहीनों को न चली जाये और सोसाइटी के पास ही बनी रहे और जिला इलाहाबाद और मिर्जापुर की जमीन इस सोसाइटी के पास थी।

मान्यवर, इस सोसाइटी का मकसद रखा गया था कि स्कूलों को यह सोसाइटी चलायेगी और किसानों के फायदे के

लिये कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलेंगी, लेकिन इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसके विपरीत इस सोसाइटी ने 900 बीघा जमीन बेंच दिया है। फिर उत्तर प्रदेश में 1973 में कानून बनाया गया और 1960 के कानून के तहत हदबन्दी से किसी ट्रस्ट की जमीन न बने ऐसी व्यवस्था की गयी तो दूसरे हथकन्डे अपनाकर और सरकार पर दबाव डाल कर उसका मुआवजा लेने की साजिश की गयी। ऊपर से अधिकारियों के आदेश होते हैं कि जमीन की जो स्थिति है, उसको देखा जाये, पूरी तरह से देखा जाये। सोसाइटी ने कहा कि 1973 में जमीन को छोड़ दिया है, लेकिन सोसाइटी ने 1979 में उसका कब्जा सरकार को दिया और उसके कब्जे के बाद भी आप इस बात को देखें 1981-82 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने ही यह घोषणा की थी कि जो सीलिंग की जमीन है, वह भूमिहीनों को दी जायेगी किन्तु इस सोसाइटी ने जमीन काश्तकारों को नहीं देने दी और यह सरकार में बैठे लोगों के आदेश से हुआ। मैं कहता हूं कि 1981-82 में सरकार किस की थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, तो आपको इस बात को सुनना चाहिये। आखिर क्यों इस तरह से कानूनों का उल्लंघन होता रहा और इस तरह की छूट क्यों दी गयी? जमीन के सम्बन्ध में मुआवजे की बात रखी गयी है। जो पेड़ हैं उनकी गिनती बड़े अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिये, लेकिन इसका भी उल्लंघन किया गया और मात्र लेखपाल से और फारेस्ट गार्ड से पेड़ों की गिनती करा ली गयी, जिस पर लाखों लाख रुपये का मुआवजा होता है। यह काम 1981-82 में हुआ, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, तो यह कहना क्या अनुचित है। उस समय तो उन्हीं की सरकार थी। आपके राजस्व सचिव थे। उन्होंने जिलाधिकारी इलाहाबाद को पत्र लिखे हैं। जितनी भी बातें वहां पर हो रही हैं और जिस ढंग से इस चैरिटेबुल सोसाइटी को पेड़ों आदि का मुआवजा देने की बात हो रही है, वह गलत है और तमाम बातों की पैरवी करने में कोताही की गई। उसमें नीचे के अधिकारी मिले हुये थे। मान्यवर, यह तात्कालिकता का प्रश्न है। हम एक करोड़ से अपने प्रदेश को बचा सकें, जिस ढंग से नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिन्होंने अनियमितताएं की हैं उनके खिलाफ जांच हो, इसलिए यह प्रस्ताव आपके समक्ष है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला इसलिए है कि जो विषय वस्तु है वह तो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने और माननीय कौशिक जी ने विस्तार के साथ रख दी है। मैं केवल एक बिन्दु की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें अविलम्बनीयता क्या है, कौन सी गम्भीर बात है जिसके कारण इसे आज हमें कार्य-स्थगन के माध्यम से लाना पड़ा। घटनाएं बहुत होती हैं। लेकिन यह देखना होगा कि किस व्यक्ति के प्रभाव में घटना घटी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं समझता हूं कि अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके, निहित स्वार्थों का पूरा करने के लिए एक बंजर भूमि के ऊपर जहां कि दूर-दूर तक झर्बरी के पेड़ दिखाई नहीं देते थे, वहां इतने पेड़ दर्शाये गये कि जिसका 1,34,00,777 रुपये 47 पैसे प्रतिकर के रूप में सरकार के खजाने से देना पड़ रहा है। यह कितनी निन्दा की बात है।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि माननीय कौशिक जी

ने कोई बात कही और आरोप लगाये । माननीय गुप्त जी कोई बात कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आरोप लगाने के पहले उस बात का कोई आधार होना चाहिए। इसलिए आप यह बता दें कि आपकी सूचना का आधार क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी सूचना का आधार सरकारी पत्रावलियों में जो लिखा है, वह है । मैं उसकी फोटो स्टेट कापियों को भी प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

आप उसको मंगा लें और देख लें। इसके लिये नियमों में प्राविधान है। उसके पश्चात् ही आप आरोप लगा सकते हैं । नियमों में जो प्राविधान है उसके अनुसार अगर सरकारी पत्रावलियों में इसकी प्रविष्टि है तो आप आरोप लगा सकते हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कहीं भी इस प्रकार का नियम नहीं है कि हमको यह बाध्य किया जाय कि हम इसका सोर्स बतायें।

श्री हुकुम सिंह–

हम आधार पूछ रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, मैं हुकुम सिंह जी का बड़ा आदर करता हूं . . .।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखें ।

(शोर व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शांतिपूर्वक बैठें उत्तेजित न हों ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं नियम पढ़े देता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं नियम बताता हूं । मेरे कथन पर आपत्ति की गई है । हमारे नियम 299(1) में यह व्यवस्था है कि अगर हम किसी कागज या अभिलेख को उद्धृत करना चाहेंगे तो उसकी पूर्व प्रतिलिपि आपकी मेज पर आयेगी लेकिन अगर किसी पत्रावली का संदर्भ देकर रखना चाहेंगे तो उसकी फोटोस्टेट प्रतिलिपि होना आवश्यक नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने बताया कि आधार पत्रावली है। आरोप लगाने से पहले वह पत्रावली आपके सामने आ जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो सूचना हमारे द्वारा दी गई है उस सूचना का स्वतः अर्थ है। उसमें हम सब ने लिखा है कि भारी संख्या में फर्जी तौर पर बंजर भूमि में पेड़ों को दर्शाया गया है ।

अब अलग से कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जल्दी में खत्म करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात कह लें लेकिन कोई ऐसा आरोप न लगायें जिसमें कागज देना जरूरी हों। मैं नियम पढ़ देता हूं नियम 289–क में दिया हुआ है "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदन ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को पूर्व

सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके।'' इसलिये ऐसा आरोप मत लगाइये जो कागज से संबंधित हो। आप अपनी बात कह लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर यह बात किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होती तो कार्य-स्थगन का विषय नहीं बन सकता था . . . .

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो आरोप लगाया गया है वह नियमों और प्रक्रिया के विरुद्ध है उसे कार्यवाही से निकाल दें क्योंकि ऐसे आरोप लगाने से पहले उन अभिलेखों की प्रति आपके पास होनी चाहिये।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या है ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप शांत रहें। माननीय किरनपाल सिंह जी मैंने देखा नहीं; मैं पहले समझ लूं। (व्यवधान) मुझे मालूम नहीं क्या बात है (व्यवधान)

(श्री किरनपाल सिंह, श्री विजय सिंह राणा आदि कई माननीय सदस्य सदन के मध्य आ गये और राजीव गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे)

कोई मा0 सदस्य बात बताये तो मालूम हो (व्यवधान) सदन को पहले व्यवस्थित करें (व्यवधान) (जोर-जोर से नारे लगने लगे, राजीव गांधी जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे)

(व्यवधान-जारी)

आप लोग आसन ग्रहण करें। मेरा निवेदन सुन लें। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल आप दोनों से निवेदन है कि अपनी-अपनी तरफ के माननीय सदस्यों को शान्त करायें (व्यवधान) आप लोग आसन ग्रहण करें, यह तरीका ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल, आप विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को आसन ग्रहण करायें।

(घोर व्यवधान) (विपक्ष और सत्ता पक्ष के काफी माननीय सदस्य सदन के फ्लोर में आकर नारे लगाने लगे। विपक्ष की ओर से [x x x] नारे लगाये। श्री अफसर यू0 अहमद ने [xxx] लिखा हुआ लाल रंग का पोस्टर सदन में दिखाया। श्री मनोहर लाल ने मैगजीन ''रविवार'' दिखाया जिसके ऊपर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का चित्र बना था।) (घोर व्यवधान)

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी। तदुपरान्त 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

(श्री उपाध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही सभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये और कुछ फ्लोर में आ गये। कतिपय विपक्षी सदस्यों द्वारा पोस्टर्स दिखाए जाने लगे और नारे लगाये जाने लगे।)

([x x x] के नारे लगाये गये। [x x x] लिखित पोस्टर दिखाया गया और [x x x] के नारे भी जोर-जोर से लगाये गये। ''जमीन चोर इस्तीफा दो'' के नारे भी लगे।)

(सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे-बाजी होने और घोर व्यवधान उत्पन्न किये जाने पर)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप अपने लोगों को वापस बुलाइये ।

(एक माननीय सदस्य पत्रिका ''रविवार'' का वी0 पी0 सिंह के मुख्य पृष्ठ पर फोटो वाला अंक दिखाने लगे ।)

श्री विजय सिंह राणा ने अपने सीट पर खड़े होकर [xxx] लिखा हुआ पोस्टर दिखाया ।)

(फ्लोर में एकत्रित मा0 सदस्यों द्वारा तथा ''जमीन चोर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो-**इस्तीफा दो'' के नारे लगाये गये।)**

आप लोग आसन ग्रहण करें और जो कुछ कहना है, अपने-अपने स्थानों से कहें, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

मेरा अनुरोध है कि आप इनको बिठायें और आसन ग्रहण करायें जिससे विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ हो। यह कोई लिखा नहीं जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आसन ग्रहण करें। वहीं से जो कुछ कहना चाहें कहें।

(व्यवधान)

([xxx] लिखा हुआ पोस्टर हाथ ऊपर कर दिखाया गया और नारे भी लगाये गये। और [xxx])

(एक माननीय सदस्य विधान सभा रिपोर्टर्स टेबुल से टाइम-पीस उठाकर उसका एलार्म बजाने लगे।)

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल, मेरा निवेदन है कि आप बिठायें अपने लोगों को। यह अच्छी परम्परा नहीं है। माननीय सरदार सिंह व राणा जी। मनोहर लाल जी यह अच्छा प्रदर्शन नहीं है। यह हाउस की परम्परा नहीं है, न यह अच्छी बात है।

(इस बीच एक माननीय सदस्य ने विधान सभा रिपोर्टर्स टेबुल से रोस्टर और एजेण्डा उठाकर मेज के नीचें फेंक दिया)

नेता विरोधी दल, देखिये आप के लोग तोड़-फोड़ की कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। आप इसको रोकिये।

([xxx] आदि के नारे पुनः लगाये गये।)

(विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा 'वी0पी0 सिंह का चमचा संजय सिंह' के नारे लगाये गये।)

मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा 'अंग्रेजों का दलाल-देश का गद्दार' के नारे लगाये गये ।)

(कुछ माननीय सदस्य फ्लोर पर बैठ गये।)

(विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा [xxx] के नारे लगाये गये।)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आपके नेता को चोर कह दिया और आप वहां बैठे हैं। [xxx] कह दिया और आप वहां बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा न कहिये।

(विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा [xxx] नारे लगाये गये।)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(विरोधी पक्ष के कई सदस्य फ्लोर में खड़े रहे और नारे लगाते रहे-[xxx]

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री सरदार सिंह तथा दो अन्य माननीय सदस्य डायस तक आ गये।)

(कुछ माननीय सदस्यों ने रिपोर्टर्स नोट-बुक, रोस्टर, उठाकर फेंक दिये और रिपोर्टर्स टेबुल घड़ी उठा ली।)

(घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।। 5 बजकर 5 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 5 बजकर 15 मिनट पर पुन: मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट और बढ़ा दिया है।

तदुपरान्त 5 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुयी।)

(लोकदल के सदस्य सदन में नारे लगाने लगे। श्री किरनपाल सिंह तथा कुछ अन्य सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन व्यवस्थित नहीं हो रहा है अत: कल 11 बजे तक के लिए हम उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ

3-9-1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता प्र0 सं0 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह
विधायक
झांसी।

3, ए दारुलशफा
लखनऊ
दिनांक 3-4-86

सेवा में,
सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :—श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, भूतपूर्व कैशियर, शारदा कैनाल हरदोई को पुनः भविष्य में हरदोई जनपद में तैनात न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान निम्न तथ्यों की ओर आकृष्ट करना है :—

1—श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, हरदोई जनपद में दिनांक 1-10-64 (लगभग 21 वर्ष) से तैनात रहे और जनपद हरदोई एवं अन्य विधायकों एवं माननीय मंत्रियों की शिकायतों के आधार पर इनको दिनांक 22-6-85 को हरदोई से उन्नाव के लिए किया गया था। विधान सभा के सदन में वर्तमान मुख्य मंत्री और भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ने भी दिनांक 17-7-85 को तारा0 प्रश्न संख्या—3 में प्रश्नोत्तर के दौरान माना है कि शिकायतों के आधार पर स्थानान्तरण किया गया है। विधान सभा की कार्यवाही का अंश अवलोकनार्थ संलग्न है।

2—उक्त शिकायती पत्रों के आधार पर उक्त श्री मिश्र को हरदोई जनपद से दिनांक 16-7-85 को कार्यभार मुक्त किया गया था परन्तु उन्नाव में नई जगह पर अपना कार्यभार दिनांक 1-1-86 को ग्रहण किया। अतः साढ़े 5 माह किस प्रकार अवकाश पर रहे।

3—इन्होंने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या—14/1/1984 कार्मिक-2, दिनांक 17-4-84 एवं सचिव कार्मिक—2 के पत्र संख्या—14/1/1984 कार्मिक-2 दिनांक 8-4-85 दोनों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन एवं विभागीय आदेशों की घोर अवहेलना की है।

4–उक्त प्रसंग में यह स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 13 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को जब तक वह अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न कर लें तब तक किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।" दिनांक 16-7-85 के उपरान्त दिनांक 1-1-86 तक श्री मिश्र को कौन सा अवकाश उक्त शासनादेश के बाद पर रखकर स्वीकार किया गया। क्या मंत्री जी अवकाश स्वीकार करने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे अथवा श्री मिश्र को निलम्बित करेंगे।

5–यही नहीं श्री मिश्र अपनी हठधर्मिता के कारण वर्तमान समय में उन्नाव में सरकारी कार्य में रुचि न लेकर उपेक्षा पूर्व बनाये हुए हैं और हरदोई में 21 वर्ष सेवा करने के बावजूद वहीं पर चिपके रहना चाहते हैं। वे अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर अवकाश लेते जा रहे हैं और विभागीय अधिकारियों को धोखा दे रहे हैं। इसके साथ सरकारी कार्य का नुकसान हो रहा है। इनके अवकाश प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करें।

6–इनके विरुद्ध ढेरों विधान सभा प्रश्न व बहस हो चुकी हैं जो सिंचाई अनुभाग–7 की पत्रावलियों में मौजूद हैं। जिस दिन विधान सभा प्रश्न का उत्तर सदन में देना होता था उसके एक दिन पूर्व ही कार्यवाही की जाती रही है, यदि यह प्रश्न किए गए होते तो यह अपने प्रभाव से सारी शिकायतें दबा देते। विधान सभा प्रश्नोत्तर की 8 प्रतियां।

7–श्री मिश्र के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला हरदोई में अपराध संख्या–356 दिनांक 12-8-84, धारा-504/506/आई0 पी0 सी0 तथा अपराध संख्या-511, दिनांक 7-11-84 तथा अपराध संख्या–32 धारा 325/323/504-आई0 पी0 सी0 दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी सूचना इनके विभाग में दी जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु विधान सभा अता0 प्र0 सं0–56 का उत्तर संलग्न है।

8–श्री मिश्र ने नवम्बर, 1983 में अपनी पत्नी के नाम 16000/- के अवैध धन से एक फर्जी बैनामा कराया, जिसके सम्बन्ध में इन्हें चेतावनी भी दी गयी परन्तु शासन को यह नहीं बताया की वह धन कहां से प्राप्त किया। इसकी सतर्कता विभाग से जांच कराई जाय।

9–उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह चाहूंगा कि जो व्यक्ति 21 वर्ष एक ही जनपद में कार्यरत रह चुका हो और उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट

भी दर्ज हों और फौजदारी व दीवानी के मुकदमें भी लम्बित हों, यहीं नहीं उसकी शिकायतें मा0 सदस्यों व मंत्रियों ने भी की हों, तो उसका जनहित में स्थानान्तरण होना ही चाहिए।

10—बड़े खेद का विषय है कि ऐसे स्वार्थी एवं भ्रष्ट कर्मचारी को हरदोई से हटाकर उन्नाव मात्र स्थानान्तरित कर दिया गया इन्हें सर्किल के बाहर स्थानान्तरित होना परम आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इनको भविष्य में श्री मिश्र को हरदोई में कभी भी तैनात न किया जाय।

[redacted]

भवदीय,
ह0/- कुंवर मानवेन्द्र सिंह,
विधायक।

विधान परिषद सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर।)

क्रम-सं0	योजना का नाम	स्थान		विद्युत क्षमता (मेगावाट)	योजना पूर्ण करने का प्रस्तावित वर्ष
		जनपद	नदी		
1	2	3	4	5	6
	चालू निर्माणाधीन योजनायें :--				
1--विष्नू प्रयाग		चमोली	अलखनन्दा	480	सप्तम योजना के अन्त पर।
2--मनरी भाली (द्वितीय चरण)।		उत्तरकाशी/	भागीरथी	304	अष्टम योजना
	नई निर्माणाधीन योजनायें :--				
3--खारा हाइडिल योजना		देहरादून/ सहारनपुर	अहसन/यमुना	72	सप्तम योजना
4--श्रीनगर		पौड़ी	अलखनन्दा	200	अष्टम योजना
5--पाला मनेरी		उत्तरकाशी	भागीरथी	372/	कार्य आरम्भिक
6--राजघाट				45/	चरण पर है।
7--लोहारीनाग पाला		उत्तरकाशी	भागीरथी	282/	
	अन्य नई योजनायें :--				
1--काटापत्थर (वि0परि0)।		देहरादून	यमुना	19	
2--तपोवन विश्वन प्रयाग जल वि0 परियोजना।		चमोली	धौली गंगा	360	
3--मोवाला नन्द प्रयाग जल वि0 परियोजना।		चमोली	अलखनन्दा	132	
4--नौबोरा जल वि0 परियोजना।		सहारनपुर	पूर्वी यमुना नहर।	13	
	जल विद्युत योजनायें जिनके सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं :				
1--लता तपोवन जल वि0 योजना।		चमोली	धौलोगंगा	108	
2--त्रिशौली भटवारी जल वि0 परियोजना।		चमोली	मन्दाकिनी	43	

1	2	3	4	5	6
	3--भैरोंघाटी जल वि0 परियोजना (प्रथम चरण)	उत्तरकाशी	भागीरथी	324	
	4--भैरोघाटी जल वि0 परियोजना (द्वितीय चरण)।	उत्तरकाशी	भागीरथी	240	
	5--मिलांगना जल वि0 परियोजना	टेहरी	मिलांगना	18	
	6--हनोल टेयूनी जल वि0 परियोजना।	देहरादून	टोन्स	26	
	7--आराकोट टयूनी जल वि0 परियोजना।	देहरादून	पावर	62	
	8--टयूनो प्लासू जल वि0 परियोजना।	देहरादून	टोन्स	50	
	9--हनुमान चट्टो जल वि0 परियोजना।	उत्तरकाशी	यमुना	33	
	10--सैनाचट्टो गंगनो जल वि0 परियोजना।	उत्तरकाशी	यमुना	45	
	11--बारकोट कुवा जल वि0 परियोजना।	उत्तरकाशी	यमुना	25	
	12--कुवा दमटा जल विद्युत परियोजना।	उत्तरकाशी	यमुना	120	
	चयनित विद्युत जल योजनायें--				
	1---भू-इन्दर गंगा जल वि0 परियोजना।	चमोली	भू-इन्दर	7	
	2---पारपुरा जल विद्युत परियोजना।	चमोली	धौली गंगा	45	
	3--- ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना।	चमोली	ऋषिगंगा	89	
	4---मन्दाकिनी घाटी जल वि0 परियोजना।	चमोली	मन्दाकिनी	नहीं	
	5---तालु काशन्करी जल वि0 परियोजना।	उत्तरकाशी	टोन्स	60	
	6---जाखोल शंकरी जल वि0 परियोजना।	उत्तरकाशी	सुपिन	60	
	7--सिदरी दिखोरा जल वि0 परियोजना।	उत्तरकाशी	टोन्स	80	
	8---दिखोरा मोरी जल विद्युत परियोजना।	उत्तरकाशी	टोन्स	34	

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर।)

जिला चयन समिति आजमगढ़ द्वारा चयनित टंकक लिपिक वर्ग की सूची

क्रम सं0	सूची की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व पूरा पता
1	2	3
1	183	कु0 मधुरानी श्रीवास्तव, पुत्री श्री विभूती लाल श्रीवास्तव, म0 नं0-188, आजमगढ़।
2	141	श्री बन्धु प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल द्वारा श्री लालमति वर्मा आशुलिपिक कार्यालय ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3	156	श्री शशि प्रकाश शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन सिंह फारेस्ट रेंज आफिस, फूलपुर रेंज, आजमगढ़
4	75	श्री मूल चन्द्र यादव पुत्र जयकरण यादव, ग्राम मथुरा, पो0 निजामाबाद, आजमगढ़।
5	142	श्री कृपाशंकर दुबे पुत्र राम प्यारे दुबे, ग्राम व पोस्ट बरगोढ़, आजमगढ़।
6	204	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राम चन्द्र लाल द्वारा श्री शम्भू-नारायन लाल, ग्राम बड़गा व तहसील घोसी, आजमगढ़।
7	182	श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री स्व0 सुरेन्द्र सिंह, ग्राम खानपुर फतेह पोस्ट अतरौलिया, आजमगढ़।
8	163	श्री शमीर कुमार सिंह पुत्र श्री रामफल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, शाहगंज, जौनपुर द्वारा राकेश जी वर्मा, मो0-कटरा आजमगढ़
9	139	श्री अनिरुद्ध सिंह पुत्र केशव सिंह, ग्राम तिसौरा, पोस्ट बड़हलगंज, आजमगढ़।
10	130	श्री विजय नारायण सिंह पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम-खेमऊ पो0-चण्डेश्वर, आजमगढ़।
11	132	श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह द्वारा भगवान सिंह, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय नई कालोनी, रैदोपुर आजमगढ़।
12	128	श्री उमेश चन्द्र राय पुत्र श्री चन्द्र देव राय ग्राम व पोस्ट मतौली-पुर, आजमगढ़।
13	77	श्री राम लाल यादव पुत्र श्री यदुनाथ यादव, ग्राम ईरनी, पो0 ईरनी, ठेकमा, आजमगढ़।
14	177	श्री विजय प्रकाश पाण्डे पुत्र श्री हरिशंकर पाण्डे द्वारा अवधेश सिंह अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, आजमगढ़।
15	114	श्री कैलाश यादव पुत्र श्री रामदेव यादव, ग्राम आहोपट्टी, पो0 पठ-खौली, आजमगढ़।
16	122	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ मिश्र पुत्र श्री हीरा नन्द मिश्र, ग्राम भोषमपुर देव खरी, पो0 भवरनाथ, आजमगढ़।
17	185	श्री राम प्यारे यादव पुत्र श्री जय नारायण यादव, ग्राम देवनाथपुर, पो0 उन्दूरा (मधुवन), आजमगढ़।
18	46	श्री देवराज यादव, पुत्र श्री दुखी यादव, ग्रामआहोपट्टी, पो0 पठ-खौली, आजमगढ़।

1	2	
19	123	श्री आशोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री ब्रहमचारी लाल, म0नं0 234, वार्ड 10, एलगल, आजमगढ़।
20	210	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री ओम प्रकाश स्वदेशी काटन मिल मऊ, आजमगढ़।
21	84	श्री राम प्रताप मौर्य पुत्र श्री फूलचन्द्र मौर्य, ग्राम व पो0 मुहदल्ला, आजमगढ़ ।
22	117	कु0 वीना सिन्हा, पुत्री श्री श्रीमन्त कुमार सिन्हा होम्यो फारमेसी, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ ।
23	176	श्री जयगोपाल पति त्रिपाठी पुत्र श्री श्रीराम छविला पति त्रिपाठी द्वारा वीर बहादुर पति त्रिपाठी, स0अ0 अधि0 रेंज कार्यालय, फूलपुर पो0 फूलपुर, आजमगढ़।
24	146	श्री श्रीनाथ धर दुबे पुत्र श्री त्रिभुवन दुबे, जिला सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़।
25	58	श्री राम अवतार यादव पुत्र श्री राम लक्षन यादव, ग्राम कबीरपुर, पो0 कोईरिपार, आजमगढ़ ।
26	55	श्री लाल बिहारी पुत्र श्री मक्खूराम ग्राम मड़या, राहुल नगर चौरसिया भवन, आजमगढ़ ।
27	192	श्री अरुण कुमार यादव पुत्र श्री श्याम बहादुर द्वारा श्री अर्जुन लाल, जिला सेवायोजन कार्यालय, आजमगढ़ ।
28	178	श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री स्व0 विजय बहादुर द्वारा श्री केशव प्रसाद अस्थाना, अनन्तपुरा, कटरा, आजमगढ़ ।
29	60	श्री श्रीराम पुत्र रघुवीर, ग्राम खदरी, पो0 रानी की सराय, आजमगढ़ ।
30	57	श्री कपिलदेव यादव पुत्र श्री सुमेर यादव, ग्राम सिसवा हैदराबाद, पो0 बछवल, आजमगढ़ ।

जिला चयन समिति आजमगढ़ द्वारा चयनित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सूची

1	21	श्री मुन्नूराम पुत्र श्री सिन्धू राम, ग्राम मनचोभा, पो0 ककरहटा, आजमगढ़ ।
2	27	श्री दीप चन्दराम पुत्र श्री रामजोत राम, ग्राम मनिकाडीह, पो0 चण्डेश्वर, आजमगढ़।
3	10	श्री विजय कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, मोहल्ला कुर्मी टोला, म0नं0 101, लाल डिग्गी, आजमगढ़ ।
4	18	श्री बैचू प्रसाद पुत्र श्री गोपाल प्रसाद, ग्राम व पोस्ट कल्याणपुर आजमगढ़।
5	25	श्री विनोद पुत्र श्री रामनाथ राम, मो0 रैदोपुर, सदर, आजमगढ़।

ह0
एस0ए0 त्रिपाठी,
अपर जिलाधिकारी एवं जिला चयन समिति
आजमगढ

ह0 आर0सी0 शुक्ला,
जिला सेवायोजन अधिकारी,
सदस्य, सचिव, जिला चयन समिति,
आजमगढ़।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 114 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या–114 का संलग्नक

अगस्त 1973 में जिलापूर्ति कार्यालय गोरखपुर में 3 प्रधान लिपिक सर्वश्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, हेम नारायन पति त्रिपाठी एवं ओम प्रकाश लाल तथा चार ज्येष्ठ लेखा लिपिक सर्वश्री रमेश चन्द्र, सूरज नारायण गुप्ता, अशोक कुमार वर्मा एवं दुखी प्रसाद कार्यरत थे।

उक्त कर्मचारियों में श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान लिपिक को पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर दिनांक 11 जनवरी, 1974 से पूर्ति निरीक्षक पद पर तथा सूरज नारायण गुप्ता, ज्येष्ठ लेखा लिपिक की पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर दिनांक 8 जनवरी, 1974 से प्रधान लिपिक एवं बाद में दिनांक 24 सितम्बर, 1980 से पूर्ति निरीक्षक के पद पर की गयी।

2. जिलापूर्ति कार्यालय बस्ती में सन्दर्भित अवधि में प्रधान लिपिक के पद पर श्री दयानन्द लाल तथा ज्येष्ठ लेखा लिपिक के पद पर श्री नजीर अहमद खां ईमानी कार्यरत थे। ये लोग क्रमश: दिनांक 31 जनवरी, 1978 व 4 जुलाई, 1977 को जनपद वाराणसी तथा बस्ती से इन्हीं पदों पर सेवा निवृत्त हो गये।

3. जिलापूर्ति कार्यालय देवरिया में अगस्त, 1973 में प्रधान लिपिक एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिक के दोनों पदों पर कोई कार्यरत नहीं था, क्योंकि जून, 1973 में प्रधान लिपिक श्री जगदीश तिवारी को प्रोन्नत देकर अन्य जनपद में स्थानान्तरित कर दिया गया था, जिससे प्रधान लिपिक का पद जून, 1973 से 30 जून, 1974 तक रिक्त था। ज्येष्ठ लेखा लिपिक का पद भी अप्रैल, 1973 से 26 जनवरी, 1975 तक रिक्त रहा।

4. जिलापूर्ति कार्यालय आजमगढ़ में अगस्त, 1973 में प्रधान लिपिक श्री महन्थ राम कार्यरत थे। अगस्त, 1973 में ही उनकी पदोन्नति ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर हुई। ज्येष्ठ लेखा लिपिक के पद पर श्री बिनई राम यादव कार्यरत थे। दिनांक 10 सितम्बर, 1973 में इनकी पदोन्नति प्रधान लिपिक के पद पर हुई।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतां0प्र0सं0 123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर।)

अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा

वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत नहरों/माइनरों की सफाई/सिल्टिंग के व्यय का विवरण

क्रम-सं0	राजवाहे/माइनर का नाम	वित्तीय वर्ष 1985-86 में व्यय			
		सिल्ट सफाई	जलकुम्भी काई सिवार, निकालना एवं अन्य विविधकार्य	कुल व्यय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	शेरगढ़ राजवाह	84,491.00	..	84,491.00	
2	चन्दौलो माइनर	6,852.00	..	6,852.00	
3	अगराला राजवाह	29,930.00	..	29,930.00	
4	छाता माइनर	4,004.00	..	4,004.00	
5	अजनौठी माइनर	3,663.00	..	3,663.00	
6	बाई शेरगढ़ राजवाह	15,596.00	..	15,596.00	
7	रोही माइनर	9,036.00	..	9,036.00	
8	चौगा माइनर	2,640.00		2,640.00	
9	जैत माइनर	5,100.00	..	5,100.00	
10	आरस माइनर	3,380.00	..	3,380.00	
11	मघेरा माइनर	9,436.00	..	9,436.00	
12	वृन्दावन माइनर	8,884.00	..	8,884.00	
13	छतीकारा माइनर	2,840.00	..	2,840.00	
14	कोंटा माइनर	2,287.00	..	2,287.00	
15	बांई वृन्दावन माइनर	2,149.00	..	2,149.00	
16	सहार राजवाह	41,172.00	40,369.00	81,541.00	
17	सहार माइनर	..	..	..	
18	उमराया माइनर	4,446.00	..	4,446.00	
19	भरना माइनर	21,290.00		21,290.00	
20	सिंहाना माइनर	7,579.00	..	7,579.00	
21	गल माइनर	7,134.00	..	7,134.00	
22	जुनैदो राजवाह	25,968.00	..	25,968.00	
23	खामनी माइनर	1,833.00	..	1,833.00	
24	कोनई माइनर	3,438.00	..	3,438.00	
25	बुखरारी राजवाह	87,658.00	45,549.00	1,33,207.00	
26	शेहजादपुर माइनर	6,416.00	..	6,416.00	
27	जटकरी माइनर	9,942.00	..	9,942.00	
28	गढ़ो माइनर	2,149.00	..	2,149.00	
	सी0/ओ0 योग	4,09,313.00	85,918.00	4,95,231.00	

अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा

वित्तीय वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत नहरों/माइनरों की सफाई/सिल्टिंग के व्यय का विवरण

1	2	3	4	5	6
	बी0एफ0	4,09,313.00	85,918.00	4,95,231.00	
29	प्रह्लादपुर राजवाह	12,711.00	..	12,711.00	
30	भगौला माइनर	4,300.00	..	4,300.00	
31	जनौली राजवाह	2,551.00	12,185.00	14,736.00	
32	पलवल राजवाह	4,990.00	2,791.00	7,781 00	
33	ममूरी राजवाह	4,950 00	4,221 00	9,171.00	
34	हसनपुर राजवाह	54,881.00	23,108.00	77,989.00	
35	छज्जूनगर माइनर	3,571.00	..	3,571.00	
36	लोखी माइनर	1,915.00	..	1,91500	
37	हुसैनाबाद माइनर	..	4,950.00	4,950..00	
38	हयोन राजवहा	1,30,905.00	80,138.00	2,11,043.00	
39	मांटपुर माइनर	5,138.00	..	5,138.00	
40	कोट माइनर	3,440.00	..	3,440.00	
41	मोरपुर माइनर	3,458.00	..	3,458.00	
42	सप्लाई चैनल	4,200.00	..	4,200.00	
43	खटेला माइनर	1,960.00	..	1,960.00	
44	डाडला राजवाह	6,048.00	..	6,048.00	
45	नन्दगांव राजवाह	1,17,866.00	63,616.00	1,81,482.00	
46	दहगांव माइनर	8,917.00	..	8,917.00	
47	कामर माइनर	6,823.00	..	6,823.00	
48	हुलगाना माइनर	4,814.00	..	4,814.00	
49	दांई नन्दगांव माइनर	4,811.00	..	4,811.00	
50	कांई माइनर	11,407.00	..	11,407.00	
51	पनगो माइनर	4,985.00	..	4,985.00	
52	कोसी राजवाह	35,726.00	1,10,052.00	1,45,778.00	
53	देवपुरा माइनर	2,873.00	..	2,873.00	
54	रहेडा माइनर	2,420.00	..	2,420.00	
55	भरोसा माइनर	1,805.00	..	1,805.00	
56	होंडा राजवाह	65,587.00	25,432.00	91,019.00	
57	सिलोठो माइनर	4,893.00	..	4,893.00	
58	बेजा माइनर	2,029.00	..	2,029.00	
59	सोंहा व डकोरा माइनर।	4,278.00	..	4,278.00	
60	विजयगढ़ माइनर	3,566.00	..	3,566.00	
61	गढ़ोला माइनर	1,913.00	..	1,913.00	
	कुल योग	9,39,044.00	4,12,411.00	13,51,455.00	

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

सिंचाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–33/86 दिनांक 15-1-86 में दी गई सूचना का संक्षिप्त विवरण

1–रिग मशीन नं0–5 के कर्मचारियों द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26-3-84 पर अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा दिनांक 2-6-84 को जांच की गई।

2–रिग नं0–5 पर कार्यरत चौकीदार श्री विजय सिंह का लिखित बयान दिनांक 7-1-86 का, कि मेरा स्थानान्तरण इसलिए किया गया क्योंकि मैंने चौकीदार की ड्यूटी के बाद ठेकेदार के कार्य करने से मना कर दिया था।

3–रिग न0–5 पर कार्यरत श्री भगवान स्वरूप शर्मा हेल्पर का वेतन इसलिए काटा गया एवं बाद में स्थानान्तरण कर दिया क्योंकि उसने भी मशीन पर कार्य-आदेश के ठेकेदार के कार्य नहीं किये थे।

4–ठेका अधिनियम 1970 संख्या 37 के अध्याय 5 की धारा 16 से 21 तक में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न किया जाना।

5–यह कम्प्रैसर जी0 डी0 नं0–8 के चालक ने रिपोर्ट दिनांक 15-12-83 को की थी कूप संख्या 100 फिरोजाबाद से कि कूप पर पूरे माह कोई ठेकेदार की लेबर नहीं पहुंची है। समस्त कार्य स्वयं व स्टाफ द्वारा किया गया। परन्तु उस माह के कूपों पर ठेकेदार को भुगतान किया गया।

6–जी0 डी0 नं0–8 के कम्प्रैसर ड्राइवरों ने रजिस्टर्ड रिपोर्ट एवं मेट द्वारा सूचना भेजी है कि कूप संख्या–89, 151 बाह तथा 37 एतमादपुर एवं 105 व 108 बाह पर पूरे माह कोई ठेकेदार की लेबर नहीं पहुंची है फिर भी उक्त कूपों पर कार्य आदेश पर धन का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है।

7–(क)–मस्टर रोल बुक नं0–251 के मस्टर रोल 3 व 4 पर पूर्व के अधिशासी अभियन्ता, के हस्ताक्षर दिनांक 20-2-82 के हैं परन्तु इन्हें इशू दिनांक 2-3-84 को किया गया है।

(ख)–उपरोक्त की जांच कार्य से पूर्व कर्मचारियों के स्थानान्तरण करना नियम विरुद्ध है फिर भी आपके द्वारा दिनांक 2 जून, 84 को जांच की गई और उसमें सत्यता पाई गई तब ही दिनांक 18 जून, 84 को एअर कम्प्रैसर ड्राइवर जी0 डी0 नं0–8 के विरुद्ध एक अर्धशासकीय पत्र लिखा और मुख्य अभि-

थन्ता, नलकूप पश्चिम, सिंचाई विभाग, मेरठ से कम्प्रैसर चालक का स्थानान्तरण मेरठ मण्डल में करा दिया। दूसरे कम्प्रैसर चालक को भी जी0 डी0 से हटाकर पेन्टी जनरेटर पर कर दिया जिसके कारण उसे दो बार दिल का दौरा पड़ा और वह मृत्यु होने से बचा।

श्री रूप चन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता, को आप द्वारा दो मशीनों का चार्ज दे रखा है।

माह जून, 1984 से मार्च, 1985 तक जी0 डी0 नं0 8 में जी0 डी0 नं0 1 मैनपुरी का सामान निकालकर लगाया गया तथा नये का भुगतान किया गया है। लाग बुक में कम्प्रैसर विकसन कार्य कर रहा है जबकि वास्तव में मैकेनिक श्री मूलचन्द्र उसे रिपेयर कर रहे हैं। उनके उक्त अवधि के यात्रा-भत्ता का भुगतान उन्हें मिल चुका है।

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 204 वि0 सभा–15-10-86–(382)–1986–813।